खण्ड-426, अंक-4
गुरूवार, 2 श्रावण, शक संवत् 1920
(23 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 426 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	... ...	क
प्रश्नोत्तर	... ...	1–45
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	... ...	46
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	... ...	46-47
प्रदेश में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	... ...	47
जनपद–फतेहपुर के किशनपुर क्षेत्रान्तर्गत कई चयनित गांवों में स्वीकृत हैण्डपम्पों के लगवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	... ...	47-48
जनपद–मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में क्षेत्रीय जनता को रोजगार दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	... ...	48
जनपद–जौनपुर के सदर एवं केराकत तहसील के विकास खण्डों को पुनः क्षेत्र निर्धारण तथा क्षेत्र निधि की मान्यता देने की मांग के संबंध में नियम 301 नियम के अन्तर्गत सूचना	... ...	48-49
लखनऊ महायोजना में तुलसीदास मार्ग (विक्टोरिया स्ट्रीट) लखनऊ को फुटपाथ एवं पार्किंग स्थल पर बनी अवैध दुकानों को हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	... ...	49
नगर पंचायत करहल मैनपुरी की मुख्य सड़कों पर जल-भराव की समस्या के निदान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	... ...	49-50
नियम 51 के अन्तर्गत माननीय मंत्रियों द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्यों पर उनके हस्ताक्षर न होने, नाम अंकित न होने आदि के संबंध में औचित्य का प्रश्न	...	50-51
विधान सभा की कार्यवाहियों में बोले गये शब्दों को बिना नियमों का पालन किये, निकाल दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	... ...	51-53
विधान सभा के उपवेशनों में शोर-गुल होने से कटौती का प्रस्ताव रखे जाने का अवसर न मिलने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	... ...	53-54
उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1993-94 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	... ...	54
वर्तमान आय-व्ययक में मध्यांचल निधि न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास .....(जारी)	... ...	55
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 की अधिसूचनाएं (सदन के पटल पर रखी गयीं)	...	55

विषय					पृष्ठ संख्या
वर्तमान आय-व्ययक में मध्यांचल निधि न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास ..... (जारी)	...	...	...	...	55-56
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के 22वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	...	...	...	...	56
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली 1994 .....(सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	...	...	56
उत्तर प्रदेश पंचायतराज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना) जांच नियमावली 1997 .....(सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	...	...	56-57
वर्तमान आय-व्ययक में मध्यांचल निधि न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	...	...	...	...	57-58
उत्तरांचल राज्य के गठन विषयक औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	...	...	...	...	58
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	...	...	59
उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 1997..... (सदन के पटल पर रखी गयी)				...	59
रिपोर्ट जांच आयोग, रजबपुर (मुरादाबाद) (सदन के पटल पर रख गयी)				...	59
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का 21वां एवं 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	...	...	...	...	59
दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की उनहत्तरवीं एवं सत्तरवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 .....(सदन के पटल पर रखी गयी)				...	59
यू० पी० स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	...	...	...	...	60
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन .....(सदन के पटल पर रखा गया)	...	...	...	...	60
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 .....(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	...	...	...	...	60
उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) विधेयक, 1998..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	...	...	...	...	60
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 .....(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	...	...	...	...	60
उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1997-98) का प्रथम प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	...	...	...	...	61

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मथुरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन से देशी और विदेशी शराब के ठेके हटवाये जाने विषयक श्री राधारमन शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका	
(उपस्थित की गयी)	61
जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत तहसील टाण्डा में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने विषयक श्री शत्रुघन आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	61
जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत उतरेथु बाजार टाण्डा में पशुचिकित्सालय खोले जाने विषयक श्री कन्हैया प्रसाद वर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	61
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत... ...	61-63
नेता विरोधी दल को उनकी गरिमा के अनुरूप आवास उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण मंत्री द्वारा दिनांक 21-7-98 को सदन में दिये गये आश्वासन का कार्यान्वयन न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	64-69
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं .....(जारी)	69-71
लखनऊ विकास प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार विषयक सूचना को वर्तमान सत्र में दुबारा उठाये जाने के संबंध में नियम 58 (5) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न	71-81
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं .....(जारी)	81-86
आज की कार्य सूची के मद संख्या–25 लगायत–33 तक की मदों को स्थगित करके पहले बजट अनुदानों एवं विनियोग विधेयक को लिए जाने का प्रस्ताव	87
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	87
प्रदेश में आई हुई भयंकर बाढ़ के संबंध में चर्चा की मांग .....(जारी) ...	87-88
आज की कार्य सूची के मद संख्या–25 लगायत–33 तक की मदों का स्थगन ...	88
प्रदेश में आई हुई भयंकर बाढ़ के संबंध में चर्चा की मांग	88-89
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग .....(स्वीकृत)	90
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन), अनुदान संख्या–63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या–64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग .....(स्वीकृत) ...	91-92
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 .....(पारित)	92-101

विषय	पृष्ठ संख्या
मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–42 सन् 1994) का संकल्प .....(स्वीकृत)	... 101-103
उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998 ... ... (पारित)	... 103-105
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998..... (पारित) ...	105-107
प्रदेश में बाढ़ पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन	... 108
प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याणार्थ स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना से संबंधित आधे घंटे की चर्चा का स्थगन	... 108
शस्त्र लाइसेन्स जारी करने में भ्रष्टाचार को रोकने आदि के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा का स्थगन	... 108
प्रदेश में वर्ष 1999 की परीक्षा के लिए कक्षा–9 का पाठ्यक्रम कक्षा–10 की हाईस्कूल बोर्ड की परीक्षा से पृथक कर दिये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत आधे घन्टे की चर्चा का स्थगन	... 108
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	... 108-109
श्री विनोद कुमार सिंह की सुरक्षा हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्यमंत्री को निर्देश	... 109
अध्यक्ष जिला पंचायत देहरादून के कथित रूप से किये गये लाखों रुपये के घोटाले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत श्री मुन्ना चौहान द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य ...	109
एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की भांति समान पदनाम, पदोन्नति, वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान की व्यवस्था के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत श्री राम नरेश यादव द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	... 110-111
प्रदेश के डिग्री कालेजों में सांध्यकालीन कक्षाओं के रूप में लड़के/लड़कियों के लिए जनपद मुख्यालयों पर बी०बी०ए०, एम०सी०ए०, बी०सी०ए०, होटल प्रबन्धन, बी०एस०सी० तथा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू कराये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	... 111-112
हरिद्वार के सन्त बाहुल्य क्षेत्र भूपतवाला, सप्तसरोवर में बरसाती नालों पर अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत श्री अम्बरीष कुमार द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	... 113

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद देवरिया के लोक निर्माण विभाग खण्ड–2 की समस्त परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराये जाने की स्थिति में अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने के संबंध नियम 51 के अन्तर्गत श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	114
जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के अन्तर्गत पोखरों व तालाबों को समय से न भरे जाने के संबंध नियम 51 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	114
जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जल निगम द्वारा अधिष्ठापित इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प में घटिया सामग्री प्रयुक्त किये जाने आदि के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	114-115
जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में भू-माफियाओं द्वारा बिना प्रस्ताव के लेखपालों द्वारा सैकड़ों बीघे भूमि को सीधे खतौनी में इन्द्राज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध नियम 51 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य...	115-116

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 1998

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि" कुंवर	इलाहाबाद
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	लाखीराम जोशी, श्री	टिहरी गढ़वाल
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
के० सी० सिंह, "बाबा"	ऊधम सिंह नगर	सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	सर्वेश कुमार उर्फ	
जगदीश नारायण (मुन्ना), श्री	जौनपुर	राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी	सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर	रिक्त–	
राजधारी, श्री	बलिया		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 23 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के पुकारे जाने पर)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सरकार द्वारा बिजली संकट दूर करने के लिए ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति में सुधार हेतु ठोस निर्णय की जानकारी

**1—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिए ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं को सुधारने हेतु सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले सात सालों से ठप्प पड़ी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, आप इस वायदे पर विश्वास कर लीजिये जी हां, जी हां पर लेकिन हम कैसे विश्वास कर लें ? श्रीमन्, प्रदेश में जो विद्युत संकट है और आज जो पूरे प्रदेश की चिन्ता है, इस सम्मानित सदन की चिन्ता है, इसको देखते हुए मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से प्रश्न किया था कि विद्युत परियोजनाओं को सुधारने के लिए सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी ? मान्यवर, आप मूल प्रश्न देख लें और जो उत्तर आया है, वह देख लें कि 'जी हां' । मैंने प्रश्न स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिए ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं को सुधारने हेतु सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, 'जी हां' । मान्यवर, वह ठोस निर्णय क्या हैं ? जो इन्होंने विद्युत परियोजनाओं को सुधारने के लिए लिये हैं । कौन-कौन सी परियोजनाओं को जो पिछले 5–7 सालों से ठप्प पड़ी हैं । उनको प्रारम्भ करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या उपाय किये हैं और वह उसके लिए धन की आवश्यकता होगी । वह इन्हें किस फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूट से मिलेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मौजूदा में उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन 5775 मेगावाट है । जिसमें से 4271 मेगावाट थर्मल से और 1504 मेगावाट हाइड्रो से है । हमारी 32 थर्मल यूनिट्स में से 9 बन्द थीं और हमारी सरकार आने के बाद इसमें से श्रीमन्, ओबरा की इकाई 6 और 11 जो 94 और 200 मेगावाट की थीं, चालू की हैं । टाण्डा में 110 मेगावाट की एक इकाई बन्द थी, उसको चालू किया है । हरदुआगंज में

40 व 160मेगावाट की, पारीछा में 110 मेगावाट और ओबरा की हाइड्रो की एक यूनिट–3, 33 मेगावाट की बन्द थी, उसको चालू किया है । इसके साथ ही साथ ओबरा की तीन यूनिट्स 3, 7 व 10 क्रमशः 40, 94 और 200 मेगावाट की हैं, में कार्य चल रहा है और रिहन्द की 150 मेगावाट पर कार्य चल रहा है । इस प्रकार से जितनी इकाइयां काफी समय से बन्द थीं और 10–15 साल से प्लान्ट लोड फैक्टर कम हो रहा था । उनके नवीनीकरण करने के लिए हमने टेण्डर मंगाये थे और श्रीमन् इस महीने की 10 तारीख को उन सभी निवेशकों से जो इनका रिनोवेशन करना चाहते थे, आये थे और उनके साथ बैठक की है । विश्व की बड़ी-बड़ी कम्पनियां आयीं । इस पर अगले महीने की 30 तारीख तक निर्णय हो जायेगा कि किस किस को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाय । इस तरह से हम और हमारी सरकार ने मौजूदा कैपिटल है, उसका पुनरीक्षण करके उससे ज्यादा प्लान्ट लोड फैक्टर बढ़ाने का विचार किया है और उसके लिए कार्य कर रहे हैं । अन्य योजनायें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने स्वीकार की हैं । रोजा में एक तापीय 566 मेगावाट का है । इसका फाइनेंशियल क्लोजर होने जा रहा है और इसको चालू किया जायेगा । विष्णु प्रयाग और श्रीनगर की दो प्राइवेट सेक्टर में हैं । इनका भी फाइनेंशियल क्लोजर होने जा रहा है । लखवाड़ व्यासी और मनेरी भाली जो बन्द थीं । इसके लिए इस साल बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं । ठेकेदारी की समस्या वहां पर है । इसके बारे में 30 अगस्त तक निर्णय ले लिया जायेगा और उस पर भी कार्य शुरू हो जायेगा । इस प्रकार राज्य सरकार ने राज्य में विद्युत उपलब्धता और बढ़ाने, इकाइयों को ठीक करने का निर्णय लिया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इनकी स्थापित क्षमता 4,277 मेगावाट की है, हाइड्रो 1,504 है, इस तरह विद्युत पावर की क्षमता 5,721 है । आपने कहा प्लान्ट लोड फैक्टर बढ़ा । एक सप्ताह में उत्तर प्रदेश का प्लान्ट लोड फैक्टर क्या रहा है और 5,721 के अगेंस्ट कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

अभियन्ताओं की हड़ताल के पहले 2300 से 2700 मेगावाट तापीय विद्युत उत्पादन कर रहे थे । हाइड्रो का 1504 उत्पादन हो रहा था । मान्यवर, अनपरा पूर्ण रूप से दो दिन बन्द रहा, विपक्षी लोग भी अन्दर से हड़ताल के पक्ष में नहीं थे, मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह नौ बजे तक तापीय 1133 और जलीय 939 थी 2300 के करीब हम आयात कर रहे हैं । हम विद्युत को पूर्ण रूप से दे रहे हैं। दिन के समय में कोई कटौती नहीं की जा रही है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इस समय जो विद्युत की मांग है। वह कितनी है, आप बाहर से भी लेते हैं और उत्पादन भी होता है। उसके बाद भी बिजली नहीं मिलती है। उसका क्या कारण है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय सदस्य ने प्रयास किया था कि विद्युत का संकट पैदा हो जाए । इस समय दिन में 4 हजार मेगावाट की डिमाण्ड है जो उत्पादन हो रहा है और जो आयात कर रहे हैं । उसको बताया । करीब 500 मेगावाट आपात कटौती करनी पड़ती है। बाकी कोई कार्य नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि आपात कटौती होती है, रेगुलर नहीं होती है। पूरे प्रदेश में कितनी आपात कटौती हुई है। वह बता दें, अन्यथा पिछले दो दिन की बता दें ? दूसरी चीज टेहरी डेम परियोजना पर कितना खर्चा किया जा चुका है और कितना निर्माण कार्य बाकी है ? तीसरी अनपरा सी है। उसको निजी क्षेत्र में करेंगे या राज्य विद्युत परिषद् स्वयं अपने द्वारा निर्माण कार्य करायेगी ? आज जब सदन में बिजली जा रही है। तो इससे ज्यादा इनकी तारीफ और क्या हो सकती है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

पूर्व राज्य मंत्री ने चिन्ता व्यक्त की है। टेहरी डेम परियोजना भारत सरकार की है। 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने देने को कहा है। शेष प्रदेश सरकार वहन करेगी। आनपारा सी में ग्लोवल टेण्डर मांगे गये हैं, उसकी अन्तिम तिथि 31 जुलाई है।

श्री जगदम्बिका पाल–

टेहरी परियोजना के लिए इन्होंने बताया 100 करोड़ मिलेगा बाकी सरकार वहन करेगी, तो सरकार कितना वहन करेगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि पिछले तीन दिनों में कितनी विद्युत की कटौती हुई है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने पहले भी उत्तर दिया है कि शाम के समय पांच सौ मेगावाट की कमी हो रही है इतनी ही कटौती हम कर रहे हैं।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, यह जितनी भी घोषणायें कर दें लेकिन बिजली मिल नहीं पा रही है। कल सिविल अस्पताल में आठ बजे से दो बजे तक बिजली नहीं थी। आई०सी०यू० काम नहीं कर रहा था। बहराइच में 12-12 घण्टे बिजली नहीं आ रही है। यह स्वीकार कर लें। यह बिजली के मामले में फेल हो गये हैं।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, हमने सवाल किया था, लेकिन उसके जवाब में इन्होंने कहा कि आप लोग विद्युत का संकट पैदा कर रहे हैं। जनपद-बहराइच में जो विद्युत का संकट है क्या उसको दूर करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में दिन में विद्युत कटौती नहीं की जा रही है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने जो सूचना दी है, उस सूचना के आधार पर जानकारी प्राप्त कर लें । बहराइच और दूसरे जिलों में कटौती के बारे में सूचना प्राप्त कर लें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चूंकि इन्होंने दो योजनाओं का जिक्र किया है, एक तो लखवाड़ वयासी और दूसरी मनैरी भाली यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र की हैं । मैं दो बातें पूछना चाहता हूं । एक तो यह जानना चाहता हूं कि जो कि प्रदेश व्यापी है । जो इस समय हड़ताल चल रही है, तो जनरेशन कितना घटा है और उसके कारण कितनी क्षति विद्युत परिषद् को हुई है ? दूसरा यह कि माननीय मंत्री जी लखवाड़ वयासी और मनेरी भाली इसको प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय व्यवस्था की गयी है । माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि इसमें ठेकेदारी का विवाद है और आरबिट्रेशन के केसेज हैं ? यह 80 करोड़ की जो व्यवस्था की गयी है, तो क्या सरकार ने कोई समय-सीमा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रखी हैं ? मेरी जानकारी के मुताबिक 67 करोड़ के आरबिट्रेशन के केसेज हैं । 80 करोड़ का प्राविधान किया गया है 80 में से 67 करोड़ निकल गये, तो 13 करोड़ में किसी परियोजना का निर्माण कैसे हो सकता है और दूसरा यह कि क्या लखवाड़ वयासी बांध परियोजना के विस्थापित कृषकों को वही सुविधा देने की घोषणा करेंगे जो कि टिहरी बांध के लोगों को दी गयीं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 30 अगस्त तक जो विवाद के केस हैं, उसमें कमेटी बनी है, वह निर्णय ले लेगी । जो धन की बात है, ऊर्जा वित्त निगम ने इस पर धन देना स्वीकार कर लिया है । सरकार ने इस पर 100 करोड़ रुपये दिया है ताकि विवाद बिन्दु को समाप्त कर सकें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना चौहान जी का प्रश्न था कि क्या कोई समय सीमा का लक्ष्य निर्धारित हुआ है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 30 अगस्त तक हम विवाद को समाप्त करा देंगे ।

मान्यवर, नई योजना के लगने से कम में कम 5 वर्ष लगते हैं, यह योजना आधी करीब बनी पड़ी है, ढ़ाई से तीन वर्ष से ऊपर नहीं लगेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अनपरा सी०, रोजा तापीय परियोजना यह किस वर्ष में इसको लगाने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया था, का पहला टेण्डर कब आमन्त्रित किया गया था ? कब तक यह परियोजनायें पूरी कर ली जायेंगी ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अनपरा सी का ग्लोबल टेण्डर का सरकार ने निर्णय लिया है, यह जनवरी, 98 में निर्णय लिया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह कई बार टेण्डर हो चुका है । एग्रीमेंट होते-होते रुका है । अनपरा सी० का टेण्डर, एग्रीमेंट की स्थिति में पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

अब मान्यवर, कुछ स्पष्ट कह दूंगा तो माननीय सदस्य उत्तेजित होंगे, चिल्लाने लगेंगे ।

श्री राम जग–

मान्यवर, चिल्लाने वाली बात कार्यवाही का अंग न बने ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 1996 में अनपरा सी० का पहला टेण्डर हुआ था, एक हुंड नाम की कम्पनी ने ग्लोबल टेण्डर में दाम डाले थे, एक वर्ष पूर्व राज्यपाल और एक पूर्व मुख्य मंत्री इन दोनों पर आरोप लगे थे ।

श्री अध्यक्ष–

आरोप छोड़ दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कदाचित इतिहास में अगर कोई टिप्पणी हो जाती है, लोक सभा, विधान सभा में, तो वह माननीय मंत्री जी के लिए, शर्मनाक मंत्रियों के लिए काफी होती है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने और उसकी डिवीजन बेंच ने जस्टिस मार्कण्डेय काटजू के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग के खिलाफ गम्भीर टिप्पणियां की हैं । उन्होंने इस बात को किया है कि ऊर्जा मंत्री पर अविश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की है ? क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है ? यदि है तो क्या न्यायालय के सम्मान को देखते हुए और उस पर टिप्पणी को देखते हुए क्या माननीय ऊर्जा मंत्री जी शर्म और हया के मारे इस्तीफा देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, उच्च न्यायालय की टिप्पणी की जानकारी है कि नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उसी प्रश्न में आगे एक बात और जोड़ देता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी मुझे ऐसे दो जिलों के नाम बतायेंगे जहां विद्युत परिषद् अनवरत रूप से उत्तर प्रदेश की धरती पर बिजली दे रहा है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, वह शर्म और लिहाज की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, जहां तक अविश्वास की बात है, तो जब तक जनता का विश्वास है, तब तक मैं यहां पर हूं, किसी जज के विश्वास पर नहीं हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है ? [xxx] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सब कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)–

आप इस्तीफा दे दें और हम इस्तीफा दे दें, दोनों चुनाव लड़ लें, तो पता चल जायेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

(पेन दिखाते हुए) अगर हिम्मत है, तो इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष–

हिम्मत और चुनौती की बात सदन से बाहर करें।

(श्री प्रमोद कुमार और चौधरी लक्ष्मी नारायण के बीच नोक-झोंक से व्यवधान बना रहा।)

यह कुछ लिखा नहीं जा रहा है। व्यंग्य और कटाक्ष कोई करता है, तो उसे भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए।

श्री नरेश अग्रवाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, कृपया मूल प्रश्न का उत्तर दे दें। यह जो कुछ बातें हुई हैं, यह अप्रिय बातें हैं, इसे लिखा नहीं जायेगा।

(श्री प्रमोद कुमार द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

श्री नरेश अग्रवाल–

कोई बड़े नेता जवाब मांगनें आयें, तो जवाब दूंगा।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सदन में सभी बराबर हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं है।

(श्री प्रमोद कुमार तथा श्री नरेश अग्रवाल के बीच आपस में टोका-टोकी होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहिये, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्र की भांति प्रदेश में महिला आयोग गठित करने की मांग

**2–श्री बी०आर० वर्मा–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, अन्याय को प्रभावी ढंग से रोकने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार को कारगर सुझाव देने हेतु प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश में महिला आयोग का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जी हां। प्रदेश में महिला आयोग के गठन पर विचार किया जा रहा है।

शीघ्रातिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले भी महिला आयोग था, उस विधेयक में भी कुछ प्राविधान किये गये थे, यह जो नया महिला आयोग आप गठित करने जा रही हैं, तो उन पुराने प्राविधानों में क्या संवर्धन या रद्दोबदल करने पर विचार कर रही हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिवेश में महिलाओं की समस्याओं के विभिन्न आयामों के समाधान के लिए आयोग के ऐसे स्वरूप पर विचार कर रहे हैं, जो वर्तमान समय में नैतिकता को स्थापित करने वाला हो और जो पश्चिमी आधुनिकीकरण के रीति-नीति के अन्तर्गत महिलाओं में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज में एक समस्या खड़ी हो गयी है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए संवैधानिक और कानूनी स्वरूप के साथ-साथ व्यावहारिक परिवेश में भी कुछ समाधान कर सकें। हम कुछ ऐसे महिला आयोग के विषय में विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी ने संशोधन के बारे में पूछा था।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने जो पूछा था, जो विधेयक आया था, तो उसमें क्या संशोधन करने के लिए सरकार विचार कर रही है, जिससे आपकी जो मंशा है, कि उसको व्यवहारिक बनाया जायेगा, तो क्या उसमें परिवर्तन किया जा रहा है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, जब तक यह परिवर्तन प्रक्रिया में है, तब तक जानकारी देने का कोई औचित्य नहीं है, मैं बताना चाहती हूं कि हम व्यवहारिक बिन्दुओं पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं और पुनः समाज में ऐसी स्थिति न आये.....

श्री अध्यक्ष–

आप इतना बता दें कि विधेयक में कोई परिवर्तन या संशोधन करने जा रही हैं।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

आंशिक परिवर्तन करने पर विचार कर रही हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, सदन की सम्पत्ति हो गया है। उन्होंने कहा है कि आंशिक संशोधन पर विचार करेंगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आंशिक संशोधन किन-किन बिन्दुओं पर हो रहा है। वह बिन्दु क्या हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

अभी हम सबके ध्यान में आया होगा, उत्तर देने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी भी कुछ भूमिका पर प्रकाश डाल दिया जाये। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में 213 संस्तुतियां की हैं और उनमें से एक पर भी कार्यवाही नहीं हुई है। हम ऐसा कुछ विचार कर रही हैं। जिससे यह स्थिति न आये, जो आयोग बने वह महिलाओं के लिए कारगर सिद्ध न हो।

श्री जगदम्बिका पाल–

राष्ट्रीय महिला आयोग की जो टीम आयी थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के अत्याचार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में महिला आयोग गठित हो।

(उत्तर नहीं आया)

श्री लालजी वर्मा–

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पुराना विधेयक था। उसमें निश्चित रूप से कहीं कोई कमी महसूस हुई होगी, इसलिए संशोधन पर विचार हो रहा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन सी कमियां हैं जिनके कारण विधेयक में संशोधन किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी विधेयक के बारे में पूछ रहे हैं। क्या-क्या कमियां हैं, जिसके कारण आप संशोधन कर रही हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रभावी कार्यवाही कराने की व्यवस्था के तहत आंशिक परिवर्तन करने जा रही हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कोई कमी नजर आयी होगी, तो वह कमियां क्या-क्या हैं ? अगर संशोधन करना ही था, तो संशोधन बिल अलग लाकर संशोधन किया जा सकता था।

श्री अध्यक्ष–

क्या-क्या कमियां पुराने विधेयक में आपको नजर आयीं ? जिसके कारण परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं, यह वह जानना चाहते हैं ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, उस विधेयक में जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कठिनाई नजर आयी, वह इसके व्यावहारिक पक्ष का कोई प्राविधान नहीं था । हम व्यावहारिक पक्ष पर ज्यादा जोर देना चाहेंगे ।

डा० अम्मार रिज़वी–

मान्यवर, मैं केवल एक बात मा० मंत्री से जानना चाहता हूं, सीधा-सीधा प्रश्न है, क्या ऐसे आयोग का गठन किया जायेगा जो कठिनाइयां माननीया मंत्री जी महसूस कर रही हैं ? उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या किया जायेगा और कब तक इसका गठन किया जायेगा और दूसरा व्यावहारिक विधेयक लाने की सोच रहे हैं, वह क्या है, उसे बता दें ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा० सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि महिला आयोग का गठन अवश्य किया जायेगा, शीघ्र और आंशिक संशोधनों के साथ किया जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह विधेयक इसी सदन में पास किया गया था और अगर उसमें आंशिक संशोधन की आवश्यकता थी, तो मैं समझता हूं कि पूरे विधेयक को निरस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, संशोधन विधेयक जैसे यहां आते रहते हैं, उसी प्रकार आ जाता, मूल विधेयक के अतिरिक्त कोई नया विधेयक आ रहा हो, तब बात सही थी जब आंशिक संशोधन ही लाने थे तो मूल विधेयक को निरस्त करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मूल प्रश्न यह है कि इसमें व्यावहारिक पक्ष का प्राविधान न होने की बात थी, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि उसमें व्यावहारिक पक्ष को लेकर कठिनाई हैं और व्यावहारिक पक्ष महिला आयोग के साथ सामंजस्य बैठाने में सम्भव नहीं हो पा रहा था, इसलिए यह आवश्यक हो गया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीया मंत्री उन कमियों को नहीं बता पा रही हैं, जिनके कारण वह परिवर्तन करने की बात कह रही हैं । एक महिला आयोग गठित था, उसे समाप्त कर दिया । यह सरकार तो महिलाओं के विरुद्ध है, [xxx] इसके विरोध में हम सदन का बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम जग–

मान्यवर, यह सरकार महिला आयोग का गठन नहीं करना चाहती है। इसके विरोध में, मैं और मेरा दल बहिर्गमन करता है ।

(श्री राम जग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

तारांकित प्रश्न

जनपद मैनपुरी में मक्का, लहसुन, आलू व जायद आदि फसलों को विषखपरा नामक बीमारी से बचाने हेतु सस्ते मूल्य पर दवायें उपलब्ध कराने की मांग

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में मक्का, लहसुन, आलू, अरवी (घुईयां) व जायद आदि फसलों में विषखपरा की बीमारी पैदा होने लगी है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । विषखपरा नाम की कोई बीमारी नहीं बल्कि यह एक खरपतवार है । खरपतवार के नियंत्रण हेतु शासन द्वारा सस्ते दामों पर दवायें उपलब्ध कराने का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, सारा सदन अवगत है कि अतिवृष्टि ओला और सूखे से ग्रसित होकर किसानों की फसल का नुकसान होता है । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि विषखपरा नाम की बीमारी नहीं होती है बल्कि यह एक खरपतवार होता है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बीमारी क्यों होती है और इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किया ? दूसरा प्रश्न यह है कि जब यह बीमारी होती है तो क्षति होती है । इसके लिए मंत्री जी क्या कोई सर्वेक्षण करायेंगे और इसके उपचार की कोई व्यवस्था सरकार करेगी ?

कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसन्धान राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विषखपरा नाम का यह खरपतवार है । इसके विभिन्न फसलों में विभिन्न दवाओं के माध्यम से ठीक किया जाता है । इसकी जड़ों में गांठ होती है, इसी से फूल एवं फल तथा बीज बनता है । जहां से इसका फैलाव होता है और इसका फैलाव हवा द्वारा होता है । इसके लिए अलग-अलग फसलों पर अलग-अलग दवायें निर्धारित हैं । आलू, अरवी आदि पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग अधिक किये जाने पर इसमें विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि दवाओं पर किसानों को सब्सिडी दी जाय ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग दवायें होती हैं । किसान की हालत ठीक करने के लिए बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार कोई प्राविधान करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी मैंने पहले ही कह दिया है कि सब्जियों में रसायनिक पदार्थों द्वारा खरपतवार नष्ट किये जाते हैं, तो उसमें विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है । इसको हटाने का एक मात्र उपाय निराई-गुड़ाई है, जो किसान स्वयं करता है । मान्यवर, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि सरकार रासायनिक दवाओं के लिए प्रोत्साहन करे ।

खेलकूद राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह)–

[x x x]

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण शान्त रहें । यह जो माननीय सदस्य ने कहा है उसे लिखा नहीं जायेगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मक्का और धान की इस समय बुवाई होनी है । माननीय मंत्री जी ने बताया कि विषखपरा कोई बीमारी नहीं है बल्कि खरपतवार है । यह खरपतवार खेत में आ जाता है उसके बाद गांठ से फूट कर बिखर जाता है । कुछ ऐसे लोग हैं जो यहां भी बिखर गये हैं, आये कहीं से और गये कहीं । मान्यवर, मक्का और धान की अच्छी पैदावर हो और किसानों को अच्छे मूल्य मिले इसके लिए इन फसलों में जो बीमारियां आयेंगी, उसको दूर करने के लिए जिला स्तर पर या ब्लाक स्तर पर कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह–

आपने मक्का के सन्दर्भ में कहा है, मक्के की फसल में जब खरपतवार लगती है, तो उसे हैड्रेजन 2-4 डी- की दवा से नियंत्रण कराया जाता है । लहसुन व अन्य फसलों पर भी इसका प्रयोग होता है । धान की फसल पर इस तरह की बीमारियों के कोई आंकड़े हमारे पास नहीं हैं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, धान में इतनी बीमारियां लगती हैं, जिससे फसल नष्ट हो जाती है, धान की अच्छी पैदावर हो सके, इसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे या कोई अच्छी दवाओं की जानकारी देंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि विषखपरा नामक खरपतवार धान में नहीं होता है । अगर कहीं है, तो उसके बारे में सूचना दे देंगे । मैं दिखवा लूंगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपने बताया कि मक्का, लहसुन, आलू व अरबी में विषखपरा की बीमारी नहीं होती है बल्कि वह

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

खरपतवार होता है । मान्यवर, जो अन्य फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ व गन्ना आदि में विषखपरा या खरपतवार होती है । उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह केवल 5 फसलों के बारे में है, इसके लिए आप अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री छोटे लाल गंगवार मास्टर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषि रक्षा केन्द्रों पर कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं । बाजारों में फर्जी कीटनाशक दवायें बिक रही हैं, तो क्या मंत्री जी कृषि रक्षा केन्द्रों पर कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करायेंगे ? तथा बाजारों में जो फर्जी कीटनाशक दवाइयां बिक रही हैं, उनकी बिक्री को रोकेगें ?

श्री वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कृषि रक्षा केन्द्रों पर कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध हैं । अगर माननीय सदस्य के पास कोई सूचना हो, जहां दवाइयां न उपलब्ध हों, वह हमें जानकारी दे दें । हम उपलब्ध करवा देंगे ।

जनपद मेरठ स्थित पशु वधशाला (कमेले) में अवैध कटान की जांच तथा कार्यवाही की मांग

*2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि मेरठ स्थित पशुवधशाला (कमेले) में लाइसेंस से निर्धारित संख्या से सैकड़ों गुना अधिक पशुओं का वध हो रहा है ? क्या यह सही है कि दिल्ली/हापुड़ से भी हड्डी मांस लाकर चर्बी पकाने का काम अवैधानिक तौर पर वहां हो रहा है जिससे बदबू से वहां की जनता कष्ट में है ? क्या वहां जन स्वास्थ्य तथा शान्ति व्यवस्था को गम्भीर खतरा बन गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पशुवधशाला के लिए समुचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन, राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री गोरख प्रसाद निषाद)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या सरकार को जानकारी है कि मेरठ स्थित पशुवधशाला (कमेले) में लाइसेंस से निर्धारित संख्या से सैकड़ों गुना अधिक पशुओं का वध हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न 6 जुलाई को शासन को गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण दिल्ली में पशुओं के कटने की संख्या सीमित हो गयी है । इसके कारण सारे पशु मेरठ में कट रहे हैं । मेरठ की आबादी 15 लाख के करीब है । दिल्ली हापुड़ से भी हड्डी मांस लाकर चर्बी पकाने का काम अवैधानिक तौर पर वहां हो रहा है । इसके कारण कई बार मेरठ में विवाद हो चुका है । जिसके कारण 45 लोगों के खिलाफ मुकदमें भी दर्ज किये गये थे । इस मामले में मेरठ नगर निगम ने शासन को सूचना नहीं दी है । सारी सूचना नगर निगम में

उपलब्ध है । यह प्रश्न 15 लाख लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ है । इसके लिए भारत सरकार को एक योजना जा चुकी है । भारत सरकार 85 लाख रुपये की सब्सिडी देने को तैयार है । सरकार इस पर क्या कर रही है ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सदस्य की सूचना को आधार मानकर जो उन्होंने कहा कि पशुओं का अवैध कटान हो रहा है इसकी जांच करा ली जायेगी और उसके बाद कार्यवाही की जायेगी । जो निर्धारित संख्या जिसका लाइसेंस प्राप्त है उससे अधिक का कटान हो रहा है, इस पर भी कार्यवाही की जायेगी ।

कृषि विभाग में वर्ष 1996-97 में भूमि संरक्षण इकाइयों में व्याप्त अनियमितताओं तथा फर्जी मस्टर रोल पर फर्जी भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच

*3–श्री राजधारी (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 में प्रति भूमि संरक्षण इकाइयों को कितने रुपये की अधिकतम धनराशि का खर्च विभागीय योजनाओं हेतु निर्धारित था ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि कितनी भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा व्यय की गयी है ? क्या सरकार ने इन अनियमितताओं की जांच कराकर फर्जी मस्टर रोल पर फर्जी भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*4–श्री यशपाल सिंह चौहान–

[5वें बुधवार में ता० प्र० सं०–15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के पशुधन विभाग में विभिन्न श्रेणी की पशुधन सम्पत्ति की संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु शासकीय नीति की जानकारी

*5–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की पशुधन सम्पत्ति कितनी है ? पशुधन की संख्या एवं गुणवत्ता की वृद्धि हेतु शासन की क्या कोई नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

वर्ष 1993 की पशु गणना के अनुसार, कुत्तों की संख्या को छोड़कर प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की पशुधन सम्पत्ति कुल 648.29 लाख है ।

जी नहीं ।

परन्तु पशुधन संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए पशुपालन विभाग एक वैज्ञानिक आधार पर नीति के अन्तर्गत कार्य कर रहा है, जो निम्नवत् है :–

1–पशु प्रजनन नीति–

गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के नस्ल सुधार हेतु ।

2–अन्य छोटे पशुओं के संबंध में नीति–

भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर, सूअर जैसे पशुओं में सम्वर्धन ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(पशुधन मंत्री का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या मंत्री जी को पता नहीं कि उनका प्रश्न लगा है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न पर संबंधित मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं । इस संबंध में अगर आप निर्देश नहीं करेंगे, तो सदन की गरिमा नहीं रह जायेगी ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए व आपके द्वारा दिये गये निर्देशों से मा० मुख्य-मंत्री जी को अवगत करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी या तो सूचित कर देते या लिखित रूप से अनुरोध कर लेते कि मेरे प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय या फिर मंत्रि-परिषद् के किसी साथी को कह देते ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह गम्भीर बात है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं दुःख के साथ इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूं, अब मैं प्रश्न संख्या–7 ले रहा हूं ।

*6–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[15वें शुक्रवार में ता० प्र० सं०–2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं प्रश्न संख्या–6 को लगातार 1997 से कर रहा हूं परन्तु इसे बार-बार स्थानान्तरित कर दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको भी देख लेता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसमें तो विशेषाधिकार बनता है । मैं मौखिक सूचना आपको दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिये ।

प्रदेश में मछुआ आवासों के निर्माण की योजना

*7–श्री सीताराम निषाद–

क्या मत्स्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में मछुआ समुदाय के लाखों परिवार फूस व छप्पर के मकानों में निवास करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने मछुआ समुदाय के उन सभी परिवारों को मछुआ आवास मुहैया कराने की कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि केन्द्र पुरोनिधानित नेशनल वेलफेयर फण्ड फार फिशरमैन की योजना के अन्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण की योजना पहले से ही विद्यमान है, जिसके अन्तर्गत मछुआ आवासों का निर्माण गत कई वर्षों से कराया जा रहा है ।

(प्रश्न संख्या–7 पर संबंधित मंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न संख्या 7 को भी स्थगित कर रहा हूं ।

श्री जे० एल० बजाज कमेटी की संस्तुति के आधार पर मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) का पद सृजित करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

*8–श्री राम ललित चौधरी (अनुपस्थित)–

क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 1997 में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र पंचायतराज विभाग के सभी मण्डलों में श्री जे० एल० बजाज कमेटी की संस्तुति के आधार पर मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) का पद सृजित करने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार (श्री धर्मपाल सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर नगर में पोषक वाटिका योजनान्तर्गत राजकीय पौधशाला, विधूना, विकास खण्ड कानपुर नगर द्वारा विभिन्न प्रजाति के पौधों का निःशुल्क वितरण

*9–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पोषक वाटिका योजनान्तर्गत कानपुर नगर में कुल कितने पौधे किस-किस प्रजाति के निःशुल्क वितरित किये गये हैं ? वितरित किये गये पौधों की आपूर्ति विभाग द्वारा कहां से प्राप्त की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना की सफलता के लिए योजना के अनुश्रवण हेतु क्या कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण –

कानपुर नगर में पोषक वाटिका के अन्तर्गत कुल 6 हजार फल पौधे वितरित किये गये । जिसमें कटहल 1200, आम कलमी 1800, पपीता 600, करौंदा 1200 व नीबू खट्टा 1200 सम्मिलित हैं ।

वितरित किये गये पौधे की आपूर्ति राजकीय पौधशाला, विधूना, विकास खण्ड कानपुर नगर से प्राप्त की गयी ।

जी हां ।

वितरित पौधों का सत्यापन उद्यान निरीक्षक, सेक्टर प्रभारी, संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पोषक वाटिका योजना के अन्तर्गत किस-किस प्रजाति के पौधों को निःशुल्क वितरित किये जाने की योजना है ? राजकीय पौधशाला विधूना में किस-किस प्रजाति के पौधे उपलब्ध हैं ? उद्यान निरीक्षक, सेक्टर प्रभारी तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जो निरीक्षण किया जाता है, क्या वह निरीक्षण प्रभावी होता है ? यदि हां, तो उसका तरीका क्या है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

हमारी जो नर्सरीज हैं, जिसमें विधूना भी है, वहां मुख्य रूप से कलमी आम, पपीता, करौंदा, कटहल और नीबू की पौध रखी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत 10 पौधे, जिनकी कीमत रु० 50 होती है, हम किसान को देते हैं । जहां तक सत्यापन का प्रश्न है, यह पौध प्रधान की मौजूदगी में बांटी जाती है और खण्ड विकास अधिकारी और हमारे अधिकारी उसका सत्यापन करते हैं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैंने पूछा कि पोषक वाटिका योजना के अन्तर्गत किस-किस प्रजाति के पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाता है ? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कलमी आम, कटहल, करौंदा व नीबू खट्टा इस तरह की पौध हैं । इनके सत्यापन में मान्यवर, बड़ी कठिनाई होती है और इसमें भयंकर घोटाले होते हैं और वह यह होता है कि पौध का वितरण किया गया और पौधे सड़ गये । **मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोई योजना होगी, कोई सूची होगी, कोई दिशा-निर्देश**

होंगे कि किस-किस प्रजाति के पौधे वितरित किये जायेंगे ? विधूना राजकीय पौधशाला में किस-किस प्रजाति के कितने पौधे थे । जिसमें से यह वितरण किया गया ? प्रमाण-पत्र किसी सक्षम अधिकारी से निर्गत होता है ? यह माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है जबकि मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि आम कलमी, नींबू, करौंदा, कटहल व खट्टा नींबू आदि यह पौधे वितरित किये जाते हैं । जहां तक आप सत्यापन की बात...

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैंने पूछा कि किन-किन प्रजाति के, तो माननीय मंत्री जी उत्तर में आदि कह रहे हैं ? आदि में तो कई आ जाते हैं । कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ है ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, जहां तक कानपुर में वितरण की बात है । कानपुर में जो पौधे वितरित किये गये सभी माननीय जन-प्रतिनिधियों को 21-5-98 को इसकी सूची उपलब्ध करा दी गयी । जहां तक सत्यापन की बात माननीय सदस्य कहते हैं, पूरी सूची जितने कानपुर जनपद में पौधे वितरित किये गये, यह पूरी सूची मेरे पास है और सत्यापित सूची है अधिकारियों के द्वारा । माननीय सदस्य चाहें तो उनको दे दूंगा ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न था कि किस-किस प्रजाति के पौधे वितरित किये गये ? दूसरा यह कि जहां से यह वितरित हुए हैं विधूना राजकीय पौधशाला, उसमें किस-किस प्रजाति के कितने पौधे उगाये गये ? सत्यापन के लिए कोई अधिकारी प्रमाण-पत्र निर्गत करता है कि नहीं ? मेरा स्पष्ट प्रश्न है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि जितने पौधों की संख्या की बात है, यह इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं । प्रजाति का जहां तक सवाल है, वह मैंने बताया कि आम कलमी, नींबू, करौंदा, कटहल व खट्टा नींबू आदि हैं । जहां तक सत्यापित लिस्ट की बात है, मैंने बताया कि मेरे पास है और 21-5-98 को सभी जन-प्रतिनिधियों को लिस्ट उपलब्ध करा दी गयी है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आपके पास क्या कोई ऐसा शासनादेश है, जिसमें दिया हो कि माननीय विधायकों के द्वारा ही बांटे जायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय, जो इसमें घपला हुआ है, उसकी जांच करवायेंगे ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

अभी बाल चन्द्र मिश्र जी कह रहे हैं । वैसे मैं कह तो नहीं सकता परन्तु आपने कहा है कि इसमें घपला हुआ है । मैं कानपुर जनपद के सभी जन-प्रतिनिधियों को यह प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करा रहा हूं । इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, तो मैं उसकी जांच करने के लिए तैयार हूं ।

श्री श्रीराम पाल–

माननीय, बुन्देलखण्ड में नींबू लगाने पर सब्सिडी दी गयी जनपद जालौन के विकास खण्ड मेवा डकौर में पिछले वर्ष नींबू के पेड़ लगाने पर सब्सिडी दी गयी, इसकी जांच जब करायी गयी, तो कहीं भी नींबू के पेड़ लगे नहीं पाये गये हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे लोगों को जिन्होंने सब्सिडी ली है और नींबू के पेड़ नहीं लगाये हैं । उनसे धन की वसूली की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जो मूल प्रश्न था वह कानपुर से संबंधित है । कानपुर से संबंधित कहीं भी पौध वितरण में गड़बड़ी नजर आती है, तो माननीय सदस्य लिखकर दे दें, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं । वह लिखकर दे दें, तो जांच करायी जायेगी ।

श्री श्रीराम पाल –

माननीय, प्रति हेक्टेयर सब्सिडी दी गयी है । लोगों ने एक-एक हजार रुपया सब्सिडी का लिया है । द्वितीय सत्र में मैंने प्रश्न लगाया था, लेकिन सत्र समाप्त होने से मेरा प्रश्न नहीं आया, लेकिन यह जानकारी आयी है कि सब्सिडी लोगों ने ली है । जनपद जालौन के विकास खण्ड मेवा और डकौर में जहां नींबू के पेड़ नहीं लगाये गये हैं और सब्सिडी ले ली है, तो क्या माननीय मंत्री जी उनसे वसूली कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह दूसरे जनपद का प्रश्न है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय, इन्होंने अपने उत्तर में बताया कि कटहल 1200, आम कलमी 1800, पपीता 600, करौंदा 1200 व नींबू खट्टा 1200 पेड़ हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि इन्होंने आम कलमी 1200 बताया तो प्रजाति पूछी गयी है । यह तो आम की जाति हुई प्रजाति दशहरी, चौंसा, लंगड़ा हुआ पपीते में भी तमाम प्रजातियां हैं । माननीय मंत्री जी बाटेनिकल नेम बतायें । कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रजाति के नाम पर भी होते हैं जो कटहल, आम कलमी, पपीता, करौंदा व नींबू खट्टा तो किस-किस प्रजाति का कौन सा है । बता दें ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जो पौधे देते हैं । वह दस पौधे देते हैं । वह 50 रुपये कीमत के होते हैं, लंगड़ा है, चौसा है, यह नहीं हैं, 10 पौधे देते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मंत्री जी को जानकारी शायद न हो लेकिन इनके अधिकारी जानते होंगे उन्होंने बाटिनी पढ़ी होगी, पौधा किस जाति-प्रजाति का है । दूसरा यह कि जो जाति थी, उसकी कितनी प्रजाति थी । यह मैं जानना चाह रहा हूं अगर जानकारी नहीं है, तो जानकारी हासिल करनी चाहिए ?

नवसृजित जनपद सन्त रविदास नगर के मुख्यालय हेतु वित्तीय कार्य योजना की स्वीकृति के संबंध में जानकारी

*10–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवसृजित जनपद सन्त रविदास नगर के मुख्यालय हेतु वित्तीय कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार ने इसके लिए धनराशि स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कितनी ? उक्त मुख्यालय के भवन कब तक पूरे बन जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी नहीं ।

अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है । नियमानुसार स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है । भवन निर्माण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, नवसृजित जनपद का गठन हुए चार वर्ष हो गये हैं । सन्त रविदास नगर के मुख्यालय हेतु वित्तीय कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया गया है, यह मैंने जानना चाहा था और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया "जी नहीं ।" दूसरा मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार ने इसके लिए धनराशि स्वीकृत की है ? तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है । नियमानुसार स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह नियमानुसार कार्यवाही क्या है, कब तक पूरी होगी और इसकी प्रक्रिया क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, कलेक्ट्रेट भवन के लिए जो एक समिति है फाइनेंस में, उसके अनुसार 218 लाख 71 हजार आवासीय भवन के लिए संस्तुति की गयी है और 485.27 हजार अनावासीय भवन के लिए है । इस प्रकार 603.98 लाख रुपये की संस्तुति की गयी है । अभी तक फाइनल रूप से नहीं हुई है । 30-6-94 को जनपद का सृजन हुआ था । इसमें दिक्कत यह आयी कि दो दफे मुख्यालय का परिवर्तन हुआ है । 23-8-97 को मुशीलाट एक जगह है, तत्कालीन मुख्य मंत्री मायावती ने पहले वहां पर मुख्यालय बनाया था । इसके बाद फिर परिवर्तन हुआ और ज्ञानपुर हो गया । जमीन ले ली गयी और विकास भवन वहां बनकर तैयार हो गया है । स्टेडियम की चहारदीवारी बन रही है । आवासीय और अनावासीय भवन के लिए अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जमीन संबंधी नियमावली पूर्ण है । इसे आप अन्तिम रूप कब दे रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, समय सीमा देना सम्भव नहीं होगा । यथाशीघ्र प्रयास करेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने नये जनपद सृजन की जानकारी चाही थी । तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी नये जनपद सृजित किये गये हैं, उन जनपदों का सृजन करने का मानक क्या है ? कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितना क्षेत्रफल होना चाहिए । उस मानक के अन्तर्गत सन्त रविदास नगर के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का कोई सरकार को निर्देश हुआ है और उस मानक के अनुसार गठन कर उसके संबंध में बोर्ड आफ रेवेन्यू को कार्यवाही करने के लिए कहा गया, तो उसमें उसने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, जो भी प्रश्न पूछा गया । वह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है । इसके लिए अलग से आप प्रश्न पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । तारांकित प्रश्न संख्या–8 ले लेते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आप देखें कोई है नहीं, उत्तर देने के लिए ?

श्री अध्यक्ष–

इसीलिए मैंने आपसे कहा था, वह तो स्थगित होना ही है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, सदन को यह जानकारी दी गयी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने एक फैसला किया है, जिसमें ऊर्जा विभाग के प्रति चिन्ता व्यक्त की गयी है और यह आदेश भी निर्गत किया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर ली जाय जो विसंगतियां हैं, जो आरोप हैं, जो बिन्दु उठाये गये हैं, माननीय प्रमोद कुमार जी ने एक अनुपूरक प्रश्न किया था । मान्यवर, आप सहमत होंगे कि चाहे मंत्री हों या सदस्य सार्वजनिक भाषण या मंचीय भाषण देने की कोई व्यवस्था नहीं है । अनर्गल भाषा के प्रयोग से इस सदन का समय नष्ट होता है । मान्यवर, उनकी आईरोनिकल लेंग्वेज रही हो, लेकिन अनुपूरक प्रश्न सटीक था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी है बजाय इसका उत्तर "हां" या "नहीं" में देने के मंचीय भाषण देना प्रारम्भ कर दिया गया । जिससे सदन में उत्तेजना प्रारम्भ हो गयी । मान्यवर, इस पर व्यवस्था दे दें उन्होंने उत्तर नहीं दिया ।

युवा कल्याण मंत्री (श्री अमर मणि त्रिपाठी)–

मान्यवर, आपने अगली कार्यसूची की मद ले ली है ।

श्री अध्यक्ष–

वह प्रश्न समाप्त हो गया, इसमें कोई व्यवधान का प्रश्न नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में निर्धन परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना तथा सरकार द्वारा उसकी धनराशि बढ़ाने पर विचार

1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्धन परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषक, भूमिहीन मजदूर, कारीगर, व्यवसाय एवं घरेलू सेवाओं में लगे परिवार के लिए मुआवजा के रूप में कितनी धनराशि देने का प्रावेधान है ? क्या इस धनराशि को सरकार बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाओं के होने की दशा में कृषकों व मजदूरों हेतु अनुमन्य है ।

कृषि कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं हेतु कृषकों व मजदूरों को मुआवजे में रुपये 750 से 25,000 तक वित्तीय सहायता का प्राविधान है ।

इसकी आवश्यकता नहीं है ।

मुआवजा राशि गत वर्ष ही पुनरीक्षित की गयी थी ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 28(क) के अन्तर्गत, जनपद आजमगढ़, तहसील फूलपुर, ब्लाक मार्टीनगंज के ग्राम कोठरौली की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दायित्वों का निर्वहन एवं सरकार द्वारा जांच की मांग

2–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामों के भूमि प्रबन्धक समिति के गठन की क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ? क्या आजमगढ़ जनपद, फूलपुर तहसील, मार्टीनगंज ब्लाक के ग्राम कोहरौली के अन्तर्गत भूमि प्रबन्धक समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो इसके पदाधिकारी एवं सदस्यों का नाम क्या है ? क्या यह सही है कि भूमि प्रबन्धक समिति अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 28(क) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम सभा की ग्राम पंचायत/भूमि प्रबन्धक समिति होती है । तद्नुसार ग्राम कोहरौली तहसील फूलपुर, आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/भूमि प्रबन्धक समिति का गठन किया गया है । भूमि प्रबन्धक समिति कोहरौली ब्लाक मार्टीनगंज, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के पदाधिकारी व सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :–

श्री राम नाथ पुत्र पल्टन, ग्राम प्रधान/सभापति,

श्री राम नारायण पुत्र कामता, उप प्रधान,

उप सभापति व क्रमशः श्री राम सेवक पुत्र महावीर व श्रीमती सूखा पत्नी–मुरली, श्री राधेश्याम पुत्र–इन्द्रजीत, श्री करन पुत्र–लोदर, श्रीमती चनरा पत्नी–सीताराम, पुत्र–हिरावन, श्री मेवा लाल पुत्र–शिव टहल व श्रीमती चिन्ता पत्नी–लाल कुमार, श्रीमती विद्या पत्नी–फतेहबहादुर एवं श्री बेचन पुत्र-लल्लू सदस्य हैं । भूमि प्रबन्धक समिति कोहरौली द्वारा नियमों/अधिनियमों में दिये गये दायित्वों का निर्वहन नियमानुसार किया जा रहा है । इसलिए इस संबंध में किसी जांच की आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

राजस्व परिषद्, उ० प्र० लखनऊ/इलाहाबाद में दिनांक 19-11-92 को टंककों का अवर वर्ग सहायक के पद पर संविलियन तथा अवशेष वेतन का भुगतान

3–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व परिषद्, उ० प्र० लखनऊ/इलाहाबाद में दिनांक 19-11-92 को कितने टंककों को अवर वर्ग सहायक के पद पर संविलियन किया गया था ? उपरोक्त टंककों का वेतन अन्तर कितना-कितना भुगतान होना शेष है ? अब तक भुगतान न कराने का क्या कारण है ? क्या सरकार समस्त अवशेष वेतन का भुगतान कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

शासनादेश संख्या–135/14/92–175–रा०–6, दिनांक 19-11-92 द्वारा 29 टंकक के पदों को समाप्त/आस्थगित करते हुए अवर वर्ग सहायक के संवर्ग में संविलीन कर दिया गया ।

उक्त 29 टंककों को वेतन अन्तर का भुगतान कर दिया गया है । इनके कोई भुगतान शेष नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

4–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[दिनांक 21-7-98 को अता० प्र० सं०–188 द्वारा उत्तरित]

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार सक्सेना, 1/76, दाल मण्डी, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद की मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णयानुसार, प्रमुख सचिव, राजस्व की नियुक्ति विषयक पत्र

5–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र नं० क–2, 034326 के साथ श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार सक्सेना, निवासी 1/76, दाल मण्डी, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-6-98 प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसके बिन्दु क्या हैं और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सच है कि कलेक्ट्रेट फर्रुखाबाद में उक्त राकेश कुमार के साथ चयनित अन्य अभ्यर्थियों व उसके बाद की चयनित सूची दिनांक 6-2-94 की नियुक्तियां रिक्त क्लर्कों के पदों पर कर दी गयीं ? यदि हां, तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत याचिका नं०–1780/91 में दिये गये निर्णय दिनांक 2-3-1994 का मा० उच्चतम न्यायालय में

प्रस्तुत एस०एल०पी० संख्या–14902/94 एवं 21565/97 में दिये गये निर्णय दिनांक 30-10-96 के परिप्रेक्ष्य में उक्त श्री राकेश कुमार की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी ? क्या सरकार माननीय न्यायालयों के निर्णय के अनुपालनार्थ उक्त राकेश कुमार की नियुक्ति करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

श्री राकेश कुमार के प्रार्थना-पत्र में मुख्य रूप से कहा गया है कि सहायक वासिल वाकी नवीस के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित सूची दिनांक 27-6-87 द्वारा उसका चयन किया गया था तथा उसका नाम प्रतीक्षा सूची में था । दिनांक 30-5-88 को अस्थायी रूप से उसकी नियुक्ति भी की गयी । उसके साथ चयनित 32 अभ्यर्थियों में से उसे छोड़कर शेष सभी की नियुक्तियां कोर्ट के आदेश से हो चुकी हैं । मा० उच्च न्यायालय ने फरवरी, 1994 में उसके पक्ष में फैसला दिया । विभाग द्वारा दायर एस०एल०पी० में मा० उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 3-10-94 को उसके पक्ष में निर्णय दिया, परन्तु उपरोक्त निर्णयों की अवमानना करते हुए दिनांक 11-10-94 को उसे न रखते हुए सूची के बाहर से तीन अभ्यर्थी नियुक्त कर दिये । कलेक्ट्रेट फतेहगढ़ में चार पद रिक्त बताते हुए स्थाई नियुक्ति दिलाये जाने का अनुरोध किया गया ।

चूंकि श्री राकेश कुमार द्वारा दायर रिट मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । अतः इस लम्बित याचिका का निर्णय न होने की स्थिति में श्री राकेश कुमार की नियुक्ति के संबंध में कोई कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं है ।

जी हां ।

प्रश्नगत सूची दिनांक 5-2-94 जिसमें क्रमांक–2 पर श्री राकेश कुमार का नाम अंकित है और इसी सूची के आधार पर श्री राकेश कुमार की नियुक्ति सीजनल सहायक वासिल वाकी नवीस के पद पर करते हुए नियुक्ति पत्र दिनांक 6-2-94 जारी किया गया था, परन्तु श्री राकेश कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया । चयनित सूची दिनांक 5-2-94 में से मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 1-4-94 जो कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–11385/94 श्री ममुनून हुसेन बनाम स्टेट में पारित किया गया था, के अधीन उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी जो कि अस्थाई रूप से सेवा में थे ।

रिट याचिका संख्या–1780/91 श्री राकेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2-3-94 को याची श्री राकेश कुमार के पक्ष में निर्णय दिया गया, जिसके विरुद्ध राज्य की ओर से मा० उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० संख्या–14902/94 स्टेट बनाम राकेश कुमार दाखिल की गयी, वर्ष 1997 की चयनित सूची में शामिल अन्य अभ्यर्थी रामेन्द्र कुमार आदि द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–6182/90 रामेन्द्र कुमार आदि बनाम स्टेट प्रस्तुत की गयी थी । जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13-4-93 को याची गण के पक्ष में निर्णय दिया गया । इस आदेश के विरुद्ध भी मा० उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० संख्या–21565/93 सरकार बनाम रामेन्द्र कुमार आदि प्रस्तुत की गयी । मा० उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 3-10-94 को उपरोक्त दोनों एस०एल०पी० को एकजाई करते हुए मा० उच्च न्यायालय को इस आब्जर्वेशन के साथ पुनर्विचार हेतु

वापस कर दिया कि रिट याचिका संख्या–6182/90 रामेन्द्र त्रिपाठी आदि बनाम स्टेट में पारित निर्णय के अधीन याचीगणों को उनकी सेवा से डिस्टर्ब न किया जाये । चूंकि रिट याचिका संख्या–6182/90 रामेन्द्र कुमार आदि बनाम स्टेट में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-4-93 के अधीन रामेन्द्र व अन्य 5 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिनांक 17-11-93 को की जा चुकी थी । अतः उनकी सेवाओं में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गयी । चूंकि श्री राकेश कुमार इस रिट में पक्षकार नहीं थे और न ही उनके द्वारा प्रस्तुत रिट संख्या–1780/91 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 2-3-94 के अधीन श्री राकेश कुमार की नियुक्ति ही की गयी थी । अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 3-10-94 एवं 30-10-96 के अधीन इनकी नियुक्ति नहीं की गयी ।

श्री राकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका संख्या–1780/91 अभी मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

6–श्री सीताराम निषाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

7–श्री श्रीराम पाल–

[6ठें बुधवार में अता० प्र० सं०–159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला रायबरेली, तहसील महराजगंज के ग्राम व पोस्ट धुलेण्डी के महावीर बनाम पुत्तूलाल के मुकदमे में न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत भूखण्डों पर कब्जा दिलाया जाना

8–श्री राम पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली, तहसील महराजगंज के अन्तर्गत ग्राम व पोस्ट धुलेण्डी में महावीर बनाम पुत्तू लाल आदि के मुकदमें में न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 18-3-76 को धारा–229बी/209 के तहत पुत्तू लाल आदि को बेदखल करके हल्का लेखपाल द्वारा समस्त भूखण्डों पर कब्जा दिलाया गया था ? क्या विपक्षीगणों द्वारा उक्त भूखण्डों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? क्या सरकार न्यायालय के आदेशों के तहत समस्त भूखण्डों पर कब्जा दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । क्योंकि परगना मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-3-76 के तुरन्त बाद विपक्षीगण ने अपील प्रस्तुत कर दी थी और अपीलीय न्यायालय/न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश दिनांक 23-11-76 के अन्तर्गत उक्त आदेश भी निरस्त हो गया था ।

विपक्षीगण उक्त समस्त भूखण्डों पर काबिज हैं, किन्तु अवैध रूप से नहीं । अपीलीय न्यायालय के आदेश से विपक्षीगण विवादित भूखण्डों के स्वामी/भूमिधर हैं ।

जी नहीं, क्योंकि न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट का आदेश दिनांक 18-3-76 प्रभावी नहीं है । उक्त आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त हो चुका है । भविष्य में सक्षम प्रवर न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

बेरोजगार कृषि प्रसार डिप्लोमाधारियों के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 (किसान सहायक) के रिक्त पदों पर सरकार द्वारा समायोजित किये जाने के संबंध में जानकारी

9–श्री नेतराम सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेरोजगार कृषि प्रसार डिप्लोमाधारियों को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 (किसान सहायक) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु शासनादेश संख्या–2172/12-3-98-30/95 द्वारा समायोजित किये जाने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो क्या इनको समायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक समायोजित न करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है ? दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

समायोजन हेतु संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को नियमानुसार निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम भलुआही पोस्ट बदलापुर जनपद जौनपुर में श्री दशरथ मिश्र के घर के पूरब से निकली चकरोड के निरस्त होने से बन्द रास्ते को पुनः खोले जाने विषयक जानकारी

10–श्री राजधारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम भलुआही पोस्ट बदलापुर जनपद जौनपुर में चक संख्या–88 श्री दशरथ मिश्र के घर के पूरब से निकली चकरोड को निरस्त कर दिया गया है अथवा बगल के स्थित भू-स्वामियों द्वारा चकरोड को अपने चक में मिला लिया है ? क्या चकरोड से गांव के सात अनुसूचित जाति तथा कई ब्राह्मणों के परिवारों के आने-जाने के लिए बन्द रास्ते को पुनः खोला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, शाहगंज, जौनपुर ने अपील संख्या–692/1912 में आदेश दिनांक 7-3-90 द्वारा यह चकरोड निरस्त कर दी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, क्योंकि अब चकरोड को श्री दशरथ मिश्र के घर के दक्षिण से पश्चिम तरफ ले जाकर मुख्य चक मार्ग से जोड़ दिया गया है । जिससे अनुसूचित जाति तथा ब्राह्मण परिवारों को आने-जाने के लिए रास्ता मिल गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड सुरसा के ग्राम लालपालपुर से शंकरपुर मार्ग पर खड़ंजा कार्य न कराये जाने के संबंध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

11–श्री छोटे लाल राजभर तथा श्री इलम सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज अनुभाग–3 के आदेश संख्या–5718/33-3-97-180जी/96, दिनांक 24 अक्टूबर, 1997 के अन्तर्गत जनपद हरदोई के विकास खण्ड सुरसा में स्थित ग्राम लालपालपुर से शंकरपुर तक दो कि०मी० खड़ंजा का कार्य कराने हेतु संबंधित जिला पंचायत को 6 लाख रुपये दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी परन्तु आठ माह व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक उक्त मार्ग पर खड़ंजा लगाने का कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

टेण्डर आदि की औपचारिकतायें पूर्ण कर जिला पंचायत की कार्य समिति का अनुमोदन प्राप्त कर दिनांक 15-3-98 को कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त सड़क का निर्माण कार्य 30-11-98 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

12–श्री अजय कुमार पोइया–

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं०–170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर में चढ़ावे के माध्यम से प्राप्त धनराशि तथा अन्य वस्तुयें एवं मन्दिर व्यवस्था को अधिक गतिशील एवं लोकोपयोगी बनाने हेतु जन प्रतिनिधियों को न्यास परिषद् में शामिल करने पर सरकार द्वारा विचार

13–श्री. श्यामदेव राय चौधरी–

क्या संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हर प्रकार के चढ़ावे के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर में अब तक कितनी धनराशि तथा अन्य वस्तुयें एकत्रित हुई हैं ? क्या न्यास की बैठकें नियमित होती हैं और मन्दिर व्यवस्था में सुधार हेतु कोई निर्णय लिए जाते हैं ? क्या विशिष्ट तथा अति विशिष्ट लोगों को ही मन्दिर आने पर स्मृति चिन्ह भेंट किये जाते हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या लागत आती है तथा अब तक कितना व्यय हुआ ? क्या चढ़ावों के हिसाब-किताब को दुरुस्त व पारदर्शी बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? मन्दिर व्यवस्था को अधिक गतिशील एवं लोकोपयोगी बनाने हेतु जन प्रतिनिधियों की सलाहकार परिषद् बनाने अथवा उन्हें न्यास परिषद् में शामिल करने पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)–

अधिग्रहण वर्ष 1983 से लेकर दिनांक 30-6-98 तक चढ़ावे के माध्यम से 2,39,70,350 रुपये, 112.8 कि०ग्रा० चांदी, 2.75 कि०ग्रा० सोना, 1612 अदद चांदी का सिक्का शुद्धता 91 प्रतिशत 255 अदद चांदी का सिक्का शुद्धता 50 प्रतिशत, 1.82 कि०ग्रा० सिल्वर आर्टिकल, 10.85 ग्राम प्राइमरी सोना व 78 ग्रा० स्वर्ण गिन्नी मोहर प्राप्त हुई हैं।

जी हां।

स्मृति चिन्ह केवल विशिष्ट श्रद्धालुओं, दान दाताओं तथा दीर्घकालीन योजना के सदस्यों को दिये जाते हैं। श्रद्धालुओं की इच्छा पर स्मृति चिन्ह का विक्रय भी किया जाता है। सम्प्रति इसकी लागत 1200 रुपये है। वर्ष 1983 से अब तक 4.6 लाख रुपये व्यय हुआ।

चढ़ावों का हिसाब-किताब पारदर्शी ढंग से रखा जा रहा है।

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम (ऐक्ट संख्या–29 वर्ष 1983) की धारा 6 व धारा 19 के अधीन एक न्यास परिषद् व एक कार्यपालक समिति गठित है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा पांच गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

नव सृजित जनपद–चन्दौली के जिला मुख्यालय हेतु स्थल चयन

14–श्री शिवपूजन राम–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जनपद चन्दौली जिला मुख्यालय के लिए स्थल चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद–बिजनौर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों पर मरम्मत कार्य कराने के संबंध में जानकारी

15–श्री मूलचन्द्र–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद बिजनौर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों की दशा बहुत जर्जर है ? क्या इससे आने-जाने में किसानों व जनता को बहुत असुविधा होती है ? क्या सरकार जनपद–बिजनौर के मण्डी परिषद् की सड़कों की मरम्मत का कार्य कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

मण्डी परिषद् द्वारा जनपद बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत कुल 43 मार्ग (लम्बाई 78.13 कि०मी०) निर्मित कराये गये हैं, जिनमें से 30 नग सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 56.68 कि०मी०) मरम्मत योग्य हैं।

जी हां।

प्रश्नगत मार्गों की मरम्मत के संबंध में संबंधित मण्डी समितियों से पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

16–श्री यशपाल सिंह चौहान–

[16वें बुधवार में अता० प्र० सं०–157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

श्री सुखई पुत्र स्व० नीमर, निवासी फूलपुर, तहसील व जिला–आजमगढ़ के खतौनी खाता संख्या–492 में अंकित गाटों को भू-अभिलेखों में लेखपाल द्वारा गायब किये जाने की जांच की मांग

17–श्री अरुण वीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री सुखई पुत्र स्व० श्री नीमर,निवासी फूलपुर, तहसील व जिला आजमगढ़ के खतौनी खाता संख्या–492 में अंकित गाटों को भू-अभिलेखों में हेराफेरी करके पूर्व लेखपाल द्वारा गायब कर दिया गया है ? क्या सरकार इसको किसी अधिकारी से जांच करवाकर राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त करायेगी ? क्या यह सही है कि इस संबंध में पूर्व मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी, आजमगढ़ को पत्र संख्या–2704/पी०एस०एम०एस०/96, दिनांक 28 जून, 1996 द्वारा जांचोपरान्त अभिलेख दुरुस्त कराने के आदेश भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण हैं ? इसका दोषी कौन है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । खाता संख्या–492 श्री राम नरेश पुत्र फेंकू व सुखई पुत्र नीमर सा० देह के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज थी । खातेदार द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में भूमि का विक्रय करने के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा विक्रेता का नाम खारिज होकर क्रेतागण का नाम दर्ज हुआ है ।

जी नहीं ।

जी हां । मा० मुख्य सचिव के सन्दर्भित पत्र दिनांक 28 जून, 1996 के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा जांच कराकर मामले का निस्तारण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज के 17 ग्रामों के पट्टे बगैर भूमि प्रबन्धक समिति की संस्तुति के अपात्र लोगों को किये जाने की जांच एवं दोषी कर्मधारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

18–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली की तहसील नवाबगंज के ग्राम पचपेड़ा, खिजरपुर, परेवादाता, लाम्बाखेड़ा, तालिब हुसैन, खाई खेड़ा, सोरहा आदि 17 ग्रामों के पट्टे अपात्र लोगों को बगैर ग्राम भूमि प्रबन्ध समिति की संस्तुति के किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जांचोपरान्त दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जिला प्रशासन को कुल 8 ग्रामों में किये गये पट्टों की शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें से सात ग्रामों ग्राम–खाईखेड़ा, बढ़ेपुरा निकट खोह, चन्दुआ चमराआ, परेवासांदास, शिवपुर, तालिब हुसैन व पचपेड़ा में वृक्षारोपण, मत्स्यपालन आवास स्थल आवंटन के पट्टे एवं धारा 122 (बी) (4 एफ) के अन्तर्गत अवैध कब्जों के विनियमितीकरण का कार्य भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के बिना किया गया है। अतः नियम विरुद्ध स्वीकृत किये गये पट्टों के निरस्तीकरण हेतु वाद योजित किये जा रहे हैं।

जिला प्रशासन द्वारा इन प्रकरणों के दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

उतरौला विधान सभा क्षेत्र में खरीफ एवं रबी की फसल हेतु उर्वरक व बीज अनुदान प्राप्त न होने पर दोषियों को दण्डित करने की मांग

19–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ एवं रबी फसल में उतरौला विधान सभा क्षेत्र में किन-किन किसानों को 1 जनवरी, 1998 से 15-6-98 के बीच में उर्वरक, बीज अनुदान के रूप में दिये गये ? क्या यह सही है कि किसानों को बीज एवं उर्वरक न देकर बाजार में बेच दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार भौतिक सत्यापन कराकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

इस अवधि में विधान सभा क्षेत्र उतरौला के 186 कृषकों को अनुदान पर बीज दिया गया था, जिसकी सूची संलग्न है। †

उर्वरकों पर अनुदान अनुमन्य नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1996 से 1998 के बीच कृषि उत्पादन मण्डी समिति उतरौला द्वारा पेयजल हेतु लगाये गये इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों की जांच

20–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996 से 1998 के बीच में कृषि में कृषि उत्पादन मण्डी समिति ने उतरौला में जितने इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये थे ? क्या वे सब खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराकर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मण्डी समिति उतरौला क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नगत अवधि में 05 नग इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये गये।

ऐसी सूचना नहीं मिली है।

---

† सूची छापी नहीं गयी।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लगाये गये पांच हैण्ड पम्प में से कोई हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना नहीं है ।

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम जंगल रसूलपुर नं० 02 बंगाली टोला में धोबियों के पेशे हेतु 04 बीघा जमीन सुरक्षित किये जाने की मांग

21–श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा में कितने ग्रामों को चकबन्दी प्रक्रिया में लेकर कितने का धारा–52 का प्रकाशन हो चुका है तथा कितने का अभी बाकी है ? इस प्रकार के किन-किन गांवों में कितनी-कितनी मात्रा में कपड़ा सुखाने हेतु जमीन व किस नम्बर की पोखरी व तालाब कपड़ा धोने हेतु छोड़ा गया है ? क्या इसमें ग्राम-जंगल रसूलपुर नं०–02 भी है । जहां बंगला टोला पर मात्र 05 डिसमिल जमीन कपड़ा सुखाने हेतु छोड़ी गयी है ? यदि हां, तो क्या यहां धोबियों के पेशों को देखते हुए 04 बीघा जमीन सुरक्षित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महोबा के मौजा महराजनगर चरखारी में सन् 1987 में आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना हेतु आवंटित भूमि पर अवैध कब्जों की जांच

22–श्री छोटे लाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालय के लिए आवंटित भूमि गाटा संख्या–1179 मौजा महराजनगर चरखारी (महोबा) को सन् 1987 में आश्रम पद्धति स्कूल के लिए एक्वायर किया गया था ? क्या उक्त जमीन की बजारू कीमत ढ़ाई लाख रुपये है ? क्या यह सही है कि किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी ढंग से उक्त जमीन पर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उक्त गाटा संख्या–1179/1.50 एकड़ स्थित मौजा महराजनगर का प्रस्ताव आश्रम पद्धति स्कूल के लिए जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 4-7-88 को भेजा गया था, परन्तु स्वीकृति के अभाव में उक्त स्कूल के लिए जिला अधिकारी द्वारा मौजा–सुहरगांव में भूमि उपलब्ध करा दी गयी थी ।

उक्त भूमि की बाजारू कीमत तत्समय रुपये 7500/- थी । वर्तमान में इसकी कीमत लगभग 2,40,000/- रुपये है ।

जी हां । उक्त भूमि के 0.40 एकड़ पर 10 व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया जाना पाया गया है ।

इनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा रही है तथा धारा–04 पी० पी० ऐक्ट के अन्तर्गत वाद उप जिलाधिकारी के न्यायालय में दायर किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि प्रसार भवन, बहराइच द्वारा भूमि संरक्षण कार्य में लगे मजदूरों को अनुमन्य मजदूरी न दिये जाने तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने की मांग

23–श्री संजय गर्ग तथा श्री महराज सिंह यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि प्रसार भवन, बहराइच द्वारा भूमि संरक्षण कार्य में लगे मजदूरों को शासन द्वारा अनुमन्य मजदूरी नहीं दी जाती है तथा अनेक फर्जी कार्यों को दिखाकर एवं मजदूरों की मजदूरी कम करके प्रतिवर्ष लाखों रुपये की हेराफेरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व लखनऊ में भूमि अध्याप्ति अमीनों की प्रोन्नति के संबंध में जानकारी

24–श्री किशन लाल बघेल–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व लखनऊ के परिपत्र संख्या–3133–3333/10(भू०अ०)13स/91, दिनांक 18-3-94 द्वारा वेतनमान 950–1500 में कार्यरत भूमि अध्याप्ति अमीनों को प्रोन्नति वेतनमान 1350–2200 अनुमन्य कराया गया है ? क्या इन अमीनों की प्रोन्नति सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त परिपत्र शासन की पूर्वानुमति से जारी किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के तप्पा-राजधानी, परगना हवेली, तहसील चौरी-चौरा के ग्राम विशुनपुर मटियरा के भूखण्ड संख्या–400 व 401 पर सर्वश्री पोल्हन, फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक सांसद सहित अन्य लोगों के नाम आवासीय स्थल अभिलेखों में अंकित किये जाने के संबंध में जानकारी

25–श्रीमती गौरी देवी–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के तप्पा-राजधानी, परगना हवेली, तहसील चौरी-चौरा के ग्राम–विशुनपुर मटियरा के भूखण्ड संख्या–400 व 401 में इसके अगल-बगल के अन्य नम्बरों में सर्वश्री पोल्हन, फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद रामवृक्ष निषाद, खदेरू निषाद, सोबरी दर्जी, नेबूलाल निषाद, अजमतुल्लाह, कादिर, ललई आदि का घराना सैकड़ों वर्ष से बसा चला आ रहा है ? क्या यह जमीन कुछ अन्य लोगों के नाम अंकित है ? यदि हां, तो क्या इसकी मौके की

जांच कराकर आवासीय स्थल अभिलेखों में अंकित कराकर समस्या का समाधान करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

26–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

राजस्व परिषद् के आदेश संख्या–10374/429/12-46ए–71, दिनांक 2-5-76 के अनुसार कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं को अद्यावधिक किये जाने की जानकारी

27–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि परिषदादेश संख्या–10374–429/12–46ए–71, दिनांक 2-5-1976 में निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं को अद्यावधिक किया जाय तथा उन्हें कर्मचारियों को दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाय ? क्या व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा है ? क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्ति के बाद अनिवार्य रूप से सभी का भविष्य निधि काटा जाय और कर्मचारियों को उसके लेखे का हिसाब भी उसे दिया जाय ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने संबंधी किसी भी जनपद/मण्डल के किसी कर्मचारी की कोई शिकायत राजस्व परिषद् में प्राप्त नहीं हुई है ।

जी हां । पूर्व से ही ऐसे निर्देश हैं ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम जमालपुर काजी, तहसील सदर (निजामाबाद) में अवैध कब्जा हटाने हेतु उप जिलाधिकारी, सदर, (निजामाबाद) का तहसीलदार सदर (निजामाबाद) को पत्र

28–श्री राम नक्षत्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमालपुर काजी, तहसील सदर (निजामाबाद) जनपद–आजमगढ़ के गाटा संख्या–276 रकबा 100 कड़ी अनुसूचित जाति आबादी से अवैध कब्जा हटाने हेतु उप जिलाधिकारी, सदर (निजामाबाद)का पत्र दिनांक 23-8-95 तहसीलदार, सदर (निजामाबाद) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जा हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्नगत पत्र तहसीलदार सदर आजमगढ़ को प्राप्त नहीं हुआ है ।

ग्राम–जमालपुर काजी, तहसील निजामाबाद स्थित गाटा संख्या–276 में बना हाल नं० 489 क्षेत्रफल 100 कड़ी के 045 कड़ी क्षेत्रफल पर अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति श्री बहाल पुत्र बोधई का

बतौर आबादी (सहन) कब्जा 3 जून, 1995 के पूर्व से मौजूद रहने के कारण जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 123 (1) के अन्तर्गत आबादी घोषित कर दिया गया है तथा शेष 055 कड़ी भूभाग से 1 पेड़ गूलर, 9 पेड़ अमरूद, 2 पेड़ आम तथा 3 पेड़ सफेदा कटवा कर एवं अवैध चहारदीवारी गिरवा कर अतिक्रमण हटवा दिया गया है ।

29–डा० छोटे लाल वर्मा–

[दिनांक 2-7-98 को अता० प्र० सं०–55 द्वारा उत्तरित]

जिला अम्बेडकर नगर के ग्राम मुकेरीपुर, पो०–गोसाईगंज, तह०–अकबरपुर की बाग का पुराना नं० खा० सं०–66, वर्तमान नं० खा० सं०–111 को नक्शे में रकबे के अनुसार ठीक कराने के आदेश

30–श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मुकेरीपुर, पो०–गोसाईगंज, तह०–अकबरपुर जिला–अम्बेडकर नगर की बाग जिसका पुराना नं० खा० सं०–66, वर्तमान नं० खा० सं०–111 के रकबे को पूर्ववत् यथावत् रखते हुए, उक्त खाते की लम्बाई/चौड़ाई को वर्तमान नक्शे में बढ़ाकर सम्पूर्ण ग्राम की आबादी और रास्ते को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त बाग की लम्बाई/चौड़ाई नये नक्शे में किसके आदेश/निर्देश के तहत बढ़ाई गयी और क्यों ? क्या इस बढ़े बाग के चौड़ाई/लम्बाई के पास के खाते प्रभावित हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित बाग के खाते की वर्तमान नक्शे में रकबे के अनुसार शीघ्र ठीक करने का आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चकबन्दी विभाग, उ० प्र० मिर्जापुर में चकबन्दी प्रक्रिया के नियमानुसार संचालन के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही के निर्देश

31–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा केवल राजकीय प्रयोग हेतु प्रसारित उ० प्र० जोत, चकबन्दी मैनुअल के परिच्छेद–4 में क्रमांक 88 पर अंकित शासनादेश संख्या–सी–114/सी एच–जी 557/59, दिनांक 5 मई, 1959 का अनुपालन मिर्जापुर जनपद के चकबन्दी कर्मियों द्वारा किये जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त जनपद में चकबन्दी कर्मियों द्वारा चकबन्दी समिति के सदस्यों की खुलेआम उपेक्षा करके चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत मनमानी कार्यवाहियां सम्पादित की जा रही हैं, जिससे अमुक गांवों में गम्भीर गुटबन्दी एवं तनाव का माहौल पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार चकबन्दी प्रक्रिया के नियमानुसार संचालन के लिए उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तत्काल प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मिर्जापुर को चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र० का ग्राम शिकारपुर, परगना भगवत, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर की चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त करने विषयक प्रेषित पत्र

32–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०–93 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र० का पत्र सं०–869/जी–606/98, दिनांक 13 फरवरी, 1998 जो ग्राम शिकारपुर, परगना भगवत, तहसील चुनार, जिला–मिर्जापुर की चकबन्दी प्रक्रिया दिसम्बर, 1998 तक प्रत्येक दशा में समाप्त करने विषयक है, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है ? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने एवं दिसम्बर, 1998 तक चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

अब तक चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा विनिमय अनुपात निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा अग्रिम प्रक्रिया प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–मैनपुरी के गांधी ग्राम जमौरा ब्लाक बेवर में नवीन पंचायतघर के निर्माण में व्यय धनराशि तथा उसका भौतिक सत्यापन

33–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि गान्धी ग्राम–जमौरा, ब्लाक बेवर, जनपद–मैनपुरी में नवीन पंचायतघर का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो उसमें कितना धन गांव पंचायत का और कितना धन सरकार का लगा है ? क्या यह सच है कि उक्त पंचायतघर का निर्माण मानक के अनुसार नहीं कराया गया है ? क्या जिला स्तर के किसी अधिकारी ने मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सच है कि उक्त पंचायतघर निजी जमीन में निर्मित है और प्रधान द्वारा निजी प्रयोग में लाया जा रहा है ? क्या सरकार पंचायतघर की जमीन को पंचायतघर के नाम दर्ज करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

इस योजना में शासन का रु० 45,000 और गांव सभा का रु० 38,494=00 धन लगा है ।

पंचायतघर का निर्माण मानक से भी अच्छा कराया गया है ।

जी हां, इस पंचायत भवन का भौतिक सत्यापन जिला स्तर के सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रा०) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, पंचायतघर गांव समाज की सार्वजनिक भूमि पर निर्मित कराया गया है । प्रधान द्वारा निजी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सन्त रविदास नगर (भदोही), तहसील ज्ञानपुर, गांव सभा औराई के गाटा सं०–546/773 के संबंध में तत्कालीन मुख्य सचिव को भेजा गया प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

34–श्री प्रमोद कुमार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 7-11-1996 को प्रश्नकर्ता द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव को भेजा गया पत्र जो गांव सभा औराई तहसील ज्ञानपुर जिला सन्त रविदास नगर (भदोही) के गाटा संख्या–546/773 के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम, मनकुआ ब्लाक, अल्हेपुर तहसील धामपुर, जिला बिजनौर में ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जे हटाकर पंचायतघर का निर्माण कराये जाने के संबंध में जानकारी

35–श्री मूलचन्द्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम मनकुआ ब्लाक अल्हेपुर तहसील धामपुर जिला बिजनौर में ग्राम समाज की भूमि पर जिसमें पंचायतघर भी है, को खाली कराकर/अवैध कब्जा हटाकर पंचायतघर का निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत भूमि का मामला सिविल जज नगीना के न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय का निर्णय जब तक नहीं हो जाता है, कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० श्री रमेश चन्द्र शर्मा, लेखपाल, तहसील बिसौली, जनपद बदायूं के सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान आश्रितों को किये जाने की मांग

36–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री रमेश चन्द्र शर्मा लेखपाल, तहसील बिसौली, जनपद बदायूं की मृत्यु दिनांक 6-9-95 को सेवाकाल में ही हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान उनके आश्रितों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं । इनके सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान सामूहिक बीमा योजना निदेशालय, लखनऊ से होता है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी, बदायूं के कार्यालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करके प्रकरण बीमा निदेशालय को पत्रांक 509/सात–भूलेख, दिनांक 16-7-98 को भेजा गया है ।

बीमा निदेशालय के यहां प्रकरण अभी लम्बित है ।

जनपद बलरामपुर, तहसील उतरौला, ग्राम इटई रामपुर में धारा 52 के प्रकाशन के उपरान्त अभिलेख न जमा करने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का मा० राजस्व मंत्री को पत्र

37–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक प्रकोष्ठ का पत्र सं०–एम–4/76–9/गोण्डा/97, दिनांक 27-9-97 जो ग्राम इटई रामपुर तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर में धारा 52 के प्रकाशन के उपरान्त अभिलेख न जमा करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके संबंध में कब तक कार्यवाही की जायेगी ? क्या सरकार की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

धारा–52 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु अभिलेख तैयार कराकर तहसील में दिनांक 28-1-98 को जमा करा दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिनेश राय तत्कालीन सचिव, पशुधन तथा डा० मूलचन्द्र, संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण के विरूद्ध पशुपालन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का पशुधन मंत्री को शिकायती पत्र तथा उसकी जांच की मांग।

38–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश राय तत्कालीन सचिव, पशुधन एवं डा० मूलचन्द्र, संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण के विरूद्ध पशुपालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कोई पत्र अक्टूबर, 1997 से जनवरी, 1998 के बीच उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो

उक्त शिकायती-पत्र की मुख्य शिकायतें क्या हैं? क्या उन शिकायतों की जांच कराई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोरख प्रसाद निषाद–

जी हां।

शिकायती पत्र में मुख्य रूप से अधिकारियों/कर्मचरियों के स्थानान्तरण में रुपया लेने, भारी मात्रा में नकली दवायें तथा उपकरण खरीदने, रोक के बावजूद अनियमित नियुक्तियां करने, कर्मचारियों को भयभीत कर रुपया वसूलने तथा शासन को क्षति पहुंचाने की शिकायतें हैं।

जी नहीं। जांच हेतु सक्षम स्तर से निर्णय लिया जा रहा है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में श्रेणी-2 से श्रेणी-1 में पदोन्नति हेतु डी० पी० सी० कराये जाने की मांग।

39–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि उनके विभाग में श्रेणी-2 से श्रेणी 1 में पदोन्नति हेतु पद रिक्त होते हुए भी कई वर्षों से डी०पी०सी० न होने के कारण पदोन्नतियां नहीं की गयी हैं। यदि हां, तो क्या वांछित डी०पी०सी० की बैठक आगामी एक माह में कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां।

डी०पी०सी० की बैठक यथाशीघ्र कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नवसृजित जिला चम्पावत के लिए ''जिला पंचायत'' भवन का निर्माण लोहाघाट में कराये जाने की जानकारी

40–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जिला चम्पावत के लिए ''जिला पंचायत'' मुख्यालय भवन लोहाघाट के लिए प्रस्तावित है? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति एवं जिलाधिकारी, बरेली द्वारा तहसील नवाबगंज में सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु निदेशक, मण्डी परिषद् लखनऊ को भेजा गया पत्र

41–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बरेली एवं जिलाधिकारी, बरेली ने तहसील नवाबगंज में 12 सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु दिनांक 1-1-97 को प्रस्ताव संख्या–96 निदेशक, मण्डी परिषद् लखनऊ को भेजा है ? यदि हां, तो निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा कितने सम्पर्क मार्ग बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? सरकार इन सभी सम्पर्क मार्गों का निर्माण कब तक करा देगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मण्डी समिति बरेली की वित्तीय स्थिति के सापेक्ष पूर्व के अधिक लागत के कार्य चल रहे होने के कारण सन्दर्भगत मार्गों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के थाना सण्डीला के ग्राम रामपुर थाना में देशी शराब की दुकान का लाइसेंस

42–श्री रामपाल वर्मा–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत थाना सण्डीला के ग्राम रामपुर में देशी शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस निर्गत हुआ था ? यदि हां, तो ग्राम रामपुर थाना में दुकान न खोलकर ग्राम पिरकापुर में दुकान खोलने का क्या औचित्य है ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं ।

थाना सण्डीला, जनपद हरदोई में रामपुर थाना के नाम से कोई देशी शराब की दुकान स्वीकृत नहीं है, परन्तु ग्राम रम्पुरवा के लिए देशी शराब का लाइसेंस निर्गत हुआ है । ग्राम पिरकापुर, जो ग्राम रम्पुरवा का ही मजरा है, में न तो कोई देशी शराब की दुकान खोली गयी और न चल रही है ।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर के ग्राम सभा परनी में खड़ंजा निर्माण में प्रयुक्त ईंट/पत्थर की दरें

43–श्री विजय सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर के ग्राम सभा परनी में जो खड़ंजा निर्माण हुआ है उसमें जो ईंट प्रयोग में लाया गया है किस दर से, कहां से तथा कितने तादाद में क्रय किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त खड़ंजा परनी बांध के स्केप के पत्थर (बोल्डर) से बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या पत्थर (बोल्डर) प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गयी थी ? यदि हां, तो किससे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को श्री आर० सी० द्विवेदी, मण्डलायुक्त, मिर्जापुर मण्डल तथा उ० प्र० शासन द्वारा प्रेषित आदेश पत्रांक 14-2/519–87/97 अध्यक्ष (2) दिनांक 20-3-97, जो मिर्जापुर में सरदार पटेल मार्ग पटेल नगरे, अदलहाट से कैलहट वाया परमहंसपुरी मार्ग का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराये जाने विषयक, पत्र

44–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० शासन द्वारा प्रेषित आदेश पत्रांक 14-2/519–87/97 अध्यक्ष (2) दिनांक 20-3-97, जो मिर्जापुर जनपद में सरदार पटेल मार्ग पटेल नगर, अदलहाट से कैलहट वाया परमहंसपुरी मार्ग का निर्माण कराने जाने विषयक है, प्रमुख सचिव, लो०नि०वि० को प्राप्त हुआ है ? क्या श्री आर० सी० द्विवेदी, मण्डलायुक्त, मिर्जापुर मण्डल ने प्रमुख सचिव, लो०नि०वि० को डी०ओ० नं० 370/वै०सहा०/अगस्त, 3, 1997 प्रेषित करके उक्त मार्ग का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार प्रश्नगत मार्ग का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने हेतु तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राक्कलन के अनुसार धन अवमुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पंचायत मिर्जापुर द्वारा राजकीय अनुदान से कैलहट से रामपुर तक मार्ग का निर्माण 0 कि०मी० से 5 कि०मी० पेटिंग स्तर तक कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जनपद में बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों में धन बीमा योजना लागू किये जाने की जानकारी

45–श्री अफजाल अहमद–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा पंजीकृत बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों के सदस्यों को बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित कर प्रमाण-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो क्या धन बीमा योजना लागू की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री बाबू राम एम०काम०)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन के उद्योग विभाग द्वारा कथित बीमा योजना संचालित नहीं है ।

जिला उद्योग केन्द्र सुल्तानपुर में कार्यरत स्व० श्री अशोक कुमार सिंह की ग्रेच्युटी आदि का भुगतान किये जाने के संबंध में जानकारी

46–श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर के जिला उद्योग केन्द्र में कार्यरत स्व० श्री अशोक कुमार सिंह जिनकी मृत्यु उनके सेवाकाल में ही दिनांक 28-10-94 को हो गयी थी, की ग्रेच्युटी आदि का भुगतान उनके आश्रितों को कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक सुनिश्चित करा दिये जायेंगे ?

श्री बाबू राम एम०काम०–

स्व० श्री अशोक कुमार सिंह, प्रशिक्षक (मशीनिस्ट), राजकीय पायलट वर्कशाप सुल्तानपुर, जिनकी मृत्यु उनके सेवाकाल में दिनांक 28-10-1994 को हुई थी, के आश्रितों को पेंशन, अवकाश नकदीकरण एवं जी०पी०एफ० का भुगतान किया जा चुका है । परन्तु त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप अधिक भुगतान हो जाने तथा भण्डार की कमी के कारण ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है । उक्त अधिक भुगतान की धनराशि तथा भण्डार की कमी की धनराशि कटौती कर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जायेगा ।

जनपद जालौन की कृषि उत्पादन मण्डी समिति उरई, कालपी तथा कोंच में अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की बिक्रीकर की चोरी की जांच

47–श्री श्रीराम पाल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन की कृषि उत्पादन मण्डी समिति उरई, कालपी तथा कोंच में बड़े पैमाने पर फर्जी फर्मों द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से गेट पास बनवा कर कारोबार किया जा रहा है तथा करोड़ों रुपये बिक्रीकर की चोरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों मण्डियों में कार्यरत फर्मों की वर्ष 1997-98 में किये गये कारोबार की जांच व सत्यापन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

जनपद जालौन के उरई तथा कोंच मण्डी समिति में पंजीकृत फर्मों के कुछ अराजक तत्व सुनियोजित ढंग से व्यापार कर अपवंचन में लिप्त पाये गये ।

व्यापार कर विभाग द्वारा करापवंचक व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर माह जुन, 1997 में उरई व कोंच में सामूहिक रेड डलवायी गयी । समय-समय पर इन मण्डियों के करापवंचक व्यापारियों से भारी मात्रा में जमानत/अर्थ दण्ड की धनराशि वसूल की गयी तथा पंजीयन प्रमाण-पत्रों को निरस्त कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम हरखपुर कौड़हा, तहसील अकबरपुर, निवासी श्री नान्हू पुत्र करामत हुसैन द्वारा हरिजन बनकर शासकीय सुविधाओं का लाभ अर्जित किये जाने की जांच

48–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुखराजी पत्नी मिश्रीलाल चमार, निवासी ग्राम हरखपुर कौड़हा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद ने जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 16-2-93 को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि उसके गांव के निवासी श्री नान्हू ने फर्जी तरीके से अपनी जाति धर्म चमार लिखवाकर हरिजनों को शासन द्वारा प्राप्त सुख-सुविधाओं का उपयोग किया है और उसी आधार पर उसका खानदानी बनकर जमीन जायदाद हड़प लेना चाहता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा उसकी जांच अपने स्तर से करायी और उक्त संबंध में सी०डी०ओ० फैजाबाद को कोई आदेश भी दिया ? यदि हां, तो जिलाधिकारी ने जांच के दौरान शिकायत के आधार पर उक्त के संबंध में प्रार्थिनी से व अन्य माध्यमों से कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त किये और क्या आदेश किया ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जिलाधिकारी के स्तर से जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री नान्हू करामत हुसैन के पुत्र हैं जो हरिजन बनकर अनेकों शासकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं । इस पर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 15-4-93 को परगनाधिकारी, अकबरपुर को विस्तृत छानबीन करके यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि श्री नान्हू द्वारा अवैधानिक रूप से किसी सुविधा का लाभ न लिया जा सके । यदि कोई ऐसा लाभ अर्जित किया जा रहा हो तो उससे तत्काल वंचित किया जाना सुनिश्चित किया जाय । सी०डी०ओ०, फैजाबाद को पत्र की प्रति पृष्ठांकित करते हुए अपेक्षा की गयी थी कि यदि कोई सुविधा श्री नान्हू द्वारा प्राप्त की गयी हो तो उसकी वसूली तत्काल सुनिश्चित की जाय । तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाय ।

जिलाधिकारी के आदेशानुसार मुख्य टास्क फोर्स अधिकारी/अर्थ एवं संख्याधिकारी से आख्या प्राप्त की गयी । आख्या दिनांक 12-4-94 के अनुसार श्री नान्हू ने आई०आर०डी० योजना में स्पेलर लगाने हेतु मु० 2500 रु० अनुदान व 2500 रु० ऋण प्राप्त किये । वसूली हेतु दिनांक 28-4-94 को परगनाधिकारी, अकबरपुर को निर्देशित/खण्ड विकास अधिकारी, अकबरपुर को निदेशित किया गया । दिनांक 28-4-94 को ही थाना मालीपुर, फैजाबाद में भा०द०वि० की धारा 467/468 के अन्तर्गत श्री नान्हू के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया । तदनुसार मु० 2500 रु० की वसूली भी की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में आवंटित धनराशि का विवरण

49–श्री राम नरेश यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता प्रति व्यक्ति उ० प्र० में कम होती जा रही है ? यदि हां, तो इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम किसानों

को दिया है ? उस पर कितने करोड़ रुपये की धनराशि विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में आवंटित की गयी थी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

उ० प्र० में विगत तीन वर्षों में दलहन एवं तिलहन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता निम्नवत् रही :–

वर्ष	दलहन (ग्राम में)	तिलहन (ग्राम में)
1994-95	40	23
1995-96	35	23
1996-97	41	25

प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना एवं तिलहन उत्पादन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वृद्धि के लिए कृषकों को 49 जनपदों में दलहन परियोजना तथा 68 चयनित जनपदों में तिलहन उत्पादन कार्यान्वित किया जा रहा है । उक्त परियोजनाओं के कार्यक्रम का विवरण निम्नवत् है :–

दलहन	तिलहन
1–प्रमाणित बीज वितरण	1–प्रमाणित बीज वितरण
2–राइजोबियम कल्चर/पी०एस०बी वितरण	2–राइजोबियम कल्चर/ पी०एस०बी वितरण
3–बीज मिनीकिट वितरण	3–बीज मिनीकिट वितरण
4–कृषि यन्त्र वितरण	4–कृषि यन्त्र वितरण
5–कृषि रक्षा उपकरण वितरण	5–कृषि रक्षा उपलब्ध वितरण
6–स्प्रिंकलर सेट वितरण	6–स्प्रिंकलर सेट वितरण
7–खण्ड प्रदर्शन आयोजन	7–खण्ड प्रदर्शन आयोजन
8–आई०पी०एम० प्रदर्शन	8–आई०पी०एम० प्रदर्शन
9–बीज शोधन	9–बीज शोधन
10–प्रशिक्षण आयोजन	10–प्रशिक्षण आयोजन
	11–सफेद गिडार
	12–जिप्सम/पाइराइट वितरण ।

दलहन/तिलहन योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में बजट से आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	दलहन योजना (रु० करोड़ में)	तिलहन योजना (रु० करोड़ में)
1995-96	6.39	9.625
1996-97	9.58	10.66
1997-98	7.16	7.14

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के छात्रावास में घटिया भोजन दिये जाने विषयक विधायक श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी'' का शिकायती-पत्र एवं जांच

50–श्री ओम प्रकाश–

क्या खेलकूद मंत्री को जानकारी है कि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में छात्रावास में रह रहे छात्रों को घटिया किस्म का भोजन दिये जाने के संबंध में विधायक श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी'' का पत्र संख्या–272953, दिनांक 3-12-1997 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है ? क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ? क्या संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ? क्या वर्ष 1998-99 की खाद्य सामग्री का टेण्डर कराया जाना प्रस्तावित है ?

खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उद्योग निदेशालय तथा प्रदेश के समस्त जिला उद्योग केन्द्रों हेतु महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकगण, प्रबन्धक तकनीकी, प्रबन्धक विपणन तथा प्रबन्धक परियोजना के स्वीकृत पद तथा नियुक्ति की मांग

51–डा० वकार अहमद शाह–

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–3026/10-297-527-3-1/97, दिनांक 24-10-97 द्वारा उद्योग निदेशालय तथा उ० प्र० के समस्त जिला उद्योग केन्द्रों हेतु कुल कितने महाप्रबन्धकों तथा प्रबन्धकगण, प्रबन्धक तकनीकी, प्रबन्धक विपणन, प्रबन्धक परियोजना के पद स्वीकृत हैं ? कितने जिलों में उक्त अधिकारी तैनात हैं तथा कितने पद रिक्त है ? रिक्त महाप्रबन्धकों एवं प्रबन्धकों के पदों को कब तक भरा जायेगा ? विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री बाबूराम, एम० काम०–

शासनादेश संख्या–3028/18-2-97–5(ल०उ०)/97, दिनांक 24-10-97 द्वारा उद्योग निदेशालय तथा प्रदेश के समस्त जिला उद्योग केन्द्रों हेतु महाप्रबन्धक, प्रबन्धकगण, प्रबन्धक तकनीकी, प्रबन्धक विपणन तथा प्रबन्धक परियोजना का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के काश्तकार भगवानदास गोयल, कृष्ण प्रकाश गोयल व गुरुनाम सिंह आदि की सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि का नियमानुसार वितरण

52–श्री राजधारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के काश्तकार भगवान दास गोयल, कृष्ण प्रकाश गोयल, जितेन्द्र प्रकाश गोयल व तृतीय पक्ष गुरुनाम सिंह आदि की ग्राम-बहरिया,

मुसावी तहसील हल्द्वानी की कितनी भूमि सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित की गयी है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि के संबंध में सीलिंग वाद अपील माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित होने के बावजूद बन्दोबस्त अधिकारी व माल विभाग द्वारा खातेदारों व कब्जेदारों को भूमिधर दर्ज कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम की भूमि के संबंध में मूल खातेदारों को सीलिंग के अतिरिक्त घोषित भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है ? क्या अतिरिक्त घोषित भूमि नियमानुसार वितरित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

99 एकड़ ।

यह सही है कि उक्त भूमि में अनाधिकृत कब्जेदारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी जिस कारण कब्जा नहीं लिया जा सका । यद्यपि सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया एवं पैरवी सुनिश्चित की जा रही है । फलस्वरूप राजस्व अभिलेखों में खतौनी 1395 फसली से 1400 फसली तक उक्त आराजी पर राजस्व अभिलेखों में कोई इन्द्राज नहीं किया गया । 1400 फसली के बाद बन्दोबस्त प्रक्रिया में आने के कारण उक्त ग्राम से संबंधित राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त कार्यालय भेज दिये गये । बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उक्त आराजी के संबंध में सीलिंग वाद की जानकारी न होने के कारण 229बी ज०वि०अधि० में स्वस्वाधिकार दे दिया गया है । जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की विधिक राय के अनुसार ऐसा करना सहायक अभिलेख अधिकारी के क्षेत्राधिकार के बाहर था । जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के प्रश्नगत प्रकरण में विधिक परीक्षण के उपरान्त विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।

जी नहीं ।

मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण अतिरिक्त घोषित भूमि का आवंटन नहीं किया गया ।

विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत राष्ट्रीय जलागम इकाई बलरामपुर द्वारा वर्ष 1995-96 व 1996-97 में हुसैनाबाद प्रथम/धौरहरा प्रथम/गजपुर ग्रन्ट प्रथम व द्वितीय आदि परियोजनाओं पर व्यय धन का विवरण

53–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत राष्ट्रीय जलागम इकाई बलरामपुर द्वारा वर्ष 1995-96 व 1996-97 में हुसैनाबाद प्रथम/धौरहरा प्रथम/गजपुर/पकड़ी भुवार/ऐलगा/दौलताबाद/गजपुर ग्रन्ट प्रथम सोनहट प्रथम/गजपुर ग्रन्ट द्वितीय का कार्य कराया गया है ? इस योजना में उक्त वर्षों में कितना धन प्राप्त हुआ ? कितना धन व्यय किया गया तथा कितना धन शेष है ? क्या कार्य मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत राष्ट्रीय जलागम इकाई बलरामपुर द्वारा वर्ष 1995-96 व 96-97 में परियोजना गजपुर को छोड़कर शेष परियोजनाओं में कार्य कराया गया है। गजपुर के नाम से कोई कार्य परियोजना नहीं है।

इस योजना के अन्तर्गत उक्त वर्षों में कुल रु० 25.491 लाख प्राप्त हुआ है।

रु० 21.088 लाख व्यय किया गया और रु० 4.403 शेष रहा।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा द्वारा सड़क के डामरीकरण में बरती गयी अनियमितताओं की जांच

54–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा द्वारा सड़क डामरीकरण में बरती गयी अनियमितताओं की शिकायत के संबंध में विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम०–3/8516/मथुरा/98, दिनांक 30-3-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

निदेशक पंचायती राज को जांच के आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं।

कृषि सचिव शाखा में कार्यरत सचिवालय कर्मचारियों को वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाना

55–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि सचिव शाखा में कार्यरत कई पात्र सचिवालय कर्मचारियों अभी तक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 5-2-1997 के अनुसार दिनांक 1-3-1995 से 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन पात्र कर्मचारियों को वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान किन-किन कारणों से स्वीकृत नहीं किया गया है ? पात्र कर्मचारियों को कब तक वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ज्वलन्त समस्याओं के संबंध में यहां प्रश्न लगाते हैं । नियमावली में व्यवस्था दी गयी है अल्पसूचित प्रश्न 24 घण्टे में और तारांकित प्रश्न 20 दिन पूर्व आपके कार्यालय में दिये जाते हैं । बहुत से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा दिनों से लगे हुए हैं, अब सत्र समाप्त होने जा रहा है, अगर अभी तक आपके कार्यालय में उत्तर आये होते तो आज 10 ही तारांकित प्रश्न न लगते । नियम 33 में 20 प्रश्न तक लगाने की व्यवस्था है आज आपके कार्यालय को मजबूर हो करके सरकार के द्वारा समय से उत्तर न देने के नाते 10 ही प्रश्न लगाने पड़े । जिसमें कई के उत्तर यह आये कि सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, जो इस सदन की मान्य परम्परा है उसके प्रतिकूल है । मान्यवर, आप इस पर शक्त व्यवस्था दें । माननीय श्यामदेव राय चौधरी कह रहे थे कि 1997 से उत्तर नहीं आ रहा है तो यह तो सदन का मखौल सा हो गया है, सदन के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है । मैं चाहूंगा कि इस पर आप व्यवस्था दें और ऐसी व्यवस्था दें कि आने वाले दिनों में एक नजीर बने और उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो नियमावली में व्यवस्था है, जो इसकी गौरवशाली व्यवस्था है उसका अनुपालन हो सके । और 20 प्रश्न कम से कम लगें और सारे प्रश्न उत्तरित हो गये अगर 20 सवाल लगे होते तो 20 मामलों में प्रदेश की जनता को लाभ मिला होता और उन पर सदस्यों को अनुपूरक पूंछने का मौका मिला होता ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता है । चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों । यह पिछले अनेक वर्षों से मैं देख रहा हूं लेकिन इसमें लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है । हमारी जो प्रक्रिया नियमावली है इसमें बड़े विस्तारपूर्वक सभी विषयों के बारे में नियम बनाये गये हैं कुछ अन्य प्रदेशों ने और केन्द्र ने इसके नियमों को उद्धृत किया है और इसके आधार पर नियम बनाये हैं । अपेक्षा की जाती है कि शासन इसका अनुपालन करेगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जो नियमों में समय सीमा दी है उसके अन्दर प्रश्नों का उत्तर आ जाय । कुछ यह प्रवृत्ति दिखायी दे रही है, पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि अधिकारीगण प्रश्नों की उपेक्षा कर जाते हैं । मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि पहले विधान सभा में प्रश्न होता था और उसके बाद एक बार किसी अधिकारी के पास जाता था तो सारे कार्यालय के अन्दर लोगों को चिन्ता हो जाती थी कि प्रश्न हुआ है और जवाबदेही विधान सभा में होगी । तो जिनके ऊपर प्रश्नों का उत्तर देने का दायित्व है वह सजग रहें । विधान सभा में जो पूछा जाता है उसको गम्भीरतापूर्वक लें और समय के अन्दर उसका उत्तर भिजवा दें ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 45 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में श्लाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं । पहली सूचना श्री आलमबदी की, दूसरी सूचना श्री मुरलीधर की, तीसरी दो सूचना श्री अजय कुमार पोइया की, चौथी सूचना श्री राजपाल सिंह बालियान की, पांचवीं सूचना

श्री तौफीक अहमद की, छठी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की तथा सातवीं सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय की है, जिसमें से श्री राजपाल सिंह बालियान और श्री तौफीक अहमद अनुपस्थित हैं । इनकी जगह पर मैं प्रतीक्षा सूची में श्री बाबू राम यादव तथा श्री तेजभान सिंह की सूचना ले रहा हूं । श्री तेजभान सिंह भी अनुपस्थित हैं ।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

प्रदेश में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी–

[महोदय, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा स्कूलों को शासन द्वारा यह आदेश किये गये हैं कि अंग्रेजी व संस्कृत को कक्षा 3 से 5 तक अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाय । भारत माता की तस्वीर पर फूल चढ़ाये । तत्पश्चात् वन्देमातरम् का गान करें । शिशु मन्दिरों को बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्रदान की जाय । छात्र हाजिरी के लिए नाम पुकारे जाने पर वन्देमातरम् करेगें। यह संविधन की धारा 28ए का खुला उल्लंघन है ।

वहीं पर उर्दू भाषा को सरकारी दूसरी जुबान है उसको सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में रखने की इजाजत नहीं दी गयी है । यह संविधान की धारा 25 जो कि मौलिक अधिकार देती है, का उल्लंघन है और उर्दू भाषा के विकास के लिए बाधक है । इसी प्रकार 1995 से आज तक उर्दू टीचरों की नियुक्ति नहीं की गयी है जब कि स्थान रिक्त हैं ।

इससे सारे मुस्लिम समुदाय एवं उर्दू भाषा से संबंधित लोगों में घोर निराशा एवं असन्तोष व्याप्त है ।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं ।]

जनपद फतेहपुर के किशनपुर क्षेत्रान्तर्गत कई चयनित गांवों में स्वीकृत हैण्ड पम्पों के लगवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुरलीधर–

[महोदय, मैं आपकी कृपापूर्ण अनुमति से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर, जनपद फतेहपुर में मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश से जल निगम फतेहपुर द्वारा हैण्ड पम्प इण्डिया मार्का–2 स्वीकृत किये गये गये थे जिनको अभी तक लगाया नहीं जा सका है । ग्राम की जनता को मेरे द्वारा स्थल प्रस्ताव करने के बाद जानकारी भी उपलब्ध करा दी थी लेकिन अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता दोनों ने अधिशासी अभियन्ता की मिलीभगत से उक्त चयनित स्थलों में हैण्ड पम्प स्थापित नहीं किया गया बल्कि अवैध तरीके से धन वसूली करके दूसरे स्थानों में स्थापित कर दिया गया है एवं कुछ हैण्ड पम्प बेच डाले गये हैं । वह हैं ग्राम रक्षपालपुर, में धनराज गडरिया, ग्राम नरोत्तमपुर में तुलसी चमार, ग्राम तिलोचनपुर, महावरपुर असहर, तक्कीपुर कछरा, इटोलीपुर, गदौरा मजरे सरौली, धरातपुरी नरवा, किशुनपुर, नसीरपुर बेलाई, धर्ममंगतपुर, रायपुर भसरौल, यहियापुर,

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नरतम का डेरा कुरियानी, मटरहन का डेरा खजना भैरो–2, गढ़ीवा मझगवां, सिहारी पट्टी, हरचन्द्रपुर, देवराज शिवपुरी, छोटेलाल सेलरहा, रजनापुर रिवाड़ी, रायपुर भसरौल, बटूहीपुर, गढ़ा नरौली चुन्नू के दरवाजे इत्यादि ग्रामों में चयनित सूची एवं मेरे प्रस्ताव के बाद भी हैण्ड पम्प स्थापित नहीं किये गये हैं जो जनहित में उचित नहीं है ।

अस्तु मैं चाहूंगा कि मेरे द्वारा चयनित स्थल में ही उक्त हैण्ड पम्प स्थापित किये जायें एवं अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता को अवैध वसूली के नाम पर जांच मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजे जाने के निर्देश शासन को देने की कृपा करें ।]

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों में क्षेत्रीय जनता को रोजगार दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं । जनपद मथुरा में मेरे विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में रिफाइनरी स्थित है तथा उससे संबंधित निर्भर अन्य औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं । परन्तु उनमें अकुशल-कुशल मजदूरों जैसे टर्नर, पेन्टर, सफाई-पुताई, बेल्डर सिलेण्डर का ढोना एवं उतारना, रोड बनवाना, घास काटना, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का कार्य ठेका प्रथा से कराये जाने के कारण क्षेत्रीय अकुशल मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जो कन्ट्रेक्टर मथुरा क्षेत्रीय रिफाइनरी के मजदूरों की अपेक्षा बाहर के राज्यों एवं सस्ते दरों वाले मजदूर बंगला देशी लगाये हुए हैं तथा कम वेतन पर 12-12 घण्टे काम लिया जाता है तथा सामाजिक उपलब्धियां जैसे भविष्य निधि आदि सभी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है । चूंकि संविधान की धारा 41 में राज्य सरकार को रोजगार मुहैया प्रदान कराने का प्राविधान है । जिसमें क्षेत्रीय लोगों को ही कार्य पर लगाये जाने के लिए प्रसार-प्रचार के माध्यम से संज्ञान में लाकर संविधान की धारा 39-बी और 46 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रकार अकुशल श्रेणी के कार्यों में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अनुपातिक आधार पर लगाया जाय, स्पष्टतः उल्लेख किया गया है इसी की पूर्ति हेतु मथुरा रिफाइनरी में भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध यूनियन मथुरा रिफाइनरी मजदूर संघ द्वारा 7 अप्रैल, 1997 से ठेका श्रमिकों को नियमित कराने के लिए चलाये जा रहे क्रमिक अनशन को समाप्त कराने के लिए विधान सभा केन्द्र सरकार को इस आशय की संस्तुति प्रेषित करें कि प्रबन्धन व यूनियन के बीच सर्वमान्य समझौता कराने के लिये दबाव डाले जिससे समस्या का हल हो सके ।

अतः उपरोक्त प्रकरण को तत्काल हल किये जाने की मांग आपके माध्यम से करता हूं ।]

जनपद जौनपुर के सदर एवं केराकत तहसील के विकास खण्डों का पुनः क्षेत्र निर्धारण तथा क्षेत्र निधि की मान्यता देने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, जनपद जौनपुर में 1994 में शासन द्वारा नया विकास खण्ड सरकोनी खोला गया उसके तहत सीमाओं का निर्धारण हुआ परन्तु जनपद में जल्द कार्य करके सही रूप से क्षेत्रों का निर्धारण

नोटः– [ ] का अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नहीं हुआ है सरकोनी विकास खण्ड की अभी तक क्षेत्र निधि नहीं बनी न ही वहां कोई कार्य होता है। सारे कर्मचारी दूसरी जगह से तनख्वाह लेते हैं। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय ग्राम विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जनपद जौनपुर में समस्त, विशेषकर सदर केराकत तहसील के विकास खण्डों का क्षेत्र पुनः निर्धारण करने तथा क्षेत्र पंचायत सरकोनी की क्षेत्र निधि की मान्यता देने की मांग करता हूं।]

लखनऊ महायोजना में तुलसीदास मार्ग (विक्टोरिया स्ट्रीट) लखनऊ की फुटपाथ एवं पार्किंग स्थल पर बनी अवैध दुकानों को हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

[महोदय, लखनऊ महायोजना 2000 में तुलसीदास मार्ग (विक्टोरिया स्ट्रीट) की चौड़ाई 45 मीटर रखे जाने के बावजूद अकबरी गेट के निकट कुछ भू-माफियाओं को लखनऊ नगर निगम द्वारा अविधारित सड़क फुटपाथ एवं पार्किंग स्थल आठ दुकानों के लिए स्थल आवंटन तथा निर्माण की अनुमति भी नगर निगम द्वारा प्रदान की गयी है जिस पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से निर्माण भी करा लिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पुत्र संख्या 3708/9-आ-3-96-87 काम्प/95 दिनांक 17 सितम्बर, 1996 द्वारा नगर निगम द्वारा दी गयी आवंटनों की अनुमति तथा निर्माण को अवैध घोषित कर दिया गया है, साथ ही साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा अर्बन प्लानिंग एण्ड डेबलपमेंट ऐक्ट की धारा 27 के अन्तर्गत पारित आदेशों को वैध मानते हुए कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने को आदेशित किया है। परन्तु अभीतक महायोजना प्राविधानों के विपरीत सड़क/फुटपाथ एवं पार्किंग स्थल पर बनी हुयी है और इन अवैध दुकानों को ध्वस्त नहीं किया गया है जिससे आम जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है और ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुयी है जिससे स्थानीय जनता एवं दुकानदारों में रोष व्याप्त है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को मैं नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नगर पंचायत करहल, मैनपुरी की मुख्य सड़कों पर जल-भराव की समस्या के निदान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू राम यादव–

[मान्यवर, कस्बा करहल जनपद मैनपुरी तहसील मुख्यालय है और इसकी आबादी 16000 है, यहां 4 बड़े-बड़े इण्टरमीडिएट कालेज हैं, औद्योगिक क्षेत्र में 10 धान की मिलें हैं। यह नगर पंचायत क्षेत्र है लेकिन टाउन एरिया इतनी साधनहीन है कि कस्बें की नालियों का निर्माणं कराने व जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था करने में असमर्थ रही है जिसके कारण कस्बे की सभी मुख्य सड़कों पर तालाब की तरह पानी भरा रहता है और बरसात में तो यह समस्या एक विकराल समस्या बन गई है। अन्दर भी जल भराव के कारण सदा ही नारकीय जीवन जीने के लिये कस्बा के हजारों वासियों को मजबूर होना पड़ता है। आवागमन अवरूद्ध सा है तथा गन्दगी का साम्राज्य है जिससे आये दिन लोग विभिन्न रोगों से ग्रसित होते रहते हैं। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से मैं मांग करता हूं कि कस्बा करहल की जल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निकासी की एक वृहद योजना बनाकर सरकार उसे कार्यान्वित करे ताकि कस्बे के जल भराव और कीचड़ व गन्दगी से यहां के निवासियों को मुक्ति मिल सके और गन्दगी के कारण उत्पन्न रोगों से छुटकारा मिल सके। जल निकास की महत्वाकांक्षी योजना को कार्यान्वित कराने हेतु शासन को निर्देशित करने की मांग भी करता हूँ।]

श्री अध्यक्ष–

माननीय, सदस्यों के नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गई, श्री अरविन्द गिरि, श्री धर्मज्ञ मिश्रा, श्री श्रीराम पाल, श्री कैलाश यादव, श्री बाबू लाल कुरील, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री अफजाल अहमद, श्री राम नरेश यादव, श्री भारत सिंह रावत, डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी, श्री लाल जी वर्मा, श्री राम ललित चौधरी, श्री श्याम किशोर यादव, श्री राम विशुन आजाद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री सुबास चन्द्र श्रीवास्तव, श्री मोती लाल पैलवी, श्रीमती उर्मिला यादव, श्री सीताराम निषाद, श्री रामचन्दर यादव, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, उदयराज यादव, श्री धर्मराज निषाद, श्री संजय गर्ग, श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री मुन्ना चौहान, श्री सतीश जतारिया, श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री दीप लाल भारतीय, श्री नबाव सिंह नागर, श्री राम औतार शाक्य, श्री अयोध्या प्रसाद पाल और डा० कौशल किशोर।

(समय 12 बजकर 25 मिनट)

नियम 51 के अन्तर्गत माननीय मंत्रियों द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्यों पर उनके हस्ताक्षर न होने, नाम अंकित न होने आदि के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आज नियम 300 के अन्तर्गत अपनी सूचना के माध्यम से मैनें जिस व्यवस्था के लिये निवेदन किया है, वह इस प्रकार है। नियम-51 की जो सूचना दी जाती है, वह माननीय सदस्यों द्वारा अविलम्बनीय, लोकमहत्व को मानते हुये दी जाती है और उसी अनुसार आप उसकी अबिलम्बनीयता को देखते हुये, लोकमहत्व को देखते हुये उसे वक्तव्य या केवल वक्तव्य के स्वीकार कर निर्णय लेते हैं। लेकिन शासन के द्वारा इसको कितना गम्भीरता से लिया जा रहा है, इसके संबंध में कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। दिनांक 6-6-98 को बेसिक शिक्षा, 29-6-98 को नगर विकास विभाग, 30-6-98 को पर्यटन विभाग, 1-7-98 को ऊर्जा विभाग, 2-7-98 को परिवहन विभाग, 7-7-98 को नगर विकास विभाग, 9-7-98 को नगर विकास विभाग, 10-7-98 को नगर विकास विभाग और 22-7-98 को नगर विकास विभाग के वक्तव्य आये हैं, इन सूचनाओं पर विभाग से जो टिप्पणी आती है, वह टिप्पणी ही सीधे सदन में प्रेषित हो रही है, जबकि उस पर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिये। इन, सभी पर विभागीय टिप्पणी लिखा है, यह इस बात का द्योतक है कि कितनी गंभीरता से इसको लिया जा रहा है और इससे भी बढ़कर जो हो रहा है, वह यह कि दिनांक 9-7-98 को चिकित्सा शिक्षा तथा 21-7-98 को श्रम विभाग के जो वक्तव्य आये हैं, उसमें मंत्री का नाम तक अंकित नही है, हस्ताक्षर भी नहीं है केवल कोरा कागज आ रहा है, मैं इन बिन्दुओं पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जो बात माननीय सदस्य ने बताई, वह व्यवहारिक कठिनाई है। नियम-51 की सूचनायें जब होती थीं, तो उसमें स्पष्टीकरण होता था, उसका जवाब आता था, उसमें माननीय सदस्यों को अवसर भी मिलता था, इधर कुछ दिनों से दबाव कुछ वास्तव में कम हुआ है । इसको दिखवा लेगें और सही तरीके से हो, इसको सुनिश्चित कर लेगें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय लक्ष्मी कान्त बाजपेयी तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

विधान सभा की कार्यवाहियों में बोले गये शब्दों को बिना नियमों का पालन किये निकाल दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के द्वारा सदन की कार्यवाही संचालित होती है । इस नियमावली का आप नियम 302 देख लें, फिर 302 (3) को देख लें जिसके अनुसार माननीय सदस्यों को प्रतिलिपियां भेजी जाती है, उनकी जानकारी में लाई जाती है। इसके बाद आप नियम 304 (1) को देख लें, इसमें दिया हुआ है कि कौन से शब्दों को छापा जायेगा, कौन से शब्दों को नहीं । इसी सन्दर्भ में मुझे आपसे निवेदन करना है । कौन से शब्द कार्यवाही का अंग बनेगें, कौन से नहीं बनेगें, इस नियम में इसका विधान है, मैं आपकी अनुमति से पढ़ देना चाहता हूं "यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन मैं कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र है तो वे स्वाविवेक से आदेश दे सकेगें" कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिये जायं । इस अनुच्छेद का परिपालन नहीं हो रहा है, मेरी आपत्ति इसी बात की है । कौन से शब्द निकाले जायेगें, यह इस नियमावली में बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित है । यदि कोई ऐसा शब्द या शब्दों का समूह आता है तो चाहे अध्यक्ष जी हों, या अधिष्ठाता हों, वह स्वाविवेक से अपना, निर्णय देगें । लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक परम्परा सी बन गई है कि जो हम या माननीय सदस्य बोलकर जाते हैं, उसका जो मूल आलेख हमारे पास आता है, उसमें वह बात नदारत होती है, इससे उस बात का पूरा मतलब बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है और जब कार्यवाही छपती है तो उसका मतलब कुछ का कुछ निकलता है । कार्यवाही से निकालने का अधिकार आपका है, लेकिन कौन से शब्द निकाले जायेगें, इसको परिभाषित कर दिया गया है, यह पीठ की मंशा पर नहीं छोड़ा गया है कि जिसे चाहे ग्रहण करें जिसे चाहें न ग्रहण करें । मान्यवर, इसी सदन की कार्यवाही में अयोध्या विषय पर साढ़े 3 घन्टे चर्चा चली और आपकी अनुमति से, हम लोग बोलते रहे ।

चर्चा के दौरान हम लोग एक भी शब्द ऐसा नहीं बोले, जो असंसदीय हो, अमर्यादित हो, अविवेकपूर्ण हो, हम लोग सारे शब्द आपकी अनुमति से बोले और शाम को सारी कार्यवाही न छापने का आदेश दे दिया गया । हम अध्यक्ष पीठ के निर्णय की आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहना है कि यदि अमर्यादित हो, वह निकाला जा सकता है, असंसदीय हो, वह निकाला जा सकता है, लेकिन इसलिये नहीं निकाला जा सकता है कि हम नेता सदन को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं, यह आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। अयोध्या प्रकरण पर जो भी चर्चा हुई है, वह इस कार्यवाही का अंग है और रहना चाहिये। अगर आप इसे निकालते है तो यह नियमों के विपरीत होगा और ऐसी परम्परा का सृजन होगा कि किसी दिन कोई अध्यक्ष कहेगा कि पिछली कार्यवाही का सब निकाल दिया जाय, तो यह उचित नहीं होगा। मुझे क्षमा करेगें लेकिन यह पीठ नियमो के विपरीत जा रही है, यदि पीठ का आचरण नियमों के विपरीत हो जायेगा तो फिर कैसे काम चलेगा ? इसीलिये नियम बने हैं, चाहे पीठ हों, चाहे नेता सदन हों, चाहे नेता विरोधी दल हों और चाहे हम बैठे सदस्य हों, सभी नियमों से बधे हैं। मैं पूरी विनम्रतापूर्वक, जितनी मेरे पास है, सब प्रर्दशित करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि उस दिन सदन की कार्यवाही मे कोई शब्द न असंसदीय था, न अमर्यादित था, न अशिष्ट था, उसको सदन की कार्यवाही से निकालना न केवल नियमों का उल्लंघन होगा बल्कि एक कलंक भी इतिहास के लिये होगा, इसलिये आग्रह करूंगा कि उस दिन की कार्यवाही का एक-एक शब्द पुनः कार्यवाही में रखा जाय अन्यथा ऐसी परम्परा का सृजन होगा, जब विधान सभा का इतिहास पढ़ा जायेगा तो यह बहुत बड़ा कलंक होगा।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, निर्णय पर आप पुनर्विचार कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यक्त किये गये विचारों से हम भी अपने आपको सम्बद्ध करते हैं और अनुरोध करते हैं कि जो आपने निर्णय लिया था, उस पर पुनर्विचार कर लें।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद जी ने सारी बात बिना उत्तेजित हुये, बिना ऊंची आवाज किये हुये, बिना भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हुये कह दी है, सारी बात आ ही गई है, बहुत विनम्रतापूर्वक आ गयी है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मेरे विनम्र होने में कहीं संदेह है क्या ?

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी भावनाओं से अवगत हो गया हूं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, अगर मुझे नहीं सुनेगें तो मुझे बड़ा कष्ट होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी का कहना सही है, अनेक माननीय सदस्यों के कहा है और चिन्ता प्रकट की है। यह विषय सदन में पहले भी उठा था तो उस पर मैंने व्यवस्था दी थी। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो सदैव पुनर्विचार करना पड़ता है। मैं देखूंगा कि किस सीमा तक विचार कर सकता हूं। जहां तक इस सूचना का प्रश्न है नियम 300 (2) से बाधित है। औचित्य का प्रश्न तत्समय ही उठाया जाना चाहिए। इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

* श्री जगदम्बिका पाल–

आपने कहा था कि यह अपवाद था । लेकिन माननीय अधिष्ठातागण जब उस पीठ पर बैठते हैं तो माननीय सदस्यों के कहे हुए शब्दों को निकलवा देते हैं । यह प्रायः रोज होता है । जो अपवाद स्वरूप था अब वह प्रैक्टिस स्वरूप हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने अनुरोध किया था, मुझे याद है ।

विधान सभा के उपवेशनों में शोर-गुल होने से कटौती प्रस्ताव रखे जाने के अवसर न मिलने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में हो-हल्ला में बजट पास हो जाता है । जो मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं वह अपनी बात सदन में कह देते हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव पेश करते हैं, उनको एक मिनट भी अपनी बात कहने का समय नहीं मिलता है । जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव पेश करता है, वह उस बजट के बारे में पूरी तैयारी करके आता है । कटौती का प्रस्ताव पेश न हो पाने के कारण उसके सारे सुझाव धरे के धरे रह जाते है इसी प्रकार से जो माननीय सदस्य उस बजट पर अपने विचार रखना चाहते हैं और अच्छी तैयारी के साथ आते हैं उनके सुझाव रखें के रखें रह जाते हैं और वह कार्यवाही में नहीं आ पाते हैं । मान्यवर, उनको कार्यवाही मे लाने की कोई ऐसी व्यवस्था बनायी जाये कि अगर हो-हल्ला में माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव नहीं रख पाते हैं तो भी वह कार्यवाही में आ जाये । आप इस पर चर्चा करा दें जिससे कोई न कोई हल निकल आये । इस पर अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा सदैव प्रयास रहता है कि सदन व्यवस्थित ढंग से चले । अनावश्यक शोर न हो और प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर मिले । मेरा अनुरोध है कि अगर सदन में शान्ति व्यवस्था नहीं बनाये रखेंगे तो इसमें बाधा आयेगी और कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य नहीं रख पाते हैं । यदि सदन व्यवस्थित रहेगा तो वह स्थिति नहीं आयेगी । कभी-कभी घटनाएं हो जाती है, लेकिन अगर कार्यवाही शान्तिपूर्वक चलने देंगे तो यह स्थिति नहीं आयेगी । इन शब्दों के साथ मैं इस सूचना का निस्तारण करता हूं और निरस्त करता हूं । कुछ सूचनाएं हैं, जिनको मैंने कक्ष में ही निस्तारित कर दिया है । माननीय डंग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री समरपाल सिंह, रामतेज यादव एडवोकेट आदि की सूचनाएं निस्तारित कर दी हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे एक मिनट दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो सूचना दी है वह 14 जुलाई को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा राज्य विद्युत परिषद् के वरिष्ठ अधिकारी को मारने की धमकी दिये जाने के बारे में है । आप ही बताये इसका सदन की कार्यवाही से क्या संबंध है ? गृह विभाग का बजट है उसमें आप इसका उल्लेख कर दें ।

श्री समरपाल सिंह–

आप आधा मिनट ही दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, संवैधानिक संकट हो गया है, संविधान के अनुच्छेद–166 में लिखा है ।.....

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना अग्राह्य है उसमें आपने आरोप लगाएं है, जिसमें आरोप लगाये जाते है वह तो वैसे ही अग्राह्य होती है ।

श्री समरपाल सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

उससे सदन की कार्यवाही से दूर-दूर तक का कोई संबंध नहीं है । (व्यवधान) मैने आठ सूचनाओं को कक्ष में निस्तारित कर दिया है क्योंकि वे नियम 300 में नहीं आती है, वे सूचनाएं डा० सरजीत सिंह डंग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री बाबू लाल, श्री परवेज हलीम, श्री बनारसी दास चांदना, श्री समर पाल सिंह, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री मुन्ना चौहान, श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री उदयराज यादव, श्री राम औतार शाक्य एवं श्री बाबू राम यादव की है, जो अस्वीकार की गई ।

उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1993-94 †

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरीश चन्द्र हरीश जी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1993-94 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए, के प्राविधानों के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

† छापा नही गया ।

वर्तमान आय-व्ययक में मध्यांचल निधि न होने के संबंध के औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास (जारी)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अुनरोध है आप मध्यांचल निधि के बारे में कहना चाहते है, वह नियम-300 में कैसे आयेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आप निर्णय दे दें लेकिन हमारी प्रार्थना तो सुन लीजिए, प्रार्थना यह है कि पहले आपने एक ऐसी ही सूचना पर निर्देश दिया था, मीटिंग बुलाने के बारे में पश्चिमी क्षेत्र के सदस्यों की बैठक बुलाने की बात कही है वही आज आप निर्देश दे दें हमसे आप चुप बैठने के लिए कह रहे हैं यह अच्छा नहीं लगता । मध्य जिलों के सदस्यों की बैठक बुला ली जाएं या फिर हम यहां लेट जायें यह ठीक नहीं लगता, (व्यवधान) हमें पूर्वांचल निधि पर कोई एतराज नहीं है उत्तराखण्ड के लिए आपने धन आवंटित किया है उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश के लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इसी लिए हम पूरे प्रदेश की बात करें किसी अंचल की बात न करें । आंचल को जरा बड़ा करिये ताकि पूरा उत्तर प्रदेश उसमें आ जाए ।

श्री बाबू राम यादव–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक पैकेज बनाने के लिए कल निर्देश दिये, यही मध्य अंचल के लिए भी निर्देश दे दें, हम भी आपके संरक्षण में हैं पूरा उत्तर प्रदेश आपके संरक्षण में है, पूर्वांचल या उत्तराखण्ड को सरकार ने दे दिया है । इसमें हमें कोई एतराज नहीं है । (व्यवधान)

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 की अधिसूचनाएं †

* समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरीश चन्द्र हरीश जी) –

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 11 ए, म० एम०/64-1-96-100-95, दिनांक 1 मई, 1997, संख्या 731/64-1-97, दिनांक 6 अगस्त, 1997 तथा संख्या–1259/64-1-97-70-96, दिनांक 15 सितम्बर, 1997 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अुनसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–14 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वर्तमान आय-व्ययक में मध्यांचल निधि न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास (जारी)

(श्री उदयराज यादव, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री रामेश्वर दयाल तथा डा० धर्मज्ञ मिश्र आदि सदस्य सदन के वेल में आकर मध्यांचल विकास निधि की स्थापना की मांग करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

हमारे प्रदेश का आंचल बहुत बड़ा है । उसको छोटे-छोटे अंचलों में मत बांटिए ।

(शोर)

कृपया आप अपने आसन पर चलें ।

---

† छापी नहीं गयी ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मध्यांचल पर आपका निर्देश हो जाये । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना सुसंगत नियमों में नहीं आयी थी । नियम 300 के अलावा सुसंगत नियम है उसमें सूचना दीजिए तो देख लूंगा ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मध्यांचल के लिए निर्देश दे दें ।

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के 22वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 †

पंजीयन, मानोरजंन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 22वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 1993-94 को उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा–4 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(वेल में आये हुए सदस्यगण सदन के वेल में बैठ गये ।)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, आपका परिवार बैठा है मध्यांचल की घोषणा के बारे में निर्देश करें । आप सबको बराबर निगाह से देखकर अपनी पीठ से घोषणा करें ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावली 1994 ††

*पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 4180/33-1-94-276-94, दिनांक 22 नवम्बर, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा नियमावाली, 1994 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना) जांच नियमावाली 1997†

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)––

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–2402/33-1-96-126/96, टी०सी०, दिनांक 20 अगस्त, 1996 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1996 तथा अधिसूचना संख्या–37-133-1-97-250/96, दिनांक 29 मई, 1997 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना) जांच

---

† छापा नहीं गया ।

†† छापी नहीं गयी ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियमावली, 1997 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा–23 के (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वर्तमान आय-व्ययक में मध्यांचल निधि न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास।

(नेता विरोधी दल के अनुरोध पर सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्यगण वापस अपने आसन पर चले गये)

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश के मध्य जनपदों के निवासी हैं उनकी एक पीड़ा है और वह पीड़ा यह है कि मध्यांचल के विकास के लिए कोई समुचित प्राविधान नहीं है। मान्यवर, पूर्वांचल, उत्तरांचल, बुन्देलखण्ड और पश्चिम के लिए निर्णय लिया गया है और मेरा अनुरोध है कि मध्यांचल के बारे में जो माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं उसको सुन लें आपका निर्णय शिरोधार्य होगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दे दें।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष की बात पर व्यवस्था दें, पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और पश्चिमांचल की बात हो चुकी है। मध्यांचल की बात उठी है। इसके बाद भी कुछ जनपद ऐसे हैं, जिनके विधायक नहीं आ रहे हैं इसलिए एक शेषांचल राज्य बन जाये।

श्री बाबूराम यादव–

मेरी प्रार्थना है कि पूर्वांचल निधि है बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, उत्तराखण्ड के लिए अलग पैकेज है इनके विकास के लिए अलग से धन दिया गया है, हम उसके विरोधी नही हैं लेकिन बीच के जिलों को छोड़ दिया गया है। कल आपने एक निर्देश दिया कि पश्चिम जिलों के विधायकों को बुलाकर बात कर ली जाये। मेरी प्रार्थना है कि वही बात हम लोगों की है, एक ही ईश्यू है, एक ही बात है। अतः आपकी पीठ से एक ही प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। मध्य जिलों के विधायकों की बैठक बुला ली जायं और उनके लिए एक निधि की घोषणा कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

आपकी जो नियम 300 की सूचना है, वह नियम 300 में आती नहीं है, अगर आप किसी सुसंगत नियम में दे देगें तो उस पर विचार किया जायेगा। कल केवल नियम 56 की सूचनायें नहीं ली जायेंगी बाकी 301 तथा नियम 51 की सूचनायें ली जायेंगी उस समय मैं शासन से कह सकता हूं। लेकिन यह नियम 300 में नहीं आती है।

श्री बाबूराम यादव–

आपके अधिकार असीमित हैं और इसी पर आप सरकार को निर्देश दे सकते हैं, अगर चाहें तो 56 में सुन लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कल इसे आप सुसंगत नियमों में दे दीजिये ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

उत्तरांचल राज्य के गठन विषयक औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण की गुहार करता हूं । मैं क्षेत्र विशेष से आता हूं और विपक्ष में इस समय अकेला सदस्य हूं । सैकड़ों की तादाद में फ्लोर पर नहीं आ सकता तो आप मेरी बात नहीं सुनेगें । आज इस प्रदेश के सामने राज्य निर्माण से बड़ा कौन सा मुद्दा हो सकता है । आज प्रदेश के अन्दर कन्फ्यूजन का वातावरण है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने डबुल स्टैन्डर्ड अपना रखा है । प्रदेश की सरकार कहती है कि पृथक उत्तरांचल राज्य बनाना चाहते हैं । सरकार के मंत्री कुछ बयान देते हैं और मुख्य मंत्री जी का बयान कुछ और होता है । यह नीतिगत विषय है इसलिए इसमें अलग-अलग बयान कैसे आ सकता है, अपने घर की बात नहीं होती है, मंत्रि-मण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार के मंत्री और मुख्य मंत्री ने अलग-अलग बात कही है, मैं तो अपने दल के नेता से भी इस बारे में बात करूंगा और उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि यह कौशिक समिति की सिफारिशों को लागू करने की वकालत करें, यह कभी कहते हैं कि हम ऊधम सिंह नगर के अलग होने का समर्थन करते हैं कभी कुछ और कहते हैं । इससे ऊपर जाकर लागू करेगें । मैं तो ऐसे उत्तरांचल राज्य की बात करता हूं जिसमें हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारण्टी दे सकें । दलितों, पिछड़ों और अल्प संख्यकों की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान हो । श्रीमन्, मुझे इस बात का बहुत कष्ट है, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों की मजबूरी हो सकती है क्योंकि वह हमारे समर्थन में फ्लोर पर नहीं आ सकते और विषय में, मैं अकेला मौजूद हूं, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं उसमें सत्तापक्ष के साथियों का नैतिक समर्थन है । राज्य निर्माण के मुद्दों से बड़ा प्रदेश के सामने कौन सा मुद्दा हो सकता है ? आज यह सदन के अन्दर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं । उत्तराखण्ड की जनता को सरकार व सभी पार्टियां गुमराह कर रही हैं ।

मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे । कि ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड का हिस्सा रहेगा या नहीं रखेंगे । संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह अन्तिम निर्णय करें परन्तु प्रदेश सरकार भी अपनी नियत साफ करे ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई । आपकी सूचना नियम 300 में निरस्त हो गई । कृपया बैठ जाएं । अभी 4.00 बजे विनियोग विधेयक लाना है । कई महत्वपूर्ण चर्चा शेष हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

आप संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से वक्तव्य दिला दें कि ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड में रहेगा या नहीं रहेगा ?

श्री अध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जाएगा ।

श्री मुन्ना चौहान–[x x x]

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998†

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खाद्य तथा रसद अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या सी०पी० 697/29-8-1998 सी० पी० 15/93, दिनांक 30 जून, 1998 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (वित्तीय संशोधन) नियमावली, 1998 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना बाइसवां संशोधन नियमावली, 1997†

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 3473-इ-2/13-97-8-95-टी०सी०-111 दिनांक 5 सितम्बर, 1997 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात परिवहन और उसे कब्जे में रखना (बाइसवां संशोधन) नियमावली 1997 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा–23-क (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

रिपोर्ट जांच आयोग, रजबपुर (मुरादाबाद)††

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से रिपोर्ट जांच आयोग रजबपुर (मुरादाबाद) की जांच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-60 सन् 1952) की धारा-3 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का 21वां एवं 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 †††

* सहकारिता मंत्री (पटेल रामकुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 21वां एवं 22वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की उनहत्तरहवीं एवं सत्तरहवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 ††

सहकारिता मंत्री (पटेल रामकुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की उनहत्तरहवीं एवं सत्तरहवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

† छापी नहीं गई।

†† छापी नहीं गई।

††† छापी नहीं गई।

यू० पी० स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91†

* श्री पटेल रामकुमार वर्मा (सहकारिता मंत्री)–

मैं आपकी अनुमति से यू० पी० स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकारण के वार्षिक प्रतिवेदन †

* श्री पटेल रामकुमार वर्मा (सहकारिता मंत्री)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, और 1992-93 को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 1998 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 20 जुलाई, 1998 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 जुलाई, 1998 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन, मैं आपकी अनुमति से सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 1998 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 15 जुलाई 1998 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 जुलाई, 1998 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक, शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1998 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 जुलाई, 1998 को वापस प्राप्त हो गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1997-98) का प्रथम प्रतिवेदन

* श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1997-98) का प्रथम प्रतिवेदन, जो कृषि विभाग (भूमि संरक्षण) के वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के प्राक्कलनों के परीक्षण के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन से देशी एवं विदेशी शराब के ठेके हटवाये जाने विषयक श्री राधारमन शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा जनपद मथुरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन से देशी एवं विदेशी शराब के ठेके हटवाये जाने के विषय में श्री राधा रमन शर्मा, निवासी-जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत तहसील टाण्डा में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने विषयक श्री शत्रुघन आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत तहसील टाण्डा में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने के विषय में श्री शत्रुघन तथा अन्य निवासीगण जनपद-अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत उतरेथू बाजार-टाण्डा में पशु चिकित्सालय खोले जाने विषयक श्री कन्हैया प्रसाद वर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत उतरेथु बाजार-टाण्डा में पशु चिकित्सालय खोले जाने के विषय में श्री कन्हैया प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद-अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 22 जुलाई, 1998 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 23 तथा 24 जुलाई, 1998 के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1—सदन की दिनांक 23 तथा 24 जुलाई, 1998 के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

जुलाई, 1998

23 गुरुवार

(1) (क) उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा।

(ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के संगत नियमों को शिथिल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†† छापी नहीं गई।

करते हुये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 1998 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा ।

(2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(3) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

24 शुक्रवार

(प्रश्नकाल नहीं होगा) ।

(1) असरकारी संकल्प ।

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) की अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व शब्द और चिह्न 'विधि' रख दिये जायं" ।

(3) नियम 103 के अर्न्तगत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गोवर्धन-जतीपुरा तथा राधा कुण्ड गांवों में लिये जा रहे सभी प्रकार "आवागमन कर" तत्काल समाप्त किये जायें" ।

(4) नियम 103 के अन्तर्गत श्री लाल जी वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद अम्बेडकर नगर के चौमुखी विकास हेतु लुम्बनी-द्वद्धी मार्ग पर टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण कराया जाय" ।

(5) उत्तर भारत के प्रसिद्ध नौचन्दी के मेले में व्याप्त दुर्व्यवस्था के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–आधा घण्टा ।

(6) मेरठ महानगर में नालों की सफाई न होने से जल भराव की समस्या के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य,

विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–आधा घण्टा ।

(7) परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन की योजनाओं पर अरबों रुपया व्यय करने के उपरान्त वांछित उद्देश्य प्राप्त न होने के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

(8) दारुलसफा सहित सभी विधायक आवासों में पेयजल, बिजली व अन्य दुर्व्यवस्था के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 पर अभिसूचित सूचना पर चर्चा–आधा घण्टा ।

(9) सम्पूर्ण प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से जमानत राशि में अचानक वृद्धि एवं उसे इस तरह माह वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–डेढ़ घण्टा ।

(10) प्रदेश की जनता के दैनिक उपयोग में आने वाली डबलरोटी के मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घण्टा ।

2— दिनांक 24 जुलाई, 1998 को विभिन्न नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्ताव/चर्चायें जो उसके पहले की तिथि की कार्य-सूची में न आयी हों, उन्हें रखा जाय ।

3— दिनांक 24-7-98 को प्रश्न काल न रखा जाय और इस दिन 56 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष, ने सदन में दी है, से सहमत हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों, जिसका प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नेता विरोधी दल को उनकी गरिमा के अनुरूप आवास उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण मंत्री द्वारा दिनांक 21-7-98 को सदन में दिये गये आश्वासन का कार्यान्वयन न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें । उसके समाधान के लिये आप जो भी निर्देश जारी करेंगे वह शिरोधार्य होगा लेकिन हमारी विनती सुन लें । मान्यवर, डेढ़ साल तक यह सरकार माननीय नेता विरोधी दल के लिये आवास की व्यवस्था नहीं कर सकी । वह अस्वस्थ हुए और फर्जी सरोकार दिखाने का कार्य इस सदन में हुआ है । मान्यवर, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं कि अभी परसों कहा गया था कि 48 घंटे के अन्दर उनको आवास आवंटित किया जायेगा । मैंने पुनः पीठ से निवेदन किया कि स्पष्ट किया जाय । माननीय मंत्री जी ने कहा कि 48 घण्टे के अन्दर माननीय नेता विरोधी दल की गरिमा और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक हो सकेगा हम इनको आवास उपलब्ध करा देंगे ।

मान्यवर, आपके कक्ष में जो बातें होती हैं उनका यहां पर जिक्र करने की परम्परा नहीं है । मैं उनका उल्लेख भी नहीं करूंगा लेकिन इशारत यह बात कहूंगा कि जो बातें तय हुई थीं कि अमुक-अमुक स्थान पर नहीं दिया जायेगा । मैं पत्र का प्रारूप सचिव विधान सभा को भेज रहा हूं । उसमें लिखा है कि उ० प्र० मंत्री एवं राज्य विधान मण्डल अधिकारी निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 1959 के अधीन अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत गोमती नगर फेज–2 स्थित आवास संख्या–आर०एस०–23, टाइप–6 जो श्री राधेश्याम गुप्त माननीय मंत्री के आवास परिवर्तन तथा श्री एन० एस० नपलच्याल को अन्य आवास आवंटित होने के कारण रिक्त होने वाला है, श्री धनीराम वर्मा, माननीय नेता विरोधी दल विधान सभा उत्तर प्रदेश के पक्ष में रिक्ति की प्रत्याशा में कब्जा प्राप्त करने की तिथि से उनके उक्त पद पर बने रहने की अवधि तक के लिए एतद्द्वारा आवंटित किया जाता है । मान्यवर, आप इसको दिखा लें । इस सदन में आपके निर्देशों के बाद और सारी चीजों पर सम्यक् विचार के बाद जो बात आती है 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे । मान्यवर, यह अभी तक तो माननीय नेता विरोधी दल की अवमानना करते रहे हैं लेकिन यह इस तरह का आचरण करके सदन की भी अवमानना कर रहे हैं । इस तरह से इनका आचरण होगा तो कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि नियम–56 की सूचनाओं के बाद में, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल बैठकर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि आप आवास नहीं देंगे तो मैं 5, कालीदास मार्ग के सामने झोपड़ी डाल लूंगा । इस सरकार की मंशा स्पष्ट है कि यह उनसे झोपड़ी डलवाना चाहती है । हम इस सरकार की मंशा के अनुरूप आचरण करेंगे । माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन इस सदन में दिया था और उसका उल्लेख हुआ है इस सबन्ध में अगर आप स्वंय मंत्री जी के लिये कोई निर्देश जारी करवा दें तो माननीय सदस्यों के हितों की रक्षा होगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी प्रयास करूंगा । अभी विचार विमर्श कर लेंगे । अगर कोई समाधान निकलता है तो ठीक है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जो आचरण मंत्री जी ने किया है वह सही नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

विचार-विमर्श कर लेते हैं।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार से आश्वासन दिलाया था माननीय मंत्री जी ने कहा था 48 घंटे के अन्दर उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, मैं संशोधित कर रहा हूं, आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने संशोधित करके फिर कहा था। मान्यवर, अपके निर्देशों का पालन नहीं किया गया, माननीय प्रतिपक्ष के सम्मान के विरुद्ध, गरिमा के विरुद्ध, जो आचरण हुआ है, मैं उस पर व्यवस्था चाहता हूं। आपके निर्देशों के बावजूद पत्र लिखकर दे दिया गया कि उपलब्धता के आधार पर जब कोई आवास खाली होगा, तो दिया जाएगा यह आपके निर्देशों की अवमानना है।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई है।

श्री मुन्ना चौहान–

सरकार अपनी दी गई बचनबद्धता के बारे में बताये ?

श्री अध्यक्ष–

नेता विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण पद है, गरिमापूर्ण पद है उसके साथ अनेक मान्यतायें जुड़ी हैं इसलिए मैं सोच रहा हूं इसको अनावश्यक विवाद का विषय न बनाया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इन्होंने आपके निर्देशों के विपरीत आचरण किया है। हम सरकार का दृष्टिकोण तो जानें, वह आवास तो देंगे नहीं यह आपके निर्देशों का सम्मान करते नहीं हैं इन्होंने परम्पराएं जो सदन की रही हैं उन परम्पराओं को तिरोहित कर दिया है, परम्पराओं की अपेक्षा नहीं है लेकिन हम यह तो जानें कि इनका दृष्टिकोण क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा समय मुझे भी दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी–

इसमें सरकार का दृष्टिकोण आ जाए ?

श्री अध्यक्ष–

मैं नेता विपक्ष के पद की गरिमा और उससे जुड़ी जितनी बातें हैं उसमें अनुरोध कर रहा हूं, इसमें देख रहा हूं क्या दूसरा रास्ता है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

सरकार के प्रतिनिधि उठकर कह दें, हमें सदन का सम्मान नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप निर्देशित कर दें, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष–

किसी भी प्रकार से माननीय नेता विपक्ष के सम्मान को देखते हुए उनके सम्मान में यहां कोई गतिरोध की स्थिति उत्पन्न न हो, मैं विचार कर रहा हूं।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है आपने व्यवस्था दे दी है, वह शिरोधार्य है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता का जहां तक सवाल है इतने दिनों के बाद भी सरकार आवास की व्यवस्था नहीं कर रही है इसको देखकर मुझे इस सदन का सदस्य होने के नाते पीड़ा हो रही है। आपने संसदीय कार्य मंत्री जी को इस सदन में निर्देश दिया.....

श्री हुकुम सिंह–

मैंने नहीं कहा था।

श्री रामनरेश यादव–

जो सम्बन्धित मंत्री जी ने कहा था कि 48 घंटे में व्यवस्था करा देंगे, व्यवस्था न होने के बाद एक पत्र भी देना पड़ा जैसा उप नेता विपक्ष ने दिया है, तो यह गम्भीर बात है आपके निर्देशों का पालन यह सदन न करे तो फिर लोकतंत्र कैसे रहेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी ? मेरा अनुरोध है कि आज के बाद फिर यह स्थिति सदन के अन्दर माननीय नेता प्रतिपक्ष के आवास के संबंध में नहीं आनी चाहिए।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय अम्बिका चौधरी जी ने माननीय कलराज मिश्र के भाषण और वचन को उद्धत करते हुए विनती की है लेकिन सरकार से आप यह नहीं पूछ रहे हैं कि क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष–

ऐसी बात नहीं है। इस समय माननीय लोक निर्माण मंत्री जी मौजूद नहीं हैं। अगर यह मालूम होता कि सूचना आयेगी तो यह सुनिश्चित कर लेते कि वे यहां पर रहें।

श्री बाबू राम यादव–

जब यहां पर बी० एन० सिंह बोल रहे थे तो उस समय आपने कहा था कि विशेषाधिकार मालूम है। तो कम से कम सरकार से उत्तर तो दिलवा दीजिये कि वह क्यों [x x x] बोल रहे हैं ? आपके निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है, दिये गये वचनों का पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं चाहता हूं कि जो भी उत्तर आये उससे माननीय नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट नजर आयें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह नेता प्रतिपक्ष को सन्तुष्ट करने का मामला नहीं है। यह सदन की अवमानना का प्रश्न है। मैं मौखिक रूप से आपको सूचित कर रहा हूं लिखित रूप में बाद में दे दूंगा। प्रश्न यह नहीं है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष सन्तुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं उन्हें आवास दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। लेकिन जो चिन्ता व्यक्त की गयी कि कमेंटमेन्ट हुआ था और आपके निर्देश पर स्पष्टीकरण हो। आप बहुत ही विद्वान है और सर्वोच्च पीठ पर आसीन हैं। आपने यह कहा कि लोक निर्माण मंत्री यहां पर मौजूद नहीं हैं। मैं बड़ी ही विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि ज्वाइन्ट रिस्पान्सिबिलिटी होती है, तो इस तरह से अगर आप सरकार को बचायेंगे तो कठिनाई हो जायेगी।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

लोक निर्माण मंत्री यहां पर मौजूद नहीं हैं इसलिए मैंने कहा था ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अब प्रश्न दो हो गये हैं । एक प्रश्न तो यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष की गरिमा के अनुरूप मकान उपलब्ध कराया जाय और आपने कहा कि आप कार्यालय में बात कर लेंगे । दूसरा जो प्रश्न है वह चिन्ता का विषय है । इसी स्थान पर परसों आपके एक मंत्री हैं, माननीय लोक निर्माण मंत्री उन्होंने कहा कि हम उपलब्ध करा देंगे और आज पत्र जारी कर रहे हैं कि एक अधिकारी की रिक्ति की प्रत्याशा में, तो प्रत्याशा तो कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है और नरसों भी हो सकती है तो अब प्रश्न दो हो गये हैं तो इसे दो टुकड़ों में विभाजित कर दें । एक में यह निर्देश दें कि सदन उठने के पहले शाम पांच बजे तक नेता प्रतिपक्ष को आवास उपलब्ध करा दिया जायेगा और इस सदन को सूचित किया जाय । दूसरा जो पत्र जारी हुआ है या तो बिना पढ़े दस्तखत कर दिया गया है । इस पत्र को जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करें तथा माननीय मंत्री जी क्षमा याचना करें । उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का ही नहीं सम्पूर्ण सदन का अपमान किया है ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, नियम–63 देखने की कृपा करें । माननीय सदस्य ने अपनी बातों को कहा है । मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं । माननीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि आवास आवंटित करा दिया जायेगा । इस पर माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया और आपकी पीठ से निर्देश दे दिये गये तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 48 घंटे के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा । 48 घण्टे के अन्दर तो नहीं उपलब्ध हुआ परन्तु एक कागज जरूर उपलब्ध हुआ प्रत्याशा का । मान्यवर, आवास तो नहीं उपलब्ध हुआ । सदन में सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व है । मान्यवर, अगर कोई मंत्री कोई चीज कह दे और वह न हो तो यह तो अवमानना है । आप नियम के आगे का भाग देखें, परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ है, तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा । मान्यवर, यह सदन के सामने हुआ है । मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जो अवमानना हुई है, सदन मेरी शिकायत पर कार्यवाही करने की कृपा करे ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सबसे बड़े दल का नेता सदन का नेता होता है और जब वह इस सम्मानित सदन के नेता हो जाते हैं तो सम्पूर्ण पक्ष-विपक्ष उनका आदर करता है । दूसरे बड़े दल का नेता प्रतिपक्ष होता है, उन्हें एक पार्टी की परिधि में नहीं बांधा जा सकता है । नेता प्रतिपक्ष का सम्पूर्ण सदन आदर करता है । मान्यवर, सवाल अवमानना का नहीं है । यह दुःख की बात है सदन उस दिन स्थगित हुआ आपके कार्यालय में वार्ता हुई, सरकार की तरफ से बात आई थी । लोकनिर्माण मंत्री जी ने कहा कि उपलब्ध करा दिया जायगा, कदाचित् माननीय मंत्री जी को नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठकर विचार करना चाहिए कि कौन सा आदास सुलभ हो सकता है । यह संसदीय परम्पराएं नहीं हैं, यह कम्युनिकेशन गैप की बात है । एक अधिकारी की तरफ से प्रत्याशा का पत्र चला जाता है । मान्यवर, यहां कोई स्थायी रूप से नहीं बैठा है, सत्ता पक्ष वाले इधर बैठते हैं, इधर वाले उधर बैठते हैं । मान्यवर, आप सदन के कस्टोडियन हैं, अभिभावक हैं । अगर नेता प्रतिपक्ष का सम्मान नहीं रहेगा तो कदाचित् किसी सदस्य का सम्मान नहीं रहेगा । मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से मुख्य मंत्री जी का आवास कालीदास मार्ग में इयरमार्क है, उसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष का आवास इयरमार्क होना चाहिए । मान्यवर, यह तो अवमानना और विशेषाधिकार से बढ़कर मामला है । मान्यवर, आज खाली एक पत्र प्रत्याशा में आवंटन का अधिकारी की ओर से आ गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(समय 1 बजकर 25 मिनट)

मान्यवर, यह पत्र उच्चाधिकारी द्वारा दिया गया आवंटन पत्र है। आवंटन पत्र और उपलब्धता में अन्तर होता है। उस दिन बात उपलब्धता की हुई थी उसके बाद आवंटन पत्र नेता प्रतिपक्ष को रिसीव हुआ है तो सदन की इन महान परम्पराओं के संरक्षक आप हैं और उसके बाद इस तरीके से परम्पराएं टूटें, मर्यादाएं टूटें तो इस पर आपको कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। आप इस पर सरकार को निर्देशित करें ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, आप इस माननीय सदन के संरक्षक हैं चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के आप सबके संरक्षक हैं यहां पर जितने भी माननीय सदस्य हैं यह अपेक्षा करते हैं कि जब कभी किसी के हितों पर कोई चोट होगी, सदन मर्माहत होगा तो उसका संरक्षण आप करेंगे। नेता विपक्ष के विषय में जो बातें आयीं वह आ गई हैं इसके साथ-साथ मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि चौबेपुर विधान सभा क्षेत्र से श्री कृष्णपाल सिंह को दो महीना जीतकर आये हुए हो गया और आज तक उनको यहां पर एक भी कमरा एलाट नहीं हुआ। यह माननीय सदस्यों के प्रति जो सरकार की द्वेष भावना का रवैया है और माननीय श्री बी० आर० वर्मा जी, मान्यवर, जिस पीठ पर आप बैठे हैं इसके पहले वह इस पीठ पर बैठते थे, वह यहां के माननीय सदस्य हैं उनको भी जीतकर आये हुए दो माह हो गया, माननीय वर्मा जी जैसे वरिष्ठ सदस्य को भवन आवंटित नहीं हुआ है। आप हमारे संरक्षक हैं यदि आप संरक्षण नहीं देंगे तो सरकार की निरंकुशता बढ़ती जायगी। इसलिए यह चिन्ता का विषय है इसको आप गम्भीरता से लें और इसका संज्ञान लेकर कड़ी कार्यवाही करें, ताकि सदन में जो हीला-हवाली का रवैया बढ़ता जा रहा है इस पर अंकुश लगे।

श्री अध्यक्ष–

दो, तीन चीजें बहुत स्पष्ट हैं। जो बातें आयी हैं और जितने कागज मेरे पास आये हैं, मैने उस दिन की कार्यवाही भी मंगवाई है, यह जो आवंटन-पत्र है, यह कल की तारीख का है, 22 जुलाई का है। हम सब इस बात से स्पष्ट रूप से अवगत हैं, कि चाहे मंत्री हों, विधायक हों, अगर किसी भी रूप में कहीं आवंटन होता है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा ही होता है। राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने आवंटन का आदेश किया है, उसमें उपलब्धता की बात नहीं कही गई है आवंटित किया गया है। कल आवंटित किया गया है, वह रिक्त करा लिया गया है या नहीं, यह पता करना पड़ेगा। मुझे पता करना पड़ेगा। जहां तक माननीय कलराज मिश्र की कही हुई बात का सवाल है, उन्होंने कहा था कि "मान्यवर, चौधरी जी ने कहा कि यह सरकार संवेदनहीन है नेता विरोधी दल के बारे में जिस तरह से विचार करके मकान का आवंटन करना चाहिये था नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार केवल संवेदनशील ही नहीं नेता विरोधी दल की गरिमा को ध्यान में रखते हुये मकान का आवंटन किया जाये जैसा आपने निर्देश दिया था मैंने उसे सहर्ष स्वीकार भी किया था लेकिन उसके बावजूद भी सदन को अव्यवस्थित कर दिया गया मैं बताना चाहता हूं कि जो भी नेता विरोधी दल ने और सभी लोगों ने अपेक्षा की है, उस अपेक्षा के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर नेता विरोधी दल को उनकी गरिमा के अनुरूप उनको मकान आवंटित कर दिया जायेगा।" इस पर माननीय अम्बिका चौधरी जी से पूछा था कि मकान आवंटित नहीं, मकान उपलब्ध करा दिया जाये। तब श्री कलराज मिश्र जी ने कहा था कि मान्यवर आपने निर्देश दिया है कि शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाय। मैं उसी शब्द का प्रयोग करते हुये कह रहा हूं कि "शीघ्र" शब्द हटा कर 48 घन्टे के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा। तो सारी बातों को देखकर इसका समाधान निकाल लिया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप अपने पक्ष में माननीय मंत्री जी को बुलाकर पूछ लें, उपलब्धता के बारे में पूछ लें, सरकार की घोषणा के मुताबिक उपलब्ध हो गया है या नहीं, यह आ जाये।

* श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो आश्वासन दिया गया था, मैं सम्मानित नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी जब वह चाहें, जो आवंटित मकान है, उनके लिये उपलब्ध रहेगा, आज जाना चाहे तो आज चले जायें, कल जाना चाहे तो कल चले जायें, वह आपको उपलब्ध रहेगा ।

*नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

मान्यवर, मैं थोड़ी जानकारी और देना चाहता हूं और स्मरण कराना चाहता हूं, शायद परसों जो बात हुई थी, मुझसे यह जानकारी चाही गयी थी, तो मैंने कहा था कि बहुखंडी में नहीं, गोमती नगर में नहीं, हम चाहते हैं कि बड़ा भले ही न हो, छोटा ही हो, लेकिन कालिदास मार्ग, माल एवेन्यू में हो और शायद इससे आप भी अवगत होंगे । परन्तु उस में कुछ नहीं हुआ । श्रीमन् जो आवास आवंटित हुआ है, उसके लिये मैंने पहले ही मना कर दिया था, मेरे वहां जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । जो आश्वासन दिया गया था, आपके सामने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी के सामने दिया गया था, मुझे बड़ा ही मकान न चाहिये, छोटा हो लेकिन अच्छा हो । मकान मिले या न मिले । मुझे दिल का दर्द हुआ था, तो उसके पहले ही मैंने एक सप्ताह पहले लिखकर दे दिया था राज्य सम्पत्ति अधिकारी को दे दिया था और कहा था कि यह मकान सीलनयुक्त है, उसमें बदबू आती है, उसमें मेरी तबियत कभी भी खराब हो सकती है, जो लेटर है उसकी कापी मैं आपको भिजवा दूंगा और अगर एक सप्ताह में मकान एलाट न हुआ तो कालिदास मार्ग पर मुख्य मंत्री के बंगले के सामने टेन्ट लगाकर स्वस्थ वातावरण में रहना प्रारम्भ कर दूंगा । प्रश्न इस बात का है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर हो रहा है, जो यहां कहा गया है उसके अनुरूप कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं देख लेता हूं, आपकी इस सहृदयता के लिए आभारी हैं, आपने तनाव से मुक्त कर दिया । इस प्रकरण पर अभी बात कर लेते हैं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

इसमें मेरा अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से है, अभी बाढ़ पर चर्चा लगी हुई है, महत्वपूर्ण चर्चा है, अनेक माननीय सदस्यों ने इच्छा प्रकट की है कि वह बाढ़ की चर्चा पर भाग लेगें, इसलिए बहुत जल्दी कार्यस्थगन प्रस्ताव सम्पन्न कर लें तो अच्छा है । आज दिनांक 23-7-98 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल चालीस सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :–

पहली सूचना–

श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री बाबू राम यादव, श्री चन्द्र नाथ सिंह की लखनऊ विकास प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

मेरा अनुरोध है मा० शिवपाल सिंह जी और एक और माननीय सदस्य जिसको आप चाहें बोल लें ।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

श्री सी० एन० सिंह बोलेंगे ।

---

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

दूसरी सूचना–

श्री लाल जी वर्मा की ''जनमोर्चा'' हिन्दी दैनिक, फैजाबाद में प्रशासक नियुक्त किये जाने से संस्था का लोकतांत्रिक स्वरूप खत्म होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

तीसरी सूचना–

श्री विनोद मणि तिवारी जी की जनपद–महराजगंज में बंधों की कटान से जन-सामान्य के समक्ष उत्पन्न भयावह स्थिति तथा ड्रेनेज खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रभावी कार्यवाही न कर माननीय सदस्य के विरुद्ध कथित रूप से फर्जी अभियोग पंजीकृत कराये जाने सम्बन्ध में है ।

चौथी सूचना–

श्री मुन्ना चौहान, श्री अम्बरीष कुमार, श्री राम कृपाल जी की उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम, 1998 का दुरुपयोग तथा शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही से शिक्षक वर्ग में असंतोष के संबंध में है ।

पांचवीं सूचना–

श्री संजय गर्ग की रुड़की विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर एवं प्रदेश समिति के अड़ियल रवैये के कारण अपनाई गयी चयन प्रक्रिया से इच्छुक प्रशिक्षार्थियों का भविष्य अन्धकारमय होने के संबंध में है ।

छठीं सूचना–

श्री विजय पाल सिंह जी की जनपद–आगरा में नर्सिंग होमों तथा अप्रशिक्षित डाक्टरों द्वारा जनता को लूटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

सातवीं सूचना–

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व श्री मुरलीधर जी की समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित महात्मा ज्योतिबाराय फुल्ले राजकोय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय मोहान रोड, लखनऊ में अनुसूचित जाति से संबंधित स्वच्छकार वर्ग के छात्रों को शिक्षा से वंचित किये जाने तथा विद्यालय बन्द किये जाने की साजिश के सम्बन्ध में है ।

आठवीं सूचना–

श्री शिव चरण प्रजापति व श्री राजाराम पाल की जनपद पीलीभीत के विधान सभा सदस्य श्री अनीस खां को जिला–कारागार, पीलीभीत से बरेली स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

नवीं सूचना–

श्री राम विशुन आजाद, श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह जी की गोण्डा नगर में स्थित गांधी पार्क को नगरपालिका गोण्डा द्वारा दुकानों के निर्माण हेतु पट्टे पर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

दसवीं सूचना–

श्री दीपक कुमार एवं श्री उदयराज यादव की प्रदेश में मछुआ समुदाय के लोगों की आजीविका हेतु शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के तहत पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया को सरल एवं व्यवहारिक बनाकर समस्या के निराकरण के संबंध में है ।

ग्यारहवीं सूचना–

डा० अशोक बाजपेयी की जनपद हरदोई के हसनापुर और फतेहपुर गयन्ध में संक्रामक रोगों से 11 लोगों की मृत्यु के संबंध में है।

बारहवीं सूचना–

श्री दुर्गाप्रसाद यादव एवं श्री अब्दुल कलाम की बाढ़ की विभीषिका से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक आपसे अनुरोध है लाटरी के सम्बन्ध में भी पन्द्रह मिनट सुन लें, उत्तर प्रदेश में यह बहुत बड़ा अवगुण और बहुत बड़ी बरबादी लाटरी से हो रही है, चाहे किसी में सुने 300 में या 311 में लाटरी पर अवश्य सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अच्छी बात है, पहले नियम–56 समाप्त होने दीजिए (व्यवधान) आपको सुन लूंगा।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, डा० प्रभात कुमार के विरुद्ध इस सदन में चार घन्टे तक चर्चा होती रही सरकार उनका पक्ष लेती रही और विपक्ष के सारे लोगों ने मिलकर उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात कही और इस पर यह चर्चा होती रही अन्त में बिना किसी निर्णय के यह चर्चा समाप्त हो गयी मान्यवर, सारे समाचार पत्रों में सारे मीडिया ने यह बात जन-जन तक पहुंचायी जनता उत्तेजित है, इस पर क्या निर्णय हुआ ? इसको जनता जानना चाहती है। डा० प्रभात कुमार जिनके पक्ष में पूरी सरकार सर के बल खड़ी हो गयी, मैं कहना चाहता हूं कि उनके संबंध में एक रिट पिटीशन एक उद्यमी इण्डस्ट्री डेवलपमेन्ट संघ नोयडा ने किया है इसमें 7 आई०ए०एस० के खिलाफ एक रिट पिटीशन उच्चत्तम न्यायालय में की है उसमें एक डा० प्रभात कुमार भी है। डा० प्रभात कुमार के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह आदेश दिया कि जो आरोप लगाये गये हैं उनकी जांच की जाय। जांच राजस्व परिषद् के अध्यक्ष कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट अभी नहीं आयी है लेकिन मुझे अफसोस है और खेद भी है कि जब जांच रिपोर्ट नहीं आई है तो सरकार ने उनको कैसे निर्दोष साबित कर दिया ? जो रिट पिटीशन में आरोप लगाये गये थे वह यथा स्थिति जहां के तहां है। दूसरी बात यह जब यह देहरादून में थे तो देहरादून का मामला यहां आ चुका है और उन्होने अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदी उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। मान्यवर, जब यह नोएडा में दोबारा नियुक्त हुये तो अपने कार्यकाल में एक स्कीम निकाली उसके एक भू-खण्ड को अपने नाम लाटरी में निकाल लिया। सेक्टर 50 में फिर हेरा-फेरी करके उसको सेक्टर 51 में कर दिया और फिर उनकी नीयत खराब हुई तो उससे अच्छे सेक्टर 39 में कर दिया जहां पर भू-खण्ड की कीमत ज्यादा थी इसकी शिकायत हुई और जांच हुई।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार विषयक सूचना को वर्तमान सत्र में दुबारा उठाये जाने के सम्बन्ध में नियम 58 (5) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 58 के उप नियम–5 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें व्यवस्था है कि प्रस्ताव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो । मान्यवर, इस पर चर्चा हुई । चर्चा एक घंटे की स्वीकार हुई थी समय बढ़ते-बढ़ते साढ़े चार घंटे चर्चा हुई । मान्यवर, इस पर चर्चा हो चुकी है । अगर सदन नियमों से चल रहा है तो क्या इसी सत्र में दोबारा इसी विषय पर चर्चा हो सकती है ?

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, नियम मैंने भी पढ़े हैं उस दिन लखनऊ में जो तोड़-फोड़ हुई थी उस पर चर्चा हुई है ।

श्री हुकुम सिंह–

उस दिन हर प्रकार की चर्चा हुई है ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, नियम 69 देख लीजिए । मैं कर बद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री मुझसे कम से कम एक वर्ष बड़े हैं । अब तो उनके नाती हो गये हैं । वह इस तरह की बात करते हैं । मान्यवर, नियम 59 में है, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि इससे न्यायाधिकरण सन्निविहित प्राधिकरण आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है तो अध्यक्ष स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे । मान्यवर, नियमावली में बहुत स्पष्ट है । आपने मुझे अनुमति दी है । [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह व्यक्तिगत आरोप है । आप नियम 58 (3) को देखें । संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो मेरा ध्यान आकृष्ट किया 58 (3) में है कि प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निबद्ध रहेगा । यह तो नोयडा में जमीन खरीदने का मामला है ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही है, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह तोड़-फोड़ का मामला था, लोगों के मकान तोड़े गये लेकिन आज की सूचना भ्रष्टाचार के बारे में है । उस दिन का और आज का दोनों का विषय अलग-अलग है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपने जो संदर्भित अधिकारी द्वारा भूमि क्रय किये जाने की जांच की मांग की तो यह कब क्रय कर लिया गया, यह हाल की घटना कहां हुई ?

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, इसमें आपका विवेक है, आप हमारी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमें भी आपका संरक्षण प्राप्त है। मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 58 (5) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दो दिन पहले अभी इस विषय पर चर्चा हुई। इसमें एक प्रतिबन्ध लगा हुआ है। 58 (5) के अनुसार प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें व्यवस्था की बात कहां से आ गयी ? माननीय बाबू राम यादव जी इसका उत्तर देने में सक्षम हैं, वह दे देंगे या तो आप यह कह दीजिए कि आप उनसे अधिक विद्वान हैं।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह बात नहीं है। 20 जुलाई, 98 को इसी सत्र की कार्यवाही के पेज नं० 128-130 जिसमें आपने यह व्यवस्था दी कि जब अतिक्रमण के साथ-साथ और बातें आने लगीं तो आपने व्यवस्था दी कि यह सूचना लखनऊ में अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में है या किसी अधिकारी पर आरोप लगाये जाने के सम्बन्ध में है। अतिक्रमण के सम्बन्ध में बहस हुई। यह सूचना भ्रष्टाचार के बारे में है। सूचना पढ़ लें। सारी जगह दी गयी है, उस अधिकारी ने फलाँ-फलाँ जगह तैनाती के कार्यकाल में और मौजूदा लखनऊ के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य होगी। सवाल इस बात का है कि रोज नियमों का हवाला दिया जाता है। मैंने एक विशेष नियम का उल्लेख किया और यह प्रतिबन्ध है कि इसमें अगर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है और यह दबाव में आकर चर्चा यहां पर रखे और मैं नियम भी न दिखा सकूं। एक अधिकारी को डिमोर्लाईज करने के लिए रोज चर्चा लायें यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को मंगवा रहा हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही दिखवा रहा हूं।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमरमणि)–

प्रदेश के आई० ए० एस० संघ ने तीन भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित करने का काम किया है। उनके बारे में यह लोग कोई बात नहीं उठाते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जाएं। नहीं तो मजबूरन मुझे सदन स्थगित करना पड़ेगा।

(घोर व्यवधान होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 2.30 तक स्थगित कर रहा हूं । आप लोग नहीं चाहते हैं कि कार्यवाही सुचारु रूप से चले ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

(समय 2.00 बजकर 30 मिनट)

(श्री बाबू राम यादव जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री बाबू राम यादव जी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था नियम 58 (5) में कि दुबारा चर्चा नहीं हो सकती है किसी ऐसे विषय पर जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो । उस दिन इस विषय से संबंधित जितनी सूचनायें थीं, उनको एक साथ कर दिया गया था । उनके नाम मैंने निकलवा लिये हैं । मैं संक्षेप में पढ़ना चाहता हूं । 36 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर से कुल 8 सूचनायें अलग-अलग आयी थीं । इसमें जो सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री कौकब हमीद आदि द्वारा हस्ताक्षरित है, इस सूचना में यह लिखा गया था भ्रष्ट अधिकारियों को उपकृत कर देते हैं उन्हें उपकृत करके मुक्त कर दिया जाता है । मुरादाबाद, लखनऊ, देहरादून में एक ही भ्रष्टाचार का खेल खेलने वाले अधिकारी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार किया जा रहा है । दूसरी सूचना जिस पर श्री अब्दुल मन्नान जी के हस्ताक्षर हैं, उसमें कहा गया था-मिली भगत से हमेशा प्राधिकरणों में महत्वपूर्ण तैनाती पाते रहे और गरीबों, पिछड़ों को उजाड़ करके व्यावसायिक काम्प्लेक्स बनवाते रहे । दलित विरोधी मानसिकता के इस भ्रष्ट अधिकारी पर करोड़ों रुपये के घोटाले करने के आरोप भी हैं, विशेष आडिट में इसे दोषी भी पाया गया है । इसकी जांच जारी है लेकिन इसके बाद भी भ्रष्ट अधिकारी की तैनाती लखनऊ विकास प्राधिकरण में की गई है ।

इसी से संबंधित एक सूचना और थी जिस पर श्री आर० के० चौधरी जी के हस्ताक्षर हैं, जिसमें कहा गया था महाभ्रष्ट अधिकारी के रूप में जाना जाने वाला लखनऊ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष लखनऊ की कीमती भूमि भू-माफियों को दे रहे हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए अर्जित किये । उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध जन सैलाब तैयार है । उनके कृत्यों से लखनऊ में गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों में गम्भीर आक्रोश है । जब इन सूचनाओं पर नियम 56 प्रारम्भ हुआ तो मैंने स्थगन के अन्तराल के समय का उपयोग किया । जब चर्चा प्रारम्भ हुई तो मैं खाली बीच के कुछ अंशों का उल्लेख करना चाहूंगा माननीय सदस्यों के भाषणों का । श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने अपने भाषण में कहा "मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं उनका पिछला इतिहास रहा है कि जहां-जहां पर वह रहे उन्होने बड़े-बड़े बिल्डर्स और बड़े-बड़े भू-माफियों से गरीब जनता का गरीब लोगों का हक छीनने का काम किया है । मान्यवर, जब यह देहरादून में थे, तब इन्होंने किशनपुर योजना बिना शासन की अनुमति के बनाई" फिर इसके बाद इन्होंने कहा "मेरे पास भ्रष्टाचार के बहुत से अभिलेख है, उन्हें मैं आपको दे दूंगा, इसे कार्यवाही में जोड़ लिया जाय और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को आप बर्खास्त करने का निर्देश देंगे"। माननीय सुरेन्द्र नाथ जी ने अपने भाषण में कहा "एक व्यक्ति अपना कैरियर एस० डी० एम० देहरादून से शुरू करता है और एक सम्पत्ति अर्जित करता है । अपनी पत्नी के नाम से, अपनी सास के नाम से और अपने बच्चों के नाम से । वही व्यक्ति जब वाइस चेयरमैन बनकर देहरादून जाता है तो जिस जगह उसकी सम्पत्ति है उस रोड पर देहरादून-मंसूरी पर देहरादून विकास प्राधिकरण की एक योजना शुरू करता है जिससे वहां की जमीन की कीमत सात गुना बढ़ जाती है" । इस तरह से मैं अंतिम अंश को पढ़ देता हूं उसमें ठेकेदार के बारे में कहा गया है कि "सी-14 बटलर पैलेस जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के चेयरमैन का आवास है वहां पर अवैध निर्माण किस

ठेकेदार द्वारा हो रहा है" । इसके आगे सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी ने कहा है एक जगह पर "मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृष्टि में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष यदि राजा हरीश चन्द्र के वंशज के रूप में है तो उन्हें कहीं और बेहतर जगह दी जाय, वहां उन्हें महिमामंडित किया जाय" । आगे कहा है कि "जब ये परगनाधिकारी, देहरादून थे तो उस समय इस ईमानदार अधिकारी ने इस पद को महिमामंडित करने के लिये न केवल देहरादून में अपनी पत्नी के नाम पर महंगी जमीन को सस्ते दाम पर लिया बल्कि फिर उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए लोगों को फिर से प्रभाव में लेकर देहरादून मंसूरी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर स्थापित हो गया ।

पद पर स्थापित होने के बाद अपने तथा अपनी पत्नी के नाम पर जमीन आवंटित करके वहां पर एक आवासीय योजना लांच करते हैं" । इसी तरह से आगे कहा है कि "जब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष था तो उस समय राज्य सरकार के निर्देश पर वहां की जांच की गई थी और 22 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमिततायें पायी गई थीं" । इनके बाद में श्री चन्द्र नाथ सिंह जी ने अपनी बात में कहा "इस आदमी ने करोड़ों रुपये की जमीन मंसूरी में अपनी पत्नी के नाम खरीदी है । यह जमीन उसने तब खरीदी है जब वह एस० डी० एम०, मंसूरी थे और कांग्रेस के समय में वह वहां के एस० डी० एम० बनाये गये थे" इसमें आपने अपनी सदस्यता से इस्तीफा की बात करते हुए कहा है " मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा अगर सी० बी० आई० से जांच कराने के बाद आरोप सिद्ध न पाए गये । उस अधिकारी के विरुद्ध सी० बी० आई० जांच बिठा दीजिये । अगर मुख्यमंत्री जी ईमानदारी का ढोंग करते हैं कानून के राज की बात करते हैं तो उस अधिकारी के विरुद्ध सी० बी० आई० की जांच कराएं उसके घर में ही करोड़ों रुपये की सम्पत्ति बरामद हो सकती है । उसके फर्नीचर को देखें" । इसके आगे फिर एक जगह कहा है कि "मंसूरी की जमीन क्रय करते समय क्या उन्होंने परमीशन ली है ? देहरादून में जमीन क्रय करते समय क्या इन्होंने परमीशन ली है ? मुरादाबाद में कितने घपले के उन पर आरोप लग रहे हैं" । इसके बाद मैंने प्रश्न पूछा था माननीय चन्द्र नाथ सिंह जी से कि यह सूचना लखनऊ में अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में है या किसी अधिकारी पर आरोप लगाने के सम्बन्ध में है । माननीय चन्द्र नाथ सिंह जी ने जो उत्तर दिया वह यह है "मान्यवर, मैं जो यह सूचना दे रहा हूं यह विकास प्राधिकरण, लखनऊ के उपाध्यक्ष के बारे में दे रहा हूं" । आपने अनेक विश्लेषण लगाने के बाद कहा "इस अधिकारी को मुअत्तल किया जाय । यदि इस अधिकारी की सी० बी० आई० से जांच नहीं कराई गई और मेरे आरोप सही नहीं पाये गये तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं । मेरे पास इस अधिकारी के विरुद्ध जो आरोप हैं उनके प्रमाण सहित देने के लिये मैं तैयार हूं" ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार प्रकट किये थे । उन्होने कहा "श्रीमन् यह भी सदन के संज्ञान में बात आ गयी कि जिस अधिकारी ने अतिक्रमण हटाये जाने में पूरा-पूरा अपना हाथ बटाया यही नहीं, इस प्रदेश के कई स्थानों पर वह रह चुका है और वहां उसके खिलाफ अनेकानेक भ्रष्टाचार के आरोप हैं" आगे फिर उन्होंने कहा है कि "भ्रष्टाचार का आरोप और जिस बात का प्रमाण हमारे पक्ष के माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष कहा है, उन प्रमाणों के आधार पर और हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो मौखिक रूप से कहा है उसको आधार मानकर जांच कराई जायं" तो इस प्रकार से आज जो आपकी सूचना का विषय है उस पर विस्तारपूर्वक आठ सूचनाएं उस दिन आई थीं । दिनांक 16-7-98 को इसमें भ्रष्टाचार के बारे में भी चर्चा हुई, लखनऊ के अतिक्रमण के बारे में भी कुछ सूचनाएं थीं, उस पर भी चर्चा हुई । कुछ सूचनाओं में लिखित रूप में भ्रष्टाचार के आरोप अधिकारी के नाम पर थी व कुछ में पदनाम लिखकर ही थीं । चार घंटे से अधिक इस विषय पर चर्चा हुई । इस विषय पर चर्चा हो चुकी है इसलिये भी यह नियम 58 (5) से व (3) से भी बाधित है । मैंने गम्भीरतापूर्वक इसको देखकर इसका एक-एक बिन्दु पढ़ा है ।

श्री बाबू राम यादव–

आपने बताया कि अन्य लोगों ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सूचना दी, हम स्वीकार करते हैं । क्या सूचना दी, इससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था के बाद यह इश्यू नहीं आना चाहिए।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, हमारी बात तो सुन लें। श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री राम औतार ने सूचना दी है यह लखनऊ में तोड़-फोड़ के सम्बन्ध में है, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नही है। उसके बाद इसी बीच में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह ऐलान कर दिया कि अधिकारी ईमानदार है, क्यों उसके खिलाफ बोल रहे हैं ? यह कह कर संसदीय कार्यमंत्री जी ने दिशा मोड़ दी। दिशा मोड़ने पर भ्रष्टाचार के ऊपर बोला गया। असली सूचना तोड़-फोड़ के बारे में थी, जो बरसात में घर ढहाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना थी वह भ्रष्टाचार और तोड़-फोड़ दोनों से सम्बन्धित थी।

श्री बाबू राम यादव–

मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। मेरा निवेदन सुन लें। मेरी जो सूचना थी उसमें कहीं भ्रष्टाचार की बात नहीं थी। माननीय हुकुम सिंह जी जब मेम्बर थे तो यह उस अधिकारी के लिए कहते थे कि लूटखोर है। अब जब यह मंत्री जी हो गये हैं तो कहते हैं कि ईमानदार है।

(व्यवधान)

* (वन मंत्री) श्री रघुवर दयाल वर्मा –

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 56 के अन्दर 16 तारीख को चर्चा हुई। उस प्रसंगवश ससंदीय कार्यमंत्री जी ने 58 (5) का उल्लेख किया जो माननीय सदस्यों ने 16 तारीख को चर्चा की उसको आपने कहा। अब जब इसमें आदेश हो गये, व्यवस्था हो गई, फिर वही बात उठाई जा रही है। श्रीमन् आप अपनी व्यवस्था जो दे चुके हैं उसके खिलाफ फिर पुनः उसकी बात को रखना सदन की अवमानना है। अब इस पर चर्चा बन्द करा दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाबूराम यादव जी ने कह दिया कि व्यवस्था हो गई। लेकिन मेरी व्यवस्था के सन्दर्भ में कुछ बात मेरी जानकारी में लाना चाहते हैं।

श्री बाबू राम यादव–

मेरी सूचना पर आप सुनें या न सुनें, कोई दिक्कत नहीं है।

(व्यवधान)

मुझे तकलीफ इस बात की है कि यही माननीय सदस्य लूट का आरोप लगाते हैं। मैंने व्यवस्था उठाई तो आपने कहा कि 300 में नहीं आता। आपने पढ़कर, पूरी जानकारी करके, अध्ययन करके कहा, नियम 300 में नहीं आता। 56 में उठा लीजिये। आपने व्यवस्था दे दी, अब आप व्यवस्था बदल रहे हैं, तो कैसे होगा ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

आप पूरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आपके तर्क के उत्तर में मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने तर्क भी रखूं।

श्री बाबू राम यादव–

कल आपने कह दिया। कल उठा लीजियेगा आश्वासन हो गया। आप विद्वान हैं, [xxx] हुकुम सिंह जी भी बुड्ढे हैं। आप कहते हैं कि लूट हुई है और कभी कहते हैं कि ईमानदार हैं तो क्या होगा इस सदन का ?

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरी घोर आपत्ति है। ये व्यक्तिगत रिमार्क न पास करें। इस आवरण में किसी अधिकारी पर टिप्पणी न करें। आपका निर्णय हो गया तो निर्णय के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं दें लेकिन उसका आवरण में कोई रिमार्क न लगायें। कोई आरोप प्रत्यारोप न लगायें।

श्री अध्यक्ष–

हम लोग एक दूसरे पर आरोप न लगायें तो ठीक होगा।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मेरा कोई आरोप नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं उनकी कही हुई बातें कह रहा हूं। कल किसी को वे बुरा कहते हैं और आज वह उनके लिए अच्छे हो गये। आपने कहा कि नियम–56 में सुन लेंगे। आप भी बदल गये हैं और माननीय हुकुम सिंह जी भी बदल गये हैं। आपने सुनने की अनुमति दे दी और दूसरे लोगों को जो सूचनाएं थीं उनको संकलित कर लिया उसका सन्दर्भ दे रहे हैं। इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मेरे साथ नियम पढ़ लीजिए। हो सकता है कि मैं गलती पर हूं और हो सकता है कि आप गलती पर हों।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी बराबरी नियमों में नहीं कर सकता हूं। आप विद्वान हैं, ज्ञाता हैं लेकिन सत्यता का आधार कुछ हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

आप यदि नियम–56 में कोई सूचना देंगे तो सत्ता पक्ष को अधिकार है कि वह आपकी बात पर आपत्ति करे। जो प्रतिबन्ध है वह व्यक्ति या सदस्य के बारे में नहीं है, वह विषय पर है। अगर आपकी बात मान लें। माननीय सदस्य ने एक विषय पर सूचना दे दी और चर्चा हो गयी और उसके

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शाद चर्चा समाप्त हो गयी, उस पर व्यवस्था दे दी गयी । फिर दूसरे दिन दूसरे माननीय सदस्य ने इसी विषय को फिर से उठाया तो यह बाध्यकारी है । एक ही विषय को यदि 425 विधायक कह देंगे और यह कह देंगे कि मेरी सूचना नहीं है तो वह प्रतिबंधित है । अगर चर्चा हो गयी है तो वह प्रतिबंधित है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यदि आप नहीं सुनना चाहेंगे, तो हम बाध्य तो कर नहीं सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि यह सूचना नियमों से बाधित है मैं माननीय श्री बाबू राम यादव और माननीय संसदीय कार्य मंत्री की व्यवस्था पर उठाये गये प्रश्न पर नियम–58 के उप नियम (3) तथा (5) को दृष्टिगत रखते हुए इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

(डा० वकार अहमद शाह, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री दीपक कुमार, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री योगेन्द्र सिंह तथा श्री गोपाल कृष्ण आदि विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर उक्त प्रकरण पर बोलने की मांग करने लगे ।)

(कई सदस्यों के एक साथ जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

कृपया अपने स्थान पर वापस जायें । बहुत अच्छा स्वरूप आप दिखा रहे हैं ।

(श्री चन्द्रनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर खड़े होकर अनुरोध करने लगे कि कृपया बाबू राम जी को 2 मिनट सुन लीजिए हम लोग अपने स्थान पर वापस चले जायेंगे ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अम्बिका चौधरी जी कृपया अपने सदस्यों से अनुरोध करें, कि वे अपने आसनों पर वापस जायें । सदन का समय नष्ट हो रहा है ।

(श्री चन्द्रनाथ सिंह पुनः अनुरोध करने लगे कि माननीय श्री बाबूराम यादव जी को अनुमति दे दें, वे आपकी अनुज्ञा से ही बोल रहे थे ।)

श्री अध्यक्ष–

मैंने बोलने का अवसर दिया, व्यवस्था का प्रश्न उठ गया । मैंने नियमों को देखा, नियमों में अगर बाधित न होता, तो मैं जरूर कहता । आप लोग कृपया अपने स्थान पर वापस जायें, अभी बहुत महत्वपूर्ण काम बाकी हैं ।

(सदन के वेल से खड़े होकर कई सदस्य माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करने लगे कि श्री बाबूराम जी को अनुमति दे दें, वे आपकी अनुज्ञा से ही बोल रहे थे ।)

श्री अध्यक्ष–

मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया, व्यवस्था का प्रश्न उठ गया, मैंने नियम देखा, मैंने कार्यवाही देखी और लगा मुझे मेरी दृष्टि से कि व्यवस्था का प्रश्न सही उठाया गया है । आप पहले कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये । मैंने व्यवस्था दे दी है ।

(सदन के वेल पर आये माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

मैं कल की कार्यवाही देख लूं कि मैंने क्या कहा ? मुझे दो मिनट का समय दें दें । किसी को भ्रम न हो कृपया कल की कार्यवाही सुन लें ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र) –

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, ये पीठ की मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहे हैं ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

[xxx]

श्री अम्बिका चौधरी–

[xxx]

श्री रंगनाथ मिश्र–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा । जो सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोलेंगे चाहे मंत्री हों या कोई हो, लिखा नहीं जायगा । मेरी व्यवस्था के बाद भी माननीय सदस्य अनुरोध कर रहे है कि दो मिनट उनको सुना जाय, और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जब कल उनकी सूचना आयगी तो मैंने कहा था कि आज दे दें 56 में मैंने कल की कार्यवाही निकाल लिया है, मैं पढ़ रहा हूं, कल माननीय शिवपाल जी ने सूचना दी थी और कहा था– मान्यवर, 311 में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के खिलाफ जांच कराने के बारे में सूचना दी है । 20 जुलाई को इसी सदन में भ्रष्टाचार के आरोप उनपर लगाये गये थे और चर्चा हुई थी । इस भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ सी० बी० आई० से जांच कराई जाय । तो मैंने कहा था, "श्री अध्यक्ष–आज आपकी सूचना आई थी वह आज श्लाका में नहीं आ पाई कल आप फिर सूचना दें" जब कोई माननीय सदस्य सूचना देता है चाहें सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो तो किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि व्यवस्था का प्रश्न उठाकर यह कहे कि यह सूचना नियमों में नहीं ली जा सकती और अग्राह्य करने योग्य है । आज बाबू राम जी ने बोलना प्रारम्भ किया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनके कुछ वाक्य बोलने के बाद उन्होंने कुछ आपत्ति उठाई उसको मैंने सुना उसके बाद मैंने यह व्यवस्था माननीय बाबू राम जी और संसदीय कार्य मंत्री जी की 20 जुलाई की कार्यवाही देखने के बाद दी थी । माननीय सदस्यों का अनुरोध है कि दो मिनट फिर सुन लिया जाय । आमतौर पर व्यवस्था यह है माननीय बाबूराम जी कि एक बार व्यवस्था हो गई तो उसको सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, उनकी सहृदयता रहती है, उनका सद्भाव रहता है । मैं केवल इस बात का अनुरोध कर रहा हूं कि नियम 58 पर उप नियम पांच है, वह विषय पर चर्चा को बाधित करता है आपने नियम 56 की सूचना दी कि इस विषय पर चर्चा करा ली जाय । माननीय संसदीय कार्यमंत्री का कहना है कि इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती आपने तर्क दिया कि आपके द्वारा जो सूचना दी गई थी, उसमें उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था ।

आठों सूचनाएं एकत्रित कर ली गई थीं, सबको साथ सुना गया और उसमें तथाकथित भ्रष्टाचार का उल्लेख था, जिसका आपने भाषण के प्रारम्भ में उल्लेख किया । नियम 58 (5) विषय को वाधित करता है किसी व्यक्ति के किसी सदस्य द्वारा दी गई सूचना को वाधित नहीं करता है अन्यथा एक माननीय सदस्य ने सूचना दी उस पर चर्चा हो गई, फिर दूसरे दिन दूसरे माननीय सदस्य सूचना दे देंगे और कहेंगे कि मेरी सूचना तो अस्वीकार नहीं हुई थी, इसलिये मेरा अधिकार है । तीसरे दिन तीसरे माननीय सदस्य सूचना दे देंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस विषय पर 20 तारीख को चर्चा हो गई, उस विषय पर आप पुनः चर्चा की मांग कर रहे हैं, अब यह चर्चा नहीं हो सकती, नियम 56 के अन्दर सूचना अग्राह्य है, यही व्यवस्था का प्रश्न माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उठाया था । आपने जो नोएडा का उल्लेख किया, वह तात्कालिक नहीं है ।

श्री बाबू राम यादव–

मैं समरसता रखना चाहता हूं । पूरा सत्र निकल गया, हम लोगों ने आपके आदेश का पालन किया है । मैं इतने दिनों से सदस्य हूं लेकिन शायद ही कभी इतना कोआपरेशन मैंने देखा ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो आभारी हूं, आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, 3-4 घन्टे चर्चा हो गई लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने उस दिन चर्चा की दिशा ही मोड़ दी, हुकुम सिंह जी नाराज हो जाते हैं, इसलिये मैं डर जाता हूं, बड़े हैं, बड़ों से डरना भी चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह–

सूचना जो लिखकर दी थी, वह मुझसे क्या पूछकर दी थी ?

श्री बाबू राम यादव–

मैं कह रहा था कि उसमें दूसरे माननीय सदस्यों का नाम जोड़ दिया । [xxx]

श्री अध्यक्ष–

मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है । इतना अंश मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री बाबू राम यादव–

यह हिम्मत आपमें है, इसके लिये हम आपका आभार व्यक्त करते हैं । सरकार भ्रष्टाचार का पक्ष लेती है बाबू राम को इससे कोई मतलब नहीं है, [xxx]

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, मैनें आपको लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई, प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना कि यह आदमी बेईमान है अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच हो रही है, अभी जांच का निर्णय नहीं हुआ है और सरकार उसे क्लीन चिट दे रही है, कह रही है कि अधिकारी बहुत बढ़िया है, ईमानदार है, हमें कोई दिक्कत नहीं । सरकार उसे ईमानदारी का प्रमाण-पत्र दे रही है । हमारे साथियों को इससे कोई एतराज नहीं । यह प्रदेश इस सरकार की जागीर नहीं है, हमारी जागीर नहीं है । यह 16 करोड़ जनता का प्रदेश है, इस समय जो हालात हैं.....

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात अब आ गई, सदन ने भी समझ लिया है ।

श्री बाबूराम यादव–

अगर इजाजत दें, तो कुछ बिन्दू ऐसे बता दूं । दूसरे लोगों की सूचना थी, संसदीय कार्य मंत्री ने उसकी दिशा ही मोड़ दी और दिशा मोड़कर जबाब आयेगा तो क्या होगा ? प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ आयेगा, जो आरोप लगाये हैं, उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जबाव दें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

सरकार के ऊपर अनर्गल आरोप लगाये जा रहे हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

जबाव प्रश्न से हटकर दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गयी । जो आपको कथन करना था, काफी आ गया ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बाबू राम यादव–

आपका जो निर्णय है, [xxx]

श्री अध्यक्ष–

[xxx] लेकिन सदन की कार्यवाही आगे चलने दें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाये गये हैं। हमारी बात भी तो आनी चाहिए। हमारा निवेदन है कि भू-माफियाओं का पक्ष लेकर सदन का समय नष्ट कर दिया जाता है यदि प्रतिपक्ष भू-माफियाओं का है समर्थन करना चाहता है तो एतराज नहीं है। मान्यवर, इस सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, हमारी सरकार अतिक्रमण हटाने के पक्ष में है, वह चाहे कितना ही बड़ा भू-माफिया क्यों न हो ?

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, जन मोर्चा प्रेस.....

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, बाढ़ पर चर्चा कब करायेंगे ?

(श्री चन्द्रनाथ सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा समय मिलने दीजिये, चर्चा करायेगें। माननीय श्री सी० एन० सिंह, आप कृपया बैठ जायें। सदन में शांति बनाये रखें। आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए, कार्यवाही चलने दें।

(व्यवधान)

श्री रंग नाथ मिश्र–

गलत कामों का समर्थन बुरी बात है।

श्री लाल जी वर्मा–

आप क्यों खड़े हो जाते हैं ? [xxx]

(व्यवधान)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

* श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, जनमोर्चा हिन्दी दैनिक अखबार, उ० प्र० में सहकारिता पर चलने वाला समाचार पत्र है, यह पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक मात्र सफलता पूर्वक सहकारिता में चलने वाला समाचार पत्र है, यह फैजाबाद और पूर्वांचल में सबसे स्वच्छ और अपने विचारों की अभिव्यक्त करने वाला और जनता की सेवा करने वाला सहकारिता पर आधारित है, उसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा हुआ है, ऋण के रूप में या अनुदानों के रूप में नहीं लगा है और न ही सरकार की एक पैसे की साझेदारी है और न कोई उसमें वित्तीय अनिमितता है, पत्रकार बन्धुओं द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के आधार पर इसके द्वारा की जाती है और उससे पूर्वांचल की जनता को लाभ पहुंचता है। वहां की जनता सहकारिता आन्दोलन से ओतप्रोत है, और उसी के अनुरूप उसे चलाने का प्रयास किया है। सरकार जो

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने को प्रेस की आजादी का बार-बार उल्लेख करती है उसने जनमोर्चा जैसे अखबार को जो सहकारिता पर चल रहा है, उस पर प्रतिबन्ध लगाया है और जो लोग चाहते है कि यह प्रेस चले जिन्होने बड़ी मेहनत करके इसका संचालन किया है आज भी उसे डेढ़ रुपया प्रति अखबार बेचते हैं। उसे समाप्त करने की दिशा में प्रयास हो रहा है।

यह सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगवाने का प्रयास कर रही है और वहां पर एक प्रशासक बैठा दिया गया है, जिसका प्रेस से कोई संबंध नहीं है, तो निश्चित रूप से यह प्रेस की आजादी पर कुठाराघात करने की दिशा में एक कदम है, इससे पूर्वांचल की जनता प्रभावित हो रही है और इससे जो विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगाने का काम हो रहा है। इस प्रशासक का पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है वहां के लोगों ने एक बड़ा कदम उठाया है और सरकार से बिना कोई सहायता लिए सहकारिता के आधार पर एक अच्छा कदम उठाया, जिस पर यह अंकुश लगा रहे हैं। प्रेस की आजादी का बार-बार गुणगान करने वाली यह सरकार उसे समाप्त कर रही है, मैं चाहता हूं कि इस पर पूरी तरह से बहस हो यह अविलम्बीय और लोक महत्व का प्रश्न है। इसलिए नियम-56 की समस्त धाराओं पर पूरी तरह से खरा उतरता है इसलिए सारा कार्य रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अधयक्ष–

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर) आपकी सूचना बिजली पर है, इस पर सूचना नही दी है, आपने कोई सूचना इस पर आज नहीं दी है।

श्री प्रमोद कुमार-

इस अखबार की आवाज को बन्द न किया जाए। यह सहकारिता के आधार पर संचालित होता है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी कोई सूचना इस पर नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह मेरे क्षेत्र से संबंधित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्षेत्र का होने के बावजूद पाल जी ने इसके महत्व को नहीं समझा।

श्री जगदम्बिका पाल–

दो दिन से मैं सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना दूसरे विषय पर है।

श्री जगदम्बिका पाल–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

(व्यवधान) यह लिखा नहीं जाएगा। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है। (व्यवधान) मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) –

मान्यवर, सहकारी समितियों का संचालन और गठन सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत होता है। उसके संचालन मण्डल का चुनाव होता है और उसकी एक निश्चित कार्य अवधि होती है। उस अवधि के समाप्त होने के बाद वह काम करना बन्द कर देते है तो काम चलता रहे, इसके लिए

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रशासक बैठाया गया है । चुनाव होने तक वहां प्रशासक बैठाया गया है । शीघ्र चुनाव करायें जायेंगे । जहां तक समाचार पत्र का प्रश्न है समाचार पत्र चल रहा है और चलता रहेगा ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । इस समिति का कार्यकाल 30 सितम्बर, 99 तक था लेकिन प्रशासक बैठा दिया गया । इसी तरह से सहकारी आवास समितियां हैं उनके चुनाव भी नहीं हुये हैं । परन्तु उनमें कोई प्रशासक नहीं बनाया गया है जनमोर्चा जो प्रेस से संबंधित मामला है उसमें सरकार जानबूझकर प्रेस की आजादी पर चोट पहुंचाने का कृत्य कर रही है । सरकार के इस कृत्य के खिलाफ मैं सदन से वाकआउट करता हूं ।

(श्री लाल जी वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री लाल जी वर्मा और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं । यह लिखा नहीं जाएगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, सरकार की इस नीति के खिलाफ मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री अवधेश प्रसाद सदन त्याग कर चले गये)

श्री जगदम्बिका पाल–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जाएगा ।

श्री विनोदमणि–

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में पूर्वी उत्तर प्रदेश की भयानक बाढ़ के संबंध में तथ्य लाना चाहता हूं । वहां बाढ़ ने भयानक तबाही मचायी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप दो मिनट में अपनी बात कहें, 4 बजे विनियोग विधेयक आना है ।

श्री विनोदमणि–

पूर्वांचल में बंधे टूटने से बाढ़ की भयानक स्थिति है । हमारे जनपद में राप्ती नदी पर ड्रेनेज खण्ड नं०–1 गोरखपुर के अन्तर्गत करमैनी, पनघटिया, करमैली बिलौली, दो बांध है यह दोनों बांध तीन-चार जगह से कट गये हैं इन बंधों को बचाने के लिए ड्रेनेज खण्ड के अधिशाषी अभियंता द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । 21 तारीख को जनता में भारी रोष था, बन्धे कट रहे थे, गांव डूब रहे थे जब मैं बेलसड़ से कटान देखकर फरेन्दा की तरफ लौट रहा था तो अधिशाषी अभियन्ता उधर से जा रहे थे, उनकी गाड़ी को देखकर जनता ने उन्हे बनकटा गांव पर रोक लिया और रोककर रोष जाहिर कर रही थी । विधायक और क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी रुक गया । मैंने भी निवेदन किया कि अधिशाषी अभियन्ता महोदय, इलाके के सारे बन्धे टूट रहे हैं

और आप यहां 14 दिन के बाद आ रहे हैं । आप यह बता दें कि इन बन्धों को टूटने से रोकने के लिए आपने कौन सी कार्यवाही की है ।.....

श्री अध्यक्ष–

विनोदमणि जी, अब कृपया समाप्त करें ।

श्री विनोदमणि–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । मान्यवर, पूरे 425 विधायकों के सम्मान और अधिकार का प्रश्न है । मेरे इतना पूछने पर उस अधिशाषी अभियन्ता विक्रम राज सिंह ने अभद्रता की और कहा कि मैं तुमको जबाव नहीं दूंगा, सिंचाई मंत्री को जबाव दूंगा और आपकी मुझसे पूछने की हैसियत नहीं है । मान्यवर, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, एक विधायक होने के नाते मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा था और मुझे यह पूछने का अधिकार था । उस अधिशाषी अभियन्ता ने गोरखपुर के कैम्पियरगंज थाने में मेरे खिलाफ राहजनी व अपराध संख्या 232/98, धारा–352-506 व 504 आई० पी० सी० में दर्ज है । मान्यवर, मैं अगर अपने दायित्व का निर्वहन करता हूं तो मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखायी जाती है । इससे मेरे अधिकारों का हनन हुआ है । मैं आपकी पीठ से संरक्षण चाहता हूं । 18 साल से वह अधिशाषी अभियन्ता व अन्य अभियन्तागण एक ही स्थान पर तैनात हैं और इन अभियन्ताओं से बड़े-बड़े गैंग मिले हैं, मेरी हत्या भी हो सकती है । मान्यवर, इस पर आप सरकार को निर्देश दें, जिससे मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकूं ।

* श्री हुकुम सिंह–

सम्मानित सदस्य विनोदमणि जी ने सूचना के माध्यम से ध्यानाकर्षित किया है । यह बात सही है कि महराजगंज जनपद में 117 गांव प्रभावित हैं, 11,888 हेक्टेयर कृषि भूमि भी प्रभावित है । वहां पर अभी तक 338 मकान भी क्षतिग्रस्त हुये हैं । सरकार ने वहां पर अभी तक जो राहत के रूप में किया है उसमें 30 बाढ़ चौकियां और 30 राहत केन्द्र खोले गये हैं, 17 देशी नावों का प्रबन्ध किया गया है ।.....

श्री अध्यक्ष–

जितना व्यक्तिगत है वह बता दें ।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है मान्यवर, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि बाढ़ की चर्चा होनी है । जो मुझे बताया गया है न जाने किस कारण से माननीय सदस्य की भावना को चोट पहुंची है । दलगत राजनीति से उठकर माननीय सदस्यगण की भावना का सम्मान करना चाहिए । मैं भी आपकी भावना का सम्मान करता हूं । यह सूचना सुबह आई है मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही करूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को किसी प्रकार की प्रताड़ना न हो ।

श्री प्रमोद कुमार–

इनके विरूद्ध जो मुकदमा कायम हुआ है उसे एक्सपंज करा दें व इनकी सुरक्षा व्यवस्था करवा दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह हमारा दायित्व है। मैं सारी जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

श्री विनोद मणि जी और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं। परन्तु उल्लिखित तथ्यों की ओर शासन का ध्यान आकर्षिक करता हूं।

अगली सूचना श्री मुन्ना चौहान, श्री अम्बरीष कुमार व श्री राम कृपाल की है।

श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, मेरी भी सूचना शलाका में आई थी।

श्री अध्यक्ष–

मुझे सूचना मिली है कि आपकी सूचना पर कल ही नियम 51 के तहत शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है। अब यह आज नियम 56 में किस प्रकार आएगा ?

श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

इसे खत्म होने दीजिए सूचना पर मैंने लिखा है कि मैं सुन लूंगा।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस सम्मानित सदन के अन्दर कहना चाहता हूं। सरकार ने न केवल प्रदेश में बल्कि हिन्दुस्तान में बड़े पैमाने पर बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार नकल विरोधी अधिनियम, जिसको उतर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का प्रयोग निवारण अधिनियम 1998 कहा गया। इस सरकार ने समय-समय पर यह कहने का काम किया कि पूर्व की सरकारों ने जो इस प्रदेश के अन्दर नकल की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने का काम किया। मैं एक गम्भीर घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 8 जुन, 1998 को प्रदेश के हायर एजूकेशन मिनिस्टर ने इस अधिनियम की धारा 6 व 7 का उल्लंघन करते हुए धारा 6 के अन्दर लिखा हुआ है कोई व्यक्ति जिसको सार्वजनिक परीक्षा से सम्बंधित कोई कार्य सौंपा नहीं गया हो या जो परीक्षार्थी न हो, सार्वजनिक परीक्षा के जारी रहने के दौरान परीक्षा केन्द्र में न तो प्रवेश करेगा और न ही प्रवेश करके अन्दर बना रहेगा व परीक्षा में किसी परीक्षार्थी की अनुचित साधन का प्रयोग करने में सहायता नहीं करेगा। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने इलाहाबाद डिग्री कालेज और सी०एम०पी० कालेज में परीक्षाओं के दौरान प्रवेश करके वहां व्यवधान डालने का काम किया। यही नहीं वहां के कक्ष निरीक्षक नरेन्द्र बाजपेयी और हरिगोपाल के साथ जोर जबरदस्ती करके प्रशासन पर दबाव डालकर त्रस्त करने का काम किया।

श्री अध्यक्ष–

यह घटना तात्कालिक कहां है ?

(समय 3 बजकर 30 मिनट)

श्री मुन्ना चौहान–

अभी आवासीय विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने नोटिस दिया। यदि उनकी ग्रीवान्सेस को रिड्रेस नहीं किया गया तो वह हड़ताल पर चले जायेंगे। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के पुत्र को जब नकल करते हुए पकड़ा गया तो ऐसे अध्यापक को.....

श्री अध्यक्ष–

दो सूचनायें कैसे हो सकती है ?

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, इस प्रश्न से दूसरा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता । आज उस अध्यापक ने क्षुब्ध होकर त्याग-पत्र दे दिया है । इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती । जब प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का बच्चा नकल करते पकड़ा गया तो उसे छुड़ाने के लिये कानून का उल्लंघन किया गया, धारा–6 और 7 का उल्लंघन किया गया । इसलिए मंत्री जी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिये । इस अधिनियम में दिये गये प्राविधान के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिये । इसलिये मान्यवर, आप इस पर चर्चा करायें । आज सरकार की कनाइवेन्स से जो लोग सत्ता में बैठे हैं पूरे शिक्षण संस्थाओं के माहौल को बिगाड़ने का काम किया है । एक ओर जो ये कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरस्त करने जा रहे हैं, वहीं पर वे लोग कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं । यदि माननीय मंत्री जी में जरा भी नैतिकता हो तो वह अपना त्याग पत्र दे दें । इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करायी जाय । मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस घटना की जांच न्यायिक आयोग द्वारा करायी जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री चौहान जी आपने दो विषय एक साथ ले लिये । घटना जून की है और आप इसे 23 जुलाई में उठा रहे हैं ।

*उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर) –

मान्यवर, मुझसे जुड़ा हुआ मामला यहां पर उठाया गया है, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर परीक्षाओं की पवित्रता को बनाये रखने के लिये माननीय श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया । हमारी सरकार कृत संकल्प है कि हम परीक्षा की पवित्रता को बनाये रखेंगे, चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, हम उस व्यक्ति को दण्डित करेंगे । मैं इलाहाबाद गया था, सी०एम०पी० डिग्री कालेज में, ए०डी०सी० भी हमारे साथ थे, ऊपर से नकल की पूर्चियां फैंकी जा रही थी तो मैने कहा कि इस पर कार्यवाही की जाय । प्राचार्य हमारे साथ थे । क्या उच्च शिक्षा मंत्री नकल होते देखता रहता । इससे बड़ा मखौल और क्या हो सकता था । मैंने कहा कि नकल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही की जाय । उस पर कार्यवाही की गई । सरकार की मन्शा है कि परीक्षाओं की पवित्रता बनायी रखी जाय । मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक आरोप लगाया । उच्च शिक्षा मंत्री का पुत्र नकल में पकड़ा गया, अगर यह सत्य है तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा अन्यथा माननीय सदस्य से सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के लिये आग्रह करूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना चौहान और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है उसको जवाब देना चाहता हूं । मुझे माननीय मंत्री जी की चुनौती स्वीकार है । माननीय मंत्री जी ने कहा मेरे सामने चर्चा.....

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज की कार्यसूची के मद संख्या 25 लगायत 33 तक की मदों को स्थगित करके पहले बजट अनुदानों एवं विनियोग विधेयक को लिए जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मेरा एक अनुरोध है कि 4.00 बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाना है। गृह विभाग के बजट पर चर्चा भी होनी है। यदि आप सब सहमत हों तो यह संख्या–24 की जो शेष सूचनाएं हैं और मद संख्या–25 से लेकर मद संख्या–33 तक बाद में लेंगे। मद संख्या–34 में चर्चा और मतदान भी होना है। मैं अनुरोध कर रहा हूं बाढ़ व अन्य जो चर्चायें लगी हैं उनको विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ले लेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आपकी कृपा सिर्फ यह कहने के लिये चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने मुझे चुनौती दी। मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा। आप न्यायिक जांच करवा दीजिये। मैं इस सदन के सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो आरोप मैंने लगाये हैं वह सत्य न हो जायं तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि मेरे सामने पर्चियां फेंकी जा रही थीं। इन्होंने किन-किन के खिलाफ मुकदमा दायर किया, किस-किस को गिरफ्तार किया। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उसके पीछे इनकी मंशा अपने पुत्र को बचाने की थी। मैं चुनौती स्वीकार करते हुए आपसे मांग करता हूं कि न्यायिक जांच के आदेश दीजिए।

प्रदेश में आई हुई भंयकर बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा की मांग

(श्री अम्बिका चौधरी, श्री प्रमोद कुमार तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बाढ़ पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे तथा नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

बजट पर नहीं बोलेगें क्या ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बाढ़ का मामला है। मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है, इससे गम्भीर प्रकरण नहीं हो सकता है। बजट पर भी चर्चा होगी। 5-6 दिनों से बाढ़ की स्थिति क्रमशः गम्भीर होती चली जा रही है। विभिन्न कारणों से बाढ़ पर चर्चा स्थगित होती चली जा रही है इसमें पीठ का कोई दोष नहीं है। मैं आग्रह करूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आपके माध्यम से कि विनियोग विधेयक के लिये थोड़ा समय बढ़ा दें और बाढ़ पर पहले चर्चा करा दें। बाकी चर्चाओं को छोटा करना चाहें लेकिन बाढ़ की स्थिति बड़ी गम्भीर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा है कि सुन लेंगे। मैंने एक निवेदन किया था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) –

मान्यवर, मेरा भी आग्रह यह है कि बाढ़ पर चर्चा करा ली जाये । मैं केवल इतना सहयोग चाहता हूं कि विनियोग विधेयक के लिये एक समय निर्धारित है चार बजे का । यह चार बजे पास हो जाय । उसकें बाद परिषद् में भी जाना है, वहां पर भी पास होना है । उसके बाद आप जब तक चाहें बैठें चर्चा करें, हम तैयार हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बजट पर भी तो चर्चा आवश्यक है । (व्यवधान) विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ले लेंगे । बाढ़ पर चर्चा आज ही करवा देंगे ।

(व्यवधान)

विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ले लेंगे बाढ़ पर चर्चा आज ही करवा देंगे ।

श्री मुराद लारी–

माननीय हुकुम सिंह जी बाढ़ पर सुनना नहीं चाहते हैं । बाढ़ पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, पहले बाढ़ पर चर्चा करा लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें (घोर व्यवधान)

आज की कार्यसूची के मद संख्या 25 लगायत 33 तक की मदों का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 की सारी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है । मद संख्या 25 से लेकर 33 तक स्थगित की जाती है । इनको विनियोग विधेयक पारित करने के बाद लिया जायेगा ।

प्रदेश में आई हुयी भयंकर बाढ़ के संबंध में चर्चा की मांग (क्रमागत)

(फ्लोर पर आये हुये विपक्ष के सभी सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी–

बाढ़ की समस्या एक सदस्य की समस्या नहीं है । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है विनियोग विधेयक एक घण्टे के लिए स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

अगर प्रस्ताव लाया जाय कि एक घण्टे के लिए विनियोग विधेयक स्थगित कर दिया जाय तो उससे पहले 10 मिनट मांगों को पढ़ने के लिए देना पड़ेगा । तो क्या आप पैंतालिस मिनट में बाढ़ की चर्चा समाप्त कर देंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 6.00 बजे कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको ज्यादा समय दे रहा हूं । विनियोग विधेयक पारित होने के तुरन्त बाद इसको ले लिया जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद कुछ नहीं बचता है । आज माननीय नेता सदन भी मौजूद है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि विनियोग विधेयक दो घण्टे बाद ले लें ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) –

यह जो अनुदान है पहले यह पास हो जायें और एप्रोप्रियेशन बिल पास हो जाय उसके बाद चर्चा हो जायेगी । दस-पन्द्रह मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सूचना दी है कि यह विनियोग विधेयक विधान परिषद् में पारित होना है यहां से जल्दी पारित हो जायेगा तो विधान परिषद् में जल्दी चला जायेगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

विनियोग विधेयक को कल जाना है । बाढ़ पर चर्चा कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह कोई परम्परा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

जब विपक्ष पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप समय बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष–

जब तक प्रस्ताव नहीं आयेंगे, मैं कैसे बढ़ा सकता हूं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

यह सरकार अपनी आलोचना करने में घबराती क्यों है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी प्रस्ताव नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं ? आपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध किया था समय के लिए, प्रस्ताव नहीं आ रहा है, तो मेरा अनुरोध है कि समय कम रह गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

8 मिनट हैं ।

श्री अध्यक्ष–

उसके पश्चात् बाढ़ पर चर्चा आ जायेगी ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या 26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 84 सामान्य प्रशासन विभाग

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अम्बिका चौधरी जी, आप अपने कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया केवल 'हां' में या 'नहीं' में जवाब दें ।

आपका जबाब नहीं आ रहा है मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । मद संख्या–34 (1) प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 11,19,65,10,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री प्रमोद कुमार–

हम मत विभाजन की मांग करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को न चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,46,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन), अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग कोषागार तथा लेखा प्रशासन, अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,20,09,89,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 80,25,227,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,72,93,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायें ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,12,000 रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्ति होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,85,46,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,01,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,94,14,80,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन के फ्लोर पर आये हुए विपक्षी सदस्य एक साथ अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा। कुछ सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर कागज के टुकड़े फेंकते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किये जिन्हें रक्षकों ने रोक लिया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(सदन के फ्लोर से किसी विपक्षी सदस्य द्वारा माननीय अध्यक्ष के ऊपर कागज का गोला फेंकने पर)

यह किसने फेंका है ?

अम्बिका जी, आप अपने स्थान पर जायें, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करते हुए सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

विधेयक की प्रतियां बांटी जायें।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गई)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 व खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998

31 मार्च, 1999 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1998 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1999 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1998) की अनुसूची के स्तम्भ–3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 3,78,05,37,51,000 रुपये (केवल तीन सौ अठहत्तर अरब, पांच करोड़, सैंतीस लाख और इक्यावन हजार रुपये) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1998-99 के लिए 3,78,05,37,51,000 रुपये का निकाला जाना

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं। — विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3			
अनुदान/ क्र०सं०	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत		*राज्य की समेकित निधि पर भारित*	योग
1	आबकारी विभाग	राजस्व	209906	*10*	209916
		पूंजी	10000	—	10000
2	आवास विभाग	राजस्व	478039	*390000*	868039
		पूंजी	935876	*458200*	1394076
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	8724	—	8724
		पूंजी	15000	—	15000
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	69150	*50*	69200
		पूंजी	—	—	—
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	596611	*200*	596811
		पूंजी	200002	—	200002
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	340505	*400*	340905
		पूंजी	8401	*572*	8973
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	4747	*3000*	7747
		पूंजी	1902200	*2033*	1904233
8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व	391175	—	391175
		पूंजी	—	—	—
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	41710	—	41710
		पूंजी	12620570	—	12620570
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक- विकास)	राजस्व	617093	*3506*	620599
		पूंजी	53000	—	53000
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	5535301	*315*	5535616
		पूंजी	684417	*50*	684467
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय- विकास)	राजस्व	599357	—	599357
		पूंजी	—	—	—
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य- विकास)	राजस्व	10396396	*400*	10396796
		पूंजी	62380	—	62380
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती- राज)	राजस्व	2980619	*21*	2980640
		पूंजी	—	—	

अनुसूची (क्रमशः)

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्र०सं०	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	*राज्य की समेकित निधि पर भारित*	योग
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	1400918	*100*	1401018
		पूंजी	54935	—	54935
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	85001	*3*	85004
		पूंजी	32565	—	32565
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	161280	*5*	161285
		पूंजी	—	—	—
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	304295	*169065*	473360
		पूंजी	3124070	*173700*	3297770
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	27680	—	27680
		पूंजी	—	—	—
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	10981	*70741*	81722
		पूंजी	—	—	—
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	841506	*50085*	891591
		पूंजी	23759570	*700050*	24459620
22	खेल विभाग	राजस्व	144300	—	144300
		पूंजी	28543	—	28543
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	534212	*930*	535142
		पूंजी	—	*1550*	1550
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	122582	*135313*	257895
		पूंजी	195000	*80000*	275000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	866012	*1200*	867212
		पूंजी	116813	—	116813
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	15313265	*7830*	15321095
		पूंजी	1071746	*5950*	1077696
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)–	राजस्व	766955	—	766955
		पूंजी	—	—	—
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	563772	—	563772
		पूंजी	—	—	—

अनुसूची (क्रमशः)
(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्र०सं०	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	*राज्य की समेकित निधि पर भारित*	योग
29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	—	*25912*	25912
		पूंजी	—	—	—
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	10353	—	10353
		पूंजी	—	—	—
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	1187365	*25*	1187390
		पूंजी	2	—	2
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	5648438	*100*	5648538
		पूंजी	591667	—	591667
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	921645	*3*	921648
		पूंजी	7846	—	7846
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	351650	*20*	351670
		पूंजी	30000	—	30000
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	2762110	*15*	2762125
		पूंजी	—	—	—
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	2234156	*200*	2234356
		पूंजी	69108	—	69108
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	3689367	—	3689367
		पूंजी	60000	—	60000
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	68713	—	68713
		पूंजी	28029	—	28029
39	भाषा विभाग	राजस्व	35151	*90*	35241
		पूंजी	—	—	—
40	नियोजन विभाग	राजस्व	1931506	—	1931506
		पूंजी	1600804	—	1600804
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	377005	—	377005
		पूंजी	—	—	—
42	न्याय विभाग	राजस्व	2468242	*328264*	2796506
		पूंजी	180000	—	180000

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या ।

अनुसूची (क्रमशः)

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्र०सं०	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	*राज्य की समेकित निधि पर भारित*	योग
43	परिवहन विभाग	राजस्व	233437	*12*	233449
		पूंजी	8091	—	8091
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	97639	—	97639
		पूंजी	417753	—	417753
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	1532533	—	1532533
		पूंजी	2	—	2
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	9760	—	9760
		पूंजी	—	—	—
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	915904	*70004*	985908
		पूंजी	19001	—	19001
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	1649406	*250*	1649656
		पूंजी	39000	—	39000
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	2654787	—	2654787
		पूंजी	12638	—	12638
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	1426114	*35*	1426149
		पूंजी	281130	—	281130
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	30579	*1387601*	1418180
		पूंजी	1506	—	1506
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	5493039	*13734*	5506773
		पूंजी	2262	*1052*	3314
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	697	—	697
		पूंजी	100	—	100
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	2533786	*400*	2534186
		पूंजी	—	—	—
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	66371	*17392*	83763
		पूंजी	88590	*100*	88690
56	लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	राजस्व	95152	*3463*	98615
		पूंजी	106023	—	106023

अनुसूची (क्रमशः)

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान/ क्र०सं०	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	*राज्य की समेकित निधि पर भारित*	योग
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व —	*4*	4
		पूंजी 14980	*3*	14983
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व 2359685	*100*	2359785
		पूंजी 8435650	—	8435650
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व 250154	*5*	250159
		पूंजी 70137	—	70137
60	वन विभाग	राजस्व 1908051	*521*	1908572
		पूंजी 14768	—	14768
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व 35265257	*55148370*	90413627
		पूंजी 793000	*26879169*	27672169
62	वित्त विंभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने)	राजस्व 11887840	*11537*	11899377
		पूंजी 100000	—	100000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व 397885	*750*	398635
		पूंजी 37194	—	37194
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व 11118	—	11118
		पूंजी —	—	—
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व 498170	*1*	498171
		पूंजी 2344	—	2344
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व 6002	*786479*	792481
		पूंजी —	—	—
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व 67105	*2079*	69184
		पूंजी —	—	—
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व 207861	*4275*	212136
		पूंजी —	—	—
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व —	—	—
		पूंजी 22500	—	22500
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व 288379	—	288379
		पूंजी —	—	—

अनुसूची (क्रमशः)

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3			
अनुदान/ क्र०सं०	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)			
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	*राज्य की समेकित निधि पर भारित*	योग
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	28761534	*2215246*	30976780
		पूंजी	14925	—	14925
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	17011048	*1200770*	18211818
		पूंजी	82345	—	82345
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	3591152	*70001*	3661153
		पूंजी	130285	—	130285
74	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	115818	—	115818
		पूंजी	—	—	—
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	433225	—	433225
		पूंजी	—	—	—
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	629207	*5*	629212
		पूंजी	—	—	—
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	727745	*20*	727765
		पूंजी	31935	—	31935
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	1046153	*5*	1046158
		पूंजी	—	—	—
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	राजस्व	821366	—	821366
		पूंजी	10002	—	10002
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	7185550	*525*	7186075
		पूंजी	180105	—	180105
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	108615	*1*	108616
		पूंजी	21920	—	21920
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	76080	*5229*	81309
		पूंजी	—	—	—
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	3227	—	3227
		पूंजी	—	—	—
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	8188	—	8188
		पूंजी	—	—	—

अनुसूची (समाप्त)

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्र०सं०	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	*राज्य की समेकित निधि पर भारित*	योग
86	सूचना विभाग	राजस्व	355955	—	355955
		पूंजी	1612	—	1612
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	137562	*5*	137567
		पूंजी	—	—	—
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	13925	*1*	13926
		पूंजी	—	—	—
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व	955294	*103*	955397
		पूंजी	97681	—	97681
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	47826	—	47826
		पूंजी	—	—	—
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	191619	*3*	191622
		पूंजी	61875	—	61875
92	संस्कृति विभाग	राजस्व	159619	*5*	159624
		पूंजी	20700	—	20700
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	5340933	—	5340933
		पूंजी	856932	—	856932
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	8808064	*5*	8808069
		पूंजी	9285948	*100*	9286048
95	उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व	4714809	*677*	4715486
		पूंजी	2687617	*1693*	2689310
	योग :–	**राजस्व**	216229018	*62127416*	278356434
		पूंजी	71393095	*28304222*	99697317
	कुल योग :–		287622113	*90431638*	378053751

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 4.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 4 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 4 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरम्भ हुई)

(समय 4 बजकर 30 मिनट)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अध्यक्ष–

बाढ़ पर चर्चा हो रही है । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । अगर वाकई बाढ़ पर चर्चा के लिए गंभीर हैं तो अपना स्थान ग्रहण करें । मैं इसे ले रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । जो सत्य हो वह कहना चाहिए । मेरा अनुरोध है कि अपना स्थान लें ।

मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 (अधिनियम संख्या–42 सन् 1994) का संकल्प

* पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :–

"चूंकि मानव अंग का वाणिज्यीकरण एवं चिकित्सा सदाचार के लिए कलंक है और मानव अंगों का व्यापार सुसंगठित रेकेटों के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों से व्यापक स्तर पर चल रहा है तथा अंग सिंडीकेट, जो एक संगठित नेटवर्क है और जिसमें अस्पताल, डाक्टर, सर्जन, दलाल, अभिकर्ता और अनियमित नर्सिंग होम लिप्त हैं, "अंग बाजार" के माध्यम से मानव अंगों का व्यापार कर रहे हैं :

और चूंकि देश के अन्य भागों विदेशों के धनाढ्य क्रेता उत्तर प्रदेश के निर्धन और गन्दी बस्तियों में रहने वाले और ग्रामीणों से अनगिनत संख्या में गुर्दा और अन्य मानव अंग क्रय कर रहे हैं;

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और चूंकि यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अंग सिंडीकेट संबंधित व्यक्तियों की सहमति के बिना गुर्दों की चोरी कर रहा है और कुछ मामलों में तो बल प्रयोग भी कर रहा है;

और चूंकि मानव अंगों के वाणिज्यीकरण से जुड़े अनैतिक सर्जनों के कुकृत्य चिकित्सा सदाचार और मानव अन्तरचेतना पर स्थाई दाग छोड़ रहे हैं ;

और चूंकि मानव अंगों के इस घृणित व्यापार को रोकना समाज के निर्बल एवं निर्धनों को अंग सिंडीकेट द्वारा किये जा रहे कुकृत्य से बचाने तथा सामाजिक रूप से चैतन्य नागरिकों द्वारा जो सच्ची मानवता से प्रेरित होकर अमूल्य जीवन को बचाने के लिए अपने अंगों का स्वेच्छा से दान करते हैं, उनकी भावना को कायम रखने के लिए तथा चिकित्सीय प्रयोजनों हेतु मानव अंगों के निष्कासन, संचयन एवं प्रतिरोपण को विनियमित करने हेतु व्यवस्था करना आवश्यक है;

और चूंकि इस संबंध में उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विधान नहीं है जो उक्त विषय या उससे संबंधित और आनुषंगिक सभी विषयों के संबंध में व्यवस्था करता हो;

और चूंकि उपर्युक्त विषयों की विषयवस्तु "भारत का संविधान" की सप्तम् अनुसूची की राज्य सूची (सूची-2) की प्रविष्टि–6 और 26 से संबंधित है;

और चूंकि संसद द्वारा उपर्युक्त विषयों के संबंध में भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) में प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–42 सन् 1994) पारित एवं अधिनियमित किया जा चुका है और जो उपर्युक्त उपबन्ध के अन्तर्गत विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प द्वारा अंगीकार कर उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है;

और चूंकि इस सदन को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–42 सन् 1994) को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाय;

"अतएव यह सदन "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस संकल्प द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–42 सन् 1994) को, जो संसद द्वारा पारित केन्द्रीय अधिनियम है, अंगीकार करता है ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि–

"चूंकि मानव अंग का वाणिज्यीकरण चिकित्सा सदाचार के लिये कलंक है और मानव अंगों का व्यापार सुसंगठित रेकेटों के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों से व्यापक स्तर पर चल रहा है तथा अंग सिंडीकेट, जो एक संगठित नेटवर्क है और जिसमें अस्पताल, डाक्टर, सर्जन, दलाल, अभिकर्ता और अनियमित नर्सिंग होम लिप्त हैं, 'अंग बाजार' के माध्यम से मानव अंगों का व्यापार कर रहे हैं;

और चूंकि देश के अन्य भागों और विदेशों के धनाढ्य क्रेता उत्तर प्रदेश के निर्धन और गन्दी बस्तियों में रहने वाले और ग्रामीणों से अनगिनत संख्या में गुर्दा और अन्य मानव अंग क्रय कर रहे हैं;

और चूंकि यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अंग सिंडीकेट संबंधित व्यक्तियों की सहमति के बिना गुर्दों की चोरी कर रहा है और कुछ मामलों में तो बल प्रयोग भी कर रहा है;

और चूंकि मानव अंगों के वाणिज्यीकरण से जुड़े अनैतिक सर्जनों के कुकृत्य चिकित्सा सदाचार और मानव अन्तरचेतना पर स्थाई दाग छोड़ रहे हैं;

और चूंकि मानव अंगों के इस घृणित व्यापार को रोकना, समाज के निर्बल एवं निर्धनों को अंग सिंडीकेट द्वारा किये जा रहे कुकृत्य से बचाने तथा सामाजिक रूप से चैतन्य नागरिकों द्वारा, जो सच्ची मानवता से प्रेरित होकर अमूल्य जीवन को बचाने के लिये अपने अंगों का स्वेच्छा से दान करते हैं, उनकी भावना को कायम रखने के लिये तथा चिकित्सीय प्रयोजनों हेतु मानव अंगों के निष्कासन, संचयन एवं प्रतिरोपण को विनियमित करने हेतु व्यवस्था करना आवश्यक है;

और चूंकि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विधान नहीं है जो उक्त विषय या उससे सम्बन्धित और आनुषांगिक सभी विषयों के संबंध में व्यवस्था करता हो;

और चूंकि उपर्युक्त विषयों की विषय वस्तु 'भारत का संविधान' की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची (सूची-2) की प्रविष्टि–6 और 26 से संबंधित है;

और चूंकि संसद द्वारा उपर्युक्त विषयों के संबंध में भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) में प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–42 सन् 1994) पारित एवं अधिनियमित किया जा चुका है और जो उपर्युक्त उपबंध के अन्तर्गत विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प द्वारा अंगीकार कर उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है;

और चूंकि इस सदन को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–42 सन् 1994) को उत्तर में लागू किया जाय;

अतएव यह सदन 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस संकल्प द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 (अधिनयिम संख्या–42 सन् 1994) को, जो संसद द्वारा पारित केन्द्रीय अधिनियम है, अंगीकार करता है।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1998 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम औतार शाक्य जी आप अपना संशोधन प्रस्ताव रखें।

(श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारे जाने और उनके खड़े न होने पर)

(शोरगुल के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में, शब्द ''ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में'' निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 1 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 1 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायेगा ।''

धारा 2 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

''(ग) छावनी क्षेत्र में स्थित वृक्षों पर ।''

नई धारा 24 क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

''24–क उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को और से किसी विधि या परिनियत संलेख में उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति किसी निर्देश को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।''

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976 के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1998 को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी आप अपना प्रस्ताव रखें ।

(श्री राम औतार शाक्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव न रखे जाने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा ।

(2) यह 19 सितम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 171 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् –

"171—(1) धारा 169 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब कोई पुरुष भूमिधर या असामी मर जाय तो उसकी जोत में उसका स्वत्व निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उसके उत्तराधिकारियों को न्यागत होगा, अर्थात् :–

उत्तराधिकार का सामान्य क्रम

(एक) उपधारा (2) के किसी एक खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी समान अंशों में साथ-साथ लेंगे;

(दो) उपधारा (2) के किसी पूर्ववर्ती खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी उत्तरवर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट सभी उत्तराधिकारियों को वर्जित करके लेंगे, अर्थात् खण्ड (क) के उत्तराधिकारियों को खण्ड (ख) के उत्तराधिकारियों पर अधिमान दिया जायेगा, खण्ड (ख) के उत्तराधिकारियों को खण्ड (ग) के उत्तराधिकारियों पर अधिमान दिया जायेगा और इसी प्रकार उत्तरवर्ती क्रम रहेगा;

(तीन) यदि किसी भूमिधर या असामी या किसी पूर्व मृत पुंजातीय वंशज की, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, एक से अधिक विधवाएं हों, तो ऐसी सभी विधवाएं मिलकर एक अंश लेंगी;

(चार) विधवा या विधवा मां या पिता की विधवा मां या किसी पूर्व मृत पुंजातीय वंशज की, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, विधवा केवल तभी उत्तराधिकार पायेगी यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो;

(2) किसी पुरुष भूमिधर या असामी के निम्नलिखित रिश्तेदार उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उत्तराधिकारी हैं, अर्थात् :–

(क) विधवा और पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार :–

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र को, वह चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, प्रतिशाखा के अनुसार वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, मिलता;

(ख) विधवा माता;

(ग) पिता;

(घ) अविवाहिता पुत्री;

(ङ) भाई, जो मृतक के पिता का पुत्र हो;

(च) अविवाहिता बहिन;

(छ) विवाहित पुत्री;

(ज) पुत्री का पुत्र;

(झ) भाई का पुत्र, जब भाई मृतक के पिता का पुत्र हो;

(ञ) पितामह;

(ट) पितामही;

(ठ) पुत्र की पुत्री;

(ड) विवाहिता बहिन;

(ढ) सौतेली बहिन, जो मृतक के पिता की पुत्री हो;

(ण) बहिन का पुत्र;

(त) सौतेली बहिन का पुत्र, जब सौतेली बहिन मृतक के पिता की पुत्री हो;

(थ) भाई के पुत्र का पुत्र;

(द) पितामह का पुत्र; या

(ध) पितामह का पौत्र।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1997

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा निरसन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 122–घ या धारा 198–क की उपधारा (1) या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (6–क) के अधीन कृत किसी कार्य, किसी कार्यवाही, प्रोद्भूत या अर्जित किसी अधिकार या उपगत किसी दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा, मानों उक्त अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

(3) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा (7) के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही या प्रोद्भूत या अर्जित कोई अधिकार इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही या प्रोद्भूत या अर्जित अधिकार समझे जायेंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(सदन के फ्लोर से भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाये गये।)

प्रदेश में बाढ़ पर एक घंटे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

अगर वास्तव में आप बाढ़ से संबंधित मद संख्या–30 की चर्चा में गंभीर हैं तो अपना आसन ग्रहण करिये ।

(फ्लोर पर आये हुए सदस्यों द्वारा अपना आसन न ग्रहण करने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य खड़ा नहीं हो रहा है इसलिये यह चर्चा कल तक के लिये स्थगित की जाती है । कल यह पुनः कार्यसूची पर आयेगी ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याणार्थ स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना से संबंधित आधे घन्टे की चर्चा का स्थगन

(मद संख्या–31 से संबंधित स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करने हेतु)

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री श्रीराम पाल, श्री आर० के० चौधरी, श्री बी० आर० वर्मा एवं श्री दद्दू प्रसाद का नाम पुकारे जाने तथा उनके उपस्थित न होने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है । यह चर्चा कल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

अस्त्र लाइसेन्स जारी करने में भ्रष्टाचार को रोकने आदि के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–32 को कल तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश में वर्ष 1999 की परीक्षा के लिए कक्षा 9 का पाठ्यक्रम कक्षा 10 की हाईस्कूल बोर्ड की परीक्षा से पृथक कर दिये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–33 को कल तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-7-98 को नियम 51 में प्राप्त निम्नांकित मा० सदस्यों द्वारा दी गयी सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

श्री अफरोज अली खां, श्री रामजग, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री दीपक कुमार, श्री मुश्ताक सोलंकी, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री उदय राज यादव, श्री सतीश जतारिया, श्री श्रीराम पाल, आचार्य रामदेव वैश्य, श्री श्याम किशोर यादव, श्री दद्दू प्रसाद, श्री आलमबदी, श्री राम बिशुन आजाद, डा० राम बाबू हरित, श्री दिलीप कुमार, श्री बाबूलाल, श्री भारत सिंह रावत, श्री सौलत अली, श्री धर्मराज निषाद, श्री विजय कुमार, श्री लालजी वर्मा, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, डा० लक्ष्मीकान्त

बाजपेयी, श्री कृष्णचन्द्र पुनेठा, श्री विजयपाल सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह सिशोदिया, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, डा० वकार अहमद शाह, श्री सीता राम निषाद, श्री अयोध्या प्रसाद पाल, श्री मुरलीधर, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री बिन्दु लाल, श्री आर० के० सिंह पटेल, डा० कौशल किशोर, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री तेजभान सिंह, श्री अकबर हुसैन, श्री रामाधार सिंह, श्री दीपलाल भारतीय, श्री राम औतार शाक्य, श्री छोटे लाल गंगवार, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री रामचन्द्र यादव तथा श्री अजय कुमार पोइया। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

श्री विनोद कुमार सिंह की सुरक्षा हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्यमंत्री को निर्देश

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, श्री विनोद कुमार सिंह की जो सुरक्षा से सम्बन्धित समस्या है उस पर कल विचार करने को कहा है, कल विचार कर लीजियेगा क्योंकि इनकी व्यक्तिगत समस्या है।

अध्यक्ष, जिला पंचायत देहरादून के कथित रूप से किये गये लाखों रुपये के घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में संसदीय कार्यमंत्री का नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री रामशरण नौटियाल, अध्यक्ष, जिला पंचायत, देहरादून के विरुद्ध नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र में श्री शंकर चन्द्र रमोला, सदस्य, जिला पंचायत, देहरादून श्री नैन सिंह रावत, सदस्य, जिला पंचायत, देहरादून तथा श्री राम सिंह थापा, सदस्य जिला पंचायत, देहरादून ने विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए उक्त अनियमितताओं की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराते हुए अध्यक्ष के समस्त वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकारों को निलम्बित किये जाने का अनुरोध किया। इस शिकायती पत्र पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (प्रमुखों, उप प्रमुखों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों का हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या 3159/33-2-98-100(14)/98, दिनांक 18 जुलाई, 1998 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून से जांच करायी जा रही है।

श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत, देहरादून के विरुद्ध नियम–51 के अन्तर्गत की गयी शिकायत में अधिकांश बिन्दु वही हैं जो कि पूर्व में शासन को प्राप्त हुए थे तथा जिन पर जिलाधिकारी, देहरादून से जांच करायी जा रही है, किन्तु शिकायती पत्र के बिन्दु 3,4,5 तथा 6 पर उल्लिखित शिकायतें पूर्व में की गयी शिकायतों से भिन्न होने के कारण उक्त पत्र पर भी शासनादेश संख्या–3435/33-2-98-1/नियम/98, दिनांक 20-7-98 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून से जांच करायी जा रही है।

अध्यक्ष, जिला पंचायत देहरादून के विरुद्ध जिलाधिकारी, देहरादून से जांच आख्या प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (प्रमुखों, उप प्रमुखों, अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों का हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 धारा-29 के अन्तर्गत गुण व दोष के आधार पर निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

नोटः-[ ] एक अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एस० जी० पी० जी० आई० लखनऊ में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की भांति समान पद नाम, पदोन्नति वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान की व्यवस्था के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का नियम–51के अन्तर्गत वक्तव्य।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य ने नियम–51 के अन्तर्गत एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के अनुरूप पदनाम, पदोन्नति, वेतन एवं भत्ते आदि लागू करने का निर्णय लिये जाने के बावजूद एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ द्वारा इसका पूर्णतया अनुपालन न किये जाने के संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर नहीं मिल पाने की सूचना दी है। माननीय सदस्य ने यह भी सूचना दी कि सहायक लेखाधिकारी के पद से लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति किये गये अधिकारी के विरूद्ध कई अवसरों तथा महालेखाकार की जांच में उसे दोषी भी पाया गया है। माननीय सदस्य ने यह भी सूचना दी है कि संस्थान में कुछ कर्मचारी/अधिकारी पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं और वहां असंतोष बढ़ रहा है। माननीय सदस्य ने इस प्रकरण की मुख्य सचिव से जांच कराये जाने की मांग की है।

2–इस सम्बन्ध में सूच्य है कि एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ की प्रतिष्ठा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि वहां के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के समकक्ष रखे जायं। एस०जी०पी०जी०आई० में वेतनमान रु० 1640–2900 में कार्यालय अधीक्षक (लेखा) का पद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में स्वीकृत कनिष्ठ लेखाधिकारी के पद के समकक्ष था। अतः संस्थान की शासी निकाय ने संवर्ग पुनरीक्षण के दौरान कार्यालय अधीक्षक (लेखा) के पद को कनिष्ठ लेखाधिकारी का पद नाम दे दिया। इसके अतिरिक्त लेखाधिकारी के भी वेतनमान रु० 2200–4000 में पद स्वीकृत किये गये।

3–सम्वर्ग पुनरीक्षण लागू हो जाने के पश्चात् एस०जी०पी०जी०आई० के कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों ने कुछ विसंगतियों को लेकर प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये इन प्रत्यावेदनों पर विचार करने हेतु एक विसंगति समिति सहित गठित की गई। इस समिति के समक्ष लेखा संवर्ग का मामला भी प्रस्तुत हुआ। विसंगति समिति ने यह पाया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कनिष्ठ लेखाधिकारी के बीच में सहायक लेखाधिकारी का पद भी विद्यमान है। अतः विसंगति समिति ने संस्तुति की कि पी०जी०आई० में भी यह पद होना चाहिए। विसंगति समिति की संस्तुति पर वित्त समिति ने विचार किया और उसे स्वीकार करते हुए सहायक लेखाधिकारी के पद संस्थान की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए सृजित करने की संस्तुति की। इसे संस्थान की शासी निकाय की बैठक दिनांक 4-5-98 में स्वीकार कर लिया गया इस प्रकार से अब पी०जी०आई० में लेखा संवर्ग का ढांचा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के समान हो जायेगा।

4–सहायक लेखाधिकारी के पद स्वीकृत होने से पूर्व यह व्यवस्था थी कि कनिष्ठ लेखाधिकारी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को 7 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत तीन कनिष्ठ लेखाधिकारी सर्वश्री हरेन्द्र श्रीवास्तव, मेश चन्द्र पाण्डेय एवं रघुनाथ सिंह को लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया था। माननीय धायक द्वारा दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि प्रोन्नत अधिकारी के विरूद्ध कई जांचें चल रही जिनमें वह दोषी पाये गये थे। सूचना में किसी अधिकारी का नाम नहीं दिया गया है इसलिए यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि माननीय विधायक जी का आशय किस अधिकारी से है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5–उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो कार्यवाही की गयी वह संस्थान व संस्थान के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए की गयी । ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे संस्थान की गरिमा को क्षति पहुंची हो अथवा संस्थान को कोई आर्थिक क्षति हुई हो । संस्थान के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ने की कोई सूचना शासन के पास नहीं है । मुख्य सचिव स्तर से या किसी अन्य स्तर से जांच कराये जाने की आवश्यकता परिलक्षित नहीं होती ।]

प्रदेश के डिग्री कालेजों में सांध्यकालीन कक्षाओं के रूप में लड़के/लड़कियों के लिए जनपद मुख्यालयों पर बी०बी०ए०, एम०सी०ए०, बी०सी०ए०, होटल प्रबन्धन, बी०एस-सी० तथा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू कराये जाने के संबंध में संसदीय कार्यमंत्री का नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के अन्तर्गत बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, एम०सी०ए०, होटल मैनेजमेन्ट आदि पाठ्यक्रमों के निजी संस्थाओं में संचालित होने और उनके द्वारा संशोधन आदि पर भारी व्यय की आड़ में छात्रों से फीस के रूप में काफी धनराशि वसूले तथा अत्यधिक फीस के कारण आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को इस शिक्षा से वंचित रह जाने के कारण ऐसे पाठ्यक्रमों को प्रदेश के वर्तमान महाविद्यालयों में सांध्यकालीन कक्षाओं के रूप में प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर संचालित करने की मांग की गयी है ।

2–इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि प्रदेश में उल्लिखित व्यावसायिक/प्रबंधकीय पाठ्यक्रमों यथा, एम०बी०ए०, एम०सी०ए०, होटल मैनेजमेंट, बी०बी०ए०, बी०सी०ए० आदि पाठ्यक्रम स्व-वित्त पोषण के आधार पर चलाये जाने हेतु विभिन्न निजी संस्थाओं/महाविद्यालयों से आवेदन पत्र प्राप्त होने और प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाये जाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र को प्रेरित किया जाना आवश्यक समझा गया । साथ ही यह भी सुनिश्चित करना समीचीन समझा गया कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों का शोषण न हो और उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा उपयुक्त शुल्क पर उपलब्ध हो सके । इन तथ्यों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों के मानकों का निर्धारण करने का निर्णय लिया और तद्नुसार 11-11-97 के शासनादेश में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये । इस शासनादेश द्वारा विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं निजी संस्थाओं में उक्त पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश हेतु तीन तरह की सीटें रखी गयी हैं (1) नार्मल (2) सेल्फ स्पोर्टिंग (3) एन०आर०आई०/एन०आर०आई० स्पान्सर्ड इन सीटों में 5 प्रतिशत एन०आर०आई०, 35 प्रतिशत सेल्फ स्पोर्टिंग तथा 50 प्रतिशत नार्मल सीटें रखी गयी हैं ।

3–जहां तक शिक्षा शुल्क का प्रश्न है, 11-11-97 के प्रश्नगत शासनादेश द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों यथा, एम०बी०ए०, एम-सी०ए० आदि हेतु नियमानुसार अधिकतम शुल्क अन्तरिम तौर पर रखा गया है :–

1—नार्मल कैटेगरी	रु० 8,000.00 प्रतिवर्ष
2—सेल्फ स्पोर्टिंग	रु० 30,000.00 प्रतिवर्ष
3—एन०आर०आई०	रु० 75,000.00 प्रतिवर्ष

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इसी प्रकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के परिक्षेत्र के बाहर के पाठ्यक्रमों यथा बी०बी०ए०, बी०सी०ए० आदि अन्य रोजगार पर स्नातक पाठ्यक्रमों तथा बी०एस-सी० के लिए निम्नवत् अधिकतम शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है :–

1—नार्मल	6,000.00 रु० प्रतिवर्ष
2—सेल्फ स्पोर्टिंग	20,000.00 रु० प्रतिवर्ष
3—एन०आर०आई०	30,000.00 रु० प्रतिवर्ष
4—बी०ए०/बी०काम०/बी०एस-सी०	5,000.00 रु० प्रतिवर्ष

4–अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों तथा उसके कार्य क्षेत्र के बाहर के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए नियत की गयी उक्त शुल्कों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों में 50 प्रतिशत सीटों पर निर्धारित की गयी शुल्क अधिक नहीं है । शेष 50 प्रतिशत सीटों पर जो सेल्फ स्पोर्टिंग और एन०आर०आई० कोटे की हैं, पर अधिक शुल्क रखे जाने का कारण यह है कि ये पाठ्यक्रम स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित हैं और ऐसे शुल्कों के निर्धारण में वेतन, मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ता, कार्यशालायें, कम्प्यूटर केन्द्र भवन एवं सुविधाओं का रख-रखाव विजिटिंग फैकल्टी का भुगतान, प्रशिक्षण लागत, पुस्तकालय आदि पर आने वाले व्यय को ध्यान में रखकर किया गया है क्योंकि इन्हें किसी प्रकार की शासकीय वित्तीय सहायता नहीं मिलती है । स्पष्ट है कि सेल्फ स्पोर्टिंग और एन०आर०आई० कोटे के 50 प्रतिशत कोटे पर सामान्य सीटों की अपेक्षाकृत अधिक शुल्क रखना बाध्यता है । सम्बद्ध महाविद्यालयों अथवा निजी संस्थाओं में उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है और इसके लिए मानक भी निर्धारित हैं । मानकों के अनुसार आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर ही इन पाठ्यक्रमों का स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत खोले जाने के प्रयोजनार्थ यथा स्थिति अनापत्ति/क्लीयरेंस दी जाती है और तत्पश्चात् कुलाधिपति महोदय को अस्थायी सम्बद्धता हेतु संस्तुति की जाती है ।

5–उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी भी महाविद्यालय व निजी संस्थान में स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उल्लिखित पाठ्यक्रम तभी प्रारम्भ हो सकेगें जब उनके आवेदन पर राज्य सरकार की अनापत्ति/क्लीयरेंस, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्वीकृति (केवल उनके कार्यक्षेत्र के पाठ्यक्रमों के लिए) और अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्राप्त हो जाये । यदि जनपद मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं से उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने विषयक निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं तो निर्धारित मानक पूरा होने पर उन पर शासन द्वारा तुरन्त क्लीयरेंस दे दी जायेगी और तत्पश्चात् सम्बद्धता हेतु कुलाधिपति महोदय को संस्तुति भेज दी जायेगी ।

6–स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उक्त सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम सामान्यतः दिन में ही चलते हैं क्योंकि सीटों की संख्या कम रहने के कारण तद्नुरूप छात्र/छात्राओं की संख्या भी सीमित रहती है । सांध्यकालीन कक्षायें सामान्यतया बी०ए०, बी०एस-सी० आदि सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चलती हैं क्योंकि बड़ी संख्या में इंटर स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इनमें सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध होने के कारण स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में सीटों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रवेश नहीं मिल पाता है ।]

हरिद्वार के संत बाहुल्य क्षेत्र, भूपतवाला, सप्तसरोवर में बरसाती नालों पर अवैध निर्माण को हटाए जाने के संबंध में संसदीय कार्यमंत्री का नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[श्री अम्बरीष कुमार, मा० सदस्य, विधान सभा ने नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी है कि सन्त बाहुल्य क्षेत्र सप्तसरोवर, भूपतवाला में वर्षा के कारण तबाही मची हुई है। शिवानंद चौक के सामने गली में तथा उसके साथ वाली गली में परसों (14-7-98) वर्षा के पानी ने तबाही मचा दी है। हल्की वर्षा से ही पानी की निकासी न होने के उपरांत क्षेत्र में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गये और जागते हुए वहां के सभी निवासियों ने रात व्यतीत की। यदि वर्षा तेज हो गयी तो मकानों के गिरने के साथ-साथ जनहानि भी बड़े पैमाने पर हो सकती है।

इसी प्रकार केले वाली पुलिया की भी यही स्थिति है, जिसके कारण रानी गली स्थित भवन, भारत माता मंदिर परमार्थ आश्रम उमेश्वर धाम, संगमपुरी के दर्जनों भवन वर्षा के जल से प्रभावित हैं और तेज वर्षा कहर बढ़ा सकती है।

अतः अविलम्बनी लोक महत्व का विषय है। अतः शासन का ध्यान आकृष्ट करायें कि तत्काल बरसाती नालों पर अवैध निर्माण तथा अवरोध हटाकर जनहानि और सम्पत्ति की हानि को रोकें।

2–जिलाधिकारी, हरिद्वार ने अवगत कराया है कि सप्तसरोवर एवं भोपत वाला क्षेत्र सन्त बाहुल्य है। वर्षा ऋतु में जब लगातार तेज वर्षा होती है तो शिवालिक रेंज जो सप्तसरोवर एवं भोपतवाला क्षेत्र के समीप ही स्थित है और जिसका एन्कैचमेंट एरिया काफी बड़ा है, का पानी पहाड़ों से बहकर नीचे आता है। इसके लिए इस क्षेत्र में मुख्यतः 02 नाले, एक शिवानंद चौक तथा दूसरा केले वाली पुलिया के पास स्थित है और इन्ही नालों से होता हुआ बरसाती पानी शिवानंद चौक के सामने वाली गली के नाले के माध्यम से तथा केले वाली पुलिया के साथ बने नाले के माध्यम से सप्तसरोवर-भोपतवाला होता हुआ हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा कराए गए नवनिर्मित नाले में ए०आर०टी०ओ० कार्यालय, समीप बाई पास रोड पर मिलता है, जहां से पानी गंगा नदी में चला जाता है। तेज वर्षा देर तक होने पर गलियों में स्थित सड़कों एवं निचले भाग में स्थित प्लाटों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है पानी बन्द होने पर इन गलियों की सड़कों का पानी धीरे-धीरे बहकर साफ हो जाता है परन्तु निचले भाग में स्थित प्लाटों में पानी रुका रहता है। दिनांक 14-7-98 को इस क्षेत्र में हुई तेज वर्षा के कारण क्षेत्र वासियों को कठिनाई हुई। मकानों के क्षतिग्रस्त एवं गिरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। केले वाली पुलिया से होकर बहने वाले नाले के समीप स्थित रानी गली का उत्तरी भाग, भारत माता मंदिर, परमार्थ आश्रम एवं उमेश्वर धाम के सामने के निचले भागों/खाली प्लाटों में जल-भराव की समस्या है, जिसकी निकासी के लिए नगर पालिका परिषद् द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पम्पिंग सेट द्वारा तथा उमेश्वर धाम के सामने खाली प्लाट की दीवार में से रास्ता बनाकर जल निकासी की व्यवस्था की गयी है। बरसाती नालों पर किये गये अवैध निर्माण एवं अवरोध को हटाने हेतु संबंधित विभाग से संपर्क किया जा रहा है तथा नियमानुसार इन्हें हटवाने की कार्यवाही की जायेगी।]

नोट :–[ ] वक्तव्य का अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देवरिया के लोक निर्माण विभाग खण्ड–2 की समस्त परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराये जाने की स्थिति में अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने विषयक सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[विकास परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं पर्वेक्षण तथा सतत अनुश्रवण हेतु नव सृजित जनपदों में विभिन्न विभागों के कार्यालय स्थापित किये जाते हैं । लोक निर्माण विभाग की जनपदों में एक से अधिक इकाईयां कार्यरत हैं । इनमें से जिन इकाईयों/खण्डों का अधिकतर कार्यक्षेत्र नव सृजित जनपद में हैं, उनका मुख्यालय नव सृजित जनपद में किया गया है । इसी व्यवस्था के तहत शासनादेश सं०–2804 ईजी/23-लो० नि०–5–70 ईजी/91 टी सी–6 दिनांक 23-6-98 द्वारा निर्माण खण्ड–2 लो०नि०वि० देवरिया का नामकरण निर्माण खण्ड कुशीनगर किया गया है तथा इसका मुख्यालय देवरिया से कसिया किया गया है।]

जनपद मथुरा के पोखर व तालाबों को समय से न भरे जाने विषयक सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय विधायक जी द्वारा अपनी सूचना में माह जून में सिंचाई विभाग द्वारा गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में तालाबों व पोखरों को समय से न भरे जाने तथा गलत सूचना देने का आरोप लगाते हुये दोषी अधिकरियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की गयी थी ।

माननीय विधायक जी की इस सूचना पर मुख्य अभियन्ता (गंगा) को जांच के आदेश दिये गये हैं । जांच के उपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।]

जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जल निगम द्वारा अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प में घटिया सामग्री, प्रयुक्त किये जाने आदि विषयक सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जल निगम मुख्यालय के माध्यम से सीधे निर्माताओं से हैण्ड पम्प में प्रयुक्त होने वाली सामग्री क्रय की जाती है। हैण्ड पम्पों में प्रयुक्त किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के विषय में स्वतंत्र रूप से जांच कराकर क्रय की जाती है। हैण्ड पम्पों की बोरिंग भी जल निगम द्वारा आवश्यक गहराई तक की जाती है। जो भू-गर्भ श्रोत की जानकारी लेने के उपरान्त कराई जाती है। रुपये 1,000 से रुपये 2000 तक जनता से धनराशि लेने की बात की भी पुष्टि नहीं है तथा ऐसी शिकायत के विषय में कोई प्रमाणिक आधार प्रकाश में नहीं आया। कौशाम्बी जनपद में दिनांक 1-7-98 तक 6424 नग हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। इनमें से 5663 नगों के प्लेटफार्म बनाये जा चुके हैं। स्थानीय परिस्थितियों एवं स्थानीय तकनीकी कारणवश प्लेटफार्म हैण्ड पम्प के अधिष्ठापन के बाद या फिर कहीं-कहीं कुछ समय बाद बनाये जाते हैं।]

जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में भू-माफियाओं द्वारा बिना प्रस्ताव के लेखपालों द्वारा सैकड़ों बीघे भूमि को सीधे खतौनी में इन्द्राज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

[माननीय श्री नरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10-7-98 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में अवगत कराया गया है कि जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के ग्राम-धौलाना में बाहर के कुछ भू-माफियाओं द्वारा बिना प्रस्ताव के लेखपालों से सीधे खतौनी में लगभग 200 बीघे जमीन दर्ज करा ली है। इन्हीं भू-माफियाओं द्वारा इसी प्रकार कई ग्राम जैसे ऊंचा अमीपुर, तिसौली खेड़ा, धलौना आदि ग्रामों में फर्जी पट्टे करा रखे हैं। इसी प्रकार मोदीनगर तहसील जनपद गाजियाबाद के ग्राम-जैनुद्दीनपुर, तलहटा में भी 800 बीघे जमीन लेखपालों द्वारा सीधे खतौनी में बिना प्रस्ताव दर्ज करा दिये गये हैं जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है।

2–जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया है कि तहसीलदार हापुड़ एवं उप जिलाधिकारी, हापुड़ से इस संबंध में आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि नायब तहसीलदार धौलाना द्वारा दिनांक 1-5-97 को रिपोर्ट दी गई थी कि 57 व्यक्तियों के नाम खतौनी में फर्जी तरीके से अंकित किये गये थे। परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 9-9-97 को धारा–33/39 एल०आर०एक्ट के अन्तर्गत उक्त 57 व्यक्तियों में से 56 व्यक्तियों के नाम निरस्त कर दिये गये हैं। एक व्यक्ति श्री छिद्दा पुत्र जहारिया को धारा 122 बी (4-एफ) का लाभ परगनाधिकारी द्वारा दिया गया है। 56 व्यक्तियों के नाम निरस्त करने के आदेश अलग-अलग पत्रावलियों में पारित किये गये हैं जिसमें से सर्वप्रथम 14 प्रभावित पक्ष अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल के न्यायालय में गये एवं उस न्यायालय से दिनांक 9-9-97 के आदेश के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इसके बाद अन्य 6 व्यक्ति भी अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ के समक्ष न्यायालय में गये और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानियों में न्यायालय द्वारा दिनांक 24-6-98 को यह आदेश पारित किये गये कि निगरानी स्वीकार की जाती है एवं इनमें साक्ष्य और सुनवाई का अवसर देकर परगनाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाय। इस प्रकार 56 में से 42 प्रविष्टियां खारिज की जा चुकी हैं इन 56 मामलों में कुल लगभग 200 कच्चे बीघे भूमि पर प्रश्नगत प्रविष्टियां की गई थीं। जांचोपरान्त सभी प्रविष्टियां निरस्त करने के साथ-साथ संबंधित लेखपाल को भी निलम्बित कर दिया गया है। इस प्रकरण में न्यायालय में चल रहे मामलों में प्रभावी कार्यवाही करने संबंधित ग्राम सभा की भूमि को कब्जे में लेकर उसका नियमानुसार प्रबन्ध करने

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा संबंधित लेखपाल के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उप जिलाधिकारी हापुड़ को निर्देश दे दिये गये हैं ।

3–ग्राम ऊंचा अमीपुर जिला गौतमबुद्ध नगर का भाग हो गया । इस संबंध में जांचकर कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को लिखा गया है । ग्राम–धौलाना में भी पूर्व में किये गये एक अन्य भूमि आवंटन में फर्जी प्रविष्टि करने का एक मामला जांच में जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा पाया गया है जिसके संबंध में कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा करायी जा रही है ।

4–जहां तक तहसील मोदीनगर के ग्राम–जैनुद्दीनपुर तलहटा में फर्जी प्रविष्टि किये जाने का प्रकरण है । उसके संबंध में जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि जांचोपरान्त इस प्रकरण में ग्राम सभा की लगभग 169 बीघा भूमि पर 55 फर्जी प्रविष्टियां पायी गयी थीं जो परगनाधिकारी द्वारा अपने आदेश द्वारा 4-9-97 द्वारा निरस्त कर दी गयी हैं । तदोपरान्त संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये हैं । जिसके कारण बेदखली की कार्यवाही नहीं हो पायी है । इन मामलों में पैरवी हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उप जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं । जांच में दोषी पाये जाने के आधार पर संबंधित तीन लेखपालों के विरूद्ध जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा विभागीय कार्यवाही करने के साथ ही साथ तीनों लेखपालों के विरूद्ध भा०दं०वि० की सुसंगत धारा के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज कराये जा रहे हैं ।

5–माननीय विधायक के द्वारा दिये गये नोटिस में उल्लिखित ग्राम तिंसौलीखेड़ा, बखरवा विद्यापुर में भी अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी द्वारा परगनाधिकारी से करायी जा रही है ।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जनपद में जहां कहीं भी भू-अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि होने की जानकारी प्राप्त हुई है वहां न केवल भू-अभिलेखों की दुरुस्ती करायी जाती है बल्कि दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ वैधानिक कार्यवाही भी करायी जा रही है ।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन सांयकाल 4 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया) ।

लखनऊ :
23 जुलाई, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी०एस०यू०पी०–एस० 342 विधान सभा (490)–1999–813 (डी०टी०पी०) ।